पीठासीन पदाधिकारी
की
हस्तपुस्तिका

(जहाँ इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीनें प्रयुक्त की जाएंगी)

नगरपालिका निर्वाचन, 2017

प्रस्तावना

किसी निर्वाचन की सफलता मुख्य रूप से पीठासीन पदाधिकारी एवं मतदान पदाधिकारियों द्वारा दण्डाधिकारियों एवं सुरक्षा कर्मियों के सक्रिय सहयोग से मतदान केन्द्रों पर समुचित एवं निष्पक्ष रूप से मतदान की सभी प्रक्रियाओं के सफल संचालन पर निर्भर करती है। मतदान केन्द्र पर स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित कराना उनका वैधानिक दायित्व भी है। इस प्रयोजन के लिए यह आवश्यक है, कि उन्हें संबंधित विधानों एवं नियमावली के प्रावधानों के अन्तर्गत मतदान प्रक्रिया की पूरी जानकारी रहे और साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा समय-समय पर निर्गत विभिन्न अनुदेशों एवं निदेशों से भी वे पूर्णतः अवगत हों। इस उद्देश्य से पीठासीन पदाधिकारियों के लिए उपयोगी बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (यथा संशोधित) एवं बिहार नगरपालिका निर्वाचन नियमावली, 2007 के संगत उद्धरण परिशिष्ट में दिए गए हैं। प्रयास किया गया है कि संगत प्रावधानों को सही-सही उद्धृत किया जाए। लेकिन इनकी प्रमाणिकता के लिए संबंधित अधिनियम एवं नियमावली के मूल पाठ को अवश्य देखें। अन्य महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश भी इस पुस्तिका में दिए जा रहे हैं।

आयोग को इन वास्तविकताओं का अहसास है कि मतदान से जुड़े प्रत्येक क्षेत्रीय पदाधिकारी, कर्मचारी को निर्वाचन कार्यों के निष्पादन एवं निर्वहन में अकथनीय कष्ट भी होते हैं, फिर भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मूल्यों को अक्षुण्ण रखने हेतु ये अपनी ओर से सभी संभव प्रयास कर निर्वाचन को सफल एवं संभव बनाते हैं। आयोग को पूरा विश्वास है कि आगामी नगरपालिका आम चुनाव, 2017 को सफलतापूर्ण सम्पन्न करने हेतु भी ये कोई कोर-कसर नहीं छोड़ेंगे।

आशा की जाती है कि यह निर्देश पुस्तिका पीठासीन पदाधिकारी, मतदान पदाधिकारी तथा चुनाव प्रक्रिया से संबद्ध सभी कर्मियों के लिए उनके दायित्वों के निर्वहन में सहायक सिद्ध होगी।

(अशोक कुमार चौहान)
राज्य निर्वाचन आयुक्त,
बिहार।

अनुक्रमणिका

भाग– 1

मतदान का संचालन

अध्याय	विशिष्टियाँ	पृष्ठ संख्या
1.	प्रारम्भिक	1
2.	मतदान दल का गठन	2
3.	वोटिंग मशीन एवं मतदान सामग्री	3
4.	मतदान केन्द्र	5
5.	मतदान केन्द्र का संचालन	7
6.	मतदान पदाधिकारियों के कर्तव्यों का अभिहस्तांकन	8
7.	वोटिंग मशीन (बैलेट यूनिट एवं कंट्रोल यूनिट) की तैयारी	11
8.	दिखावटी मतदान संचालन	14
9.	कंट्रोल यूनिट में ग्रीन पेपर सील लगाना	16
10.	कंट्रोल यूनिट बंद और सील करना	17
11.	मतदान का प्रारंभ	22
12.	स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन के सुरक्षोपाय	23
13.	मतदान केन्द्र पर एवं उसके आस-पास की व्यवस्था	23
14.	मतदाताओं की पहचान	25
15.	मतदाता पर अभ्याक्षेप	26
16.	निर्वाचकों को अपना मत रिकॉर्ड करने हेतु अनुज्ञात करने के पूर्व अमिट स्याही का लगाया जाना एवं उसका हस्ताक्षर/ अंगूठे का निशान प्राप्त करना	27
17.	मतों का रिकॉर्ड किया जाना और मतदान प्रक्रिया	30
18.	दृष्टिहीन/ निःशक्त मतदाता द्वारा मतदान	31
19.	निर्वाचक का मत नहीं देने का विनिश्चय	32
20.	निर्वाचकों द्वारा मतदान की गोपनीयता बनाए रखना	32
21.	निविदत्त मतपत्र	33
22.	निर्वाचन कर्तव्य प्रमाण-पत्र के आधार पर मतदान	33
23.	असामान्य एवं आपात स्थिति में की जाने वाली कार्रवाई : मतदान स्थगित करना आदि	34
24.	मतदान की समाप्ति	36
25.	रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा	38
26.	विभिन्न प्रपत्रों को तैयार करना तथा लिफाफों को सील करना	38
27.	पीठासीन पदाधिकारी की डायरी और संग्रह केन्द्र पर इ.वी.एम. तथा निर्वाचन संबंधी कागजातों को जमा करना	40
28.	निर्वाचन अपराध	41

भाग–2
परिशिष्ट

परिशिष्ट	विशिष्टियाँ	पृष्ठ संख्या
I.	1. बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (यथा संशोधित) के संगत भाग का उद्धरण	47
	2. बिहार नगरपालिका निर्वाचन नियमावली, 2007 के संगत नियमों का उद्धरण	47
II.	इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन द्वारा मतदान के संबंध में आवश्यक निदेश	56
III.	मतदान सामग्रियों की सूची	63
IV.	मतदान केन्द्र मॉडल	66
V.	मतदान अभिकर्त्ता की नियुक्ति	67
VI.	मतदाता रजिस्टर	68
VII.	अभ्याक्षेपित मतों की सूची	69
VIII.	थाना अधिकारी को शिकायत पत्र	70
IX.	प्रपत्र-18 (क)	71
X.	प्रपत्र-18 (ख)	72
XI.	निविदत मतपत्र	73
XII.	रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा	74
XIII.	पीठासीन पदाधिकारी की घोषणा	76
XIV.	पीठासीन पदाधिकारी की डायरी	80

भाग–3
आयोग द्वारा निर्गत महत्वपूर्ण निदेश

क्रमांक	पत्रांक	विषय	पृष्ठ संख्या
1.		मतदान केन्द्र के निकट शस्त्र धारित करने पर प्रतिबंध।	85
2.		विधि व्यवस्था का संधारण एवं मतदान केन्द्र/ मतगणना केन्द्र के अंतर्गत प्रतिबंधित क्षेत्र में मोबाईल/ सेल्यूलर फोन के उपयोग के संबंध में।	87
3.		मतदान केन्द्र के अंतर्गत प्रतिबंधित क्षेत्र में चुनाव कार्य पर रोक एवं विधि व्यवस्था के संधारण के संबंध में।	89
4.		मतदान के दिन मतदाताओं की पहचान सुनिश्चित करने के संबंध में।	91
5.		पीठासीन पदाधिकारियों को जिला द्वारा चार अंकों/ अक्षरों का कोड वर्ड दिये जाने के संबंध में।	93

भाग– 1

मतदान का संचालन

पीठासीन पदाधिकारियों की हस्तपुस्तिका

अध्याय – 1

प्रारम्भिक

पीठासीन पदाधिकारी के रूप में निर्वाचन का संचालन करने में आपकी महत्त्वपूर्ण भूमिका है। मतदान केन्द्र की कार्यवाही को नियंत्रित करने हेतु आपको संपूर्ण विधिक शक्तियां प्राप्त हैं। मतदान केन्द्र पर स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना आपका मूल कर्तव्य एवं उत्तरदायित्त्व है। अतः आवश्यक है कि आप स्वयं विधि एवं प्रक्रिया तथा निर्वाचन संचालन के संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए गए अनुदेशों तथा निर्देशों की जानकारी प्राप्त कर लें।

2. मतदान के संचालन के लिए विधिक उपबंध :

नगरपालिका निर्वाचन में मतदान प्रक्रिया के संचालन हेतु बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (यथा संशोधित) की धारा 443 की उप धारा (5) से (8) एवं बिहार निर्वाचन नियमावली, 2007 के नियम 53 से 77 तक एवं नियम 99 में प्रावधान किये गये हैं। इन्हें इस हस्तपुस्तिका में **परिशिष्ट–I** में उद्धृत किया गया है। इनमें मतदान की जो प्रक्रिया निरूपित की गयी है वह मतपत्रों से मतदान किये जाने के दृष्टिगत है। इस नगरपालिका निर्वाचन में मतदान ई.वी.एम. के माध्यम से सम्पन्न कराया जा रहा है। इसके लिए प्रयुक्त होने वाले ई.वी.एम. का एक संक्षिप्त परिचय इस पुस्तिका के **परिशिष्ट–II** पर दिया गया है।

3. बिहार नगरपालिका निर्वाचन नियमावली, 2007 के नियम 60 एवं नियम 85 से प्रदत्त शक्तियों के अध्याधीन राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा ई.वी.एम. से मतदान सम्पन्न कराने हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया विनिर्दिष्ट की जानी है। उक्त नियम निम्नवत उद्धृत हैं:-

"नियम 60. – मतदान का तरीका:–(1) मतों को मतपत्र द्वारा प्रदान किया जाएगा और किसी भी मत को प्रॉक्सी द्वारा प्राप्त नहीं किया जाएगा।

(2) अधिनियम या उसके अंतर्गत बनाई गई इस नियमावली में कुछ भी समाविष्ट होने के बावजूद, उस तरीके में, जिसे निर्धारित किया जाए, मतदान करने की मशीनों द्वारा मतों को देने और रिकॉर्डिंग करने को उस निर्वाचन क्षेत्र या सभी निर्वाचन क्षेत्रों में अपनाया जा सकेगा, जिसे राज्य निर्वाचन आयोग प्रत्येक मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विनिर्दिष्ट करे।

स्पष्टीकरण :– मतदान करने की मशीन से अभिप्रेत है मतों को देने या रिकॉर्ड करने के लिए प्रयुक्त कोई मशीन या उपकरण, जो इलेक्ट्रोनिक तरीके से या अन्यथा संचालित की जाए। अधिनियम अथवा उसके अंतर्गत बनाई गई नियमावली में प्रयुक्त मतपेटी या मतपत्र से, अन्यथा उपबंधित नहीं रहने पर , मतदान करने की मशीन का भी संदर्भ समझा जाएगा, जहाँ भी उस मतदान करने की मशीन को किसी निर्वाचन में प्रयुक्त किया जाता है।"

"नियम 85 – इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मतदान कराये जाने की स्थिति में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया :– मतदान के लिये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग किये जाने की स्थिति में मतदान, मतों की रिकॉर्डिंग एवं गणना, मशीन को सीलबन्द करना एवं परिणाम की घोषणा आदि हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट की जायेगी।

परन्तु, जहाँ तक व्यवहारिक हो, जहाँ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का उपयोग किया जायेगा वहाँ कन्ट्रोल यूनिट में विभिन्न अभ्यर्थियों से संबंधित डेटा जिस प्रकार प्रदर्शित है, उसी प्रकार की एक सारणी बना कर सभी डेटा की हार्ड कॉपी बना ली जायेगी तथा उस कॉपी पर सभी उपस्थित अभ्यर्थी अथवा उनके निर्वाचन अभिकर्त्ता तथा निर्वाची पदाधिकारी का हस्ताक्षर

लेकर एक गॉज लिफाफे में रख दिया जायेगा तथा उसे राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रत्येक निर्वाची पदाधिकारी को विशेष रूप से आपूरित सिक्रेट सील से सीलबन्द कर जिला निर्वाचन पदाधिकारी की अभिरक्षा में रख दिया जायेगा। उक्त सीलबन्द लिफाफे की अभिरक्षा एवं विनष्टीकरण की कार्रवाई **नियम 89** के अध्यधीन की जायेगी। आयोग द्वारा आपूरित सिक्रेट सील निर्वाचन परिणाम घोषित होने के 36 घंटे के अन्दर आयोग को निश्चित रूप से वापस कर दी जायेगी।"

4. बिहार नगरपालिका निर्वाचन नियमावली के नियम 2 (ज) में `प्रपत्र' को परिभाषित किया गया है, जो निम्नवत् है :-

``प्रपत्र से अभिप्रेत है इस नियमावली में उपवर्णित प्रपत्र, जिसमें राज्य निर्वाचन आयोग की अपेक्षानुसार परिवर्त्तन किया जा सकता है।''

5. उक्त प्रदत्त शक्तियों के तहत् राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरपालिका निर्वाचन, 2017 में ई.वी.एम. से मतदान सम्पन्न कराने हेतु प्रकिया एवं प्रपत्रों को निर्धारित किया गया है, जिसका उल्लेख आगे के अध्यायों में किया गया है।

अध्याय – 2

मतदान दल का गठन

1. (क) मतदान दल में एक पीठासीन पदाधिकारी के अलावा तीन मतदान पदाधिकारी होंगे, जिनकी नियुक्ति जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) द्वारा राष्ट्रीय सूचना केन्द्र से उपलब्ध कराये गये सॉफ्टवेयर की मदद से रैण्डमाईजेशन पद्धति से की जायेगी।

(ख) कोई व्यक्ति जो सरकार या सरकारी कम्पनी या सरकार से अनुदान प्राप्त संस्था का सेवक हो, पीठासीन पदाधिकारी/ मतदान पदाधिकारी के रूप में नियुक्त किया जा सकेगा।

(ग) किसी मतदान पदाधिकारी के मतदान केन्द्र से अनुपस्थित होने पर पीठासीन पदाधिकारी (नगरपालिका) उपर्युक्त कंडिका (ख) के अधीन ऐसे व्यक्ति को, जो मतदान केन्द्र पर उपस्थित है और जो ऐसे व्यक्ति से भिन्न है, जो निर्वाचन में या उसके सम्बन्ध में किसी अभ्यर्थी द्वारा या उसकी ओर से नियोजित किया गया है, या उसके लिए कोई अन्य कार्य कर रहा है, मतदान अधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकेगा और तदनुसार जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) को इसकी सूचना देगा।''

(घ) मतदान पदाधिकारी राज्य निर्वाचन आयोग के निदेशन के अध्याधीन पीठासीन पदाधिकारी (नगरपालिका) द्वारा प्राधिकृत किये जाने पर, अधिनियम तथा इसके अन्तर्गत बनी नियमावली के अधीन पीठासीन पदाधिकारी (नगरपालिका) के सभी या किन्हीं कृत्यों का निष्पादन करेगा।''

2. मतदान पूर्वाभ्यास

(क) अधिक-से-अधिक मतदान पूर्वाभ्यासों में भाग लें। **इ.वी.एम. परिचालन एवं मतदान प्रक्रिया के संबंध में स्पष्ट ज्ञान प्राप्त कर लें।** विधिक प्रावधानों को समझ लें। मतदान दल के अन्य मतदान पदाधिकारियों को भी विभिन्न परिचालनों एवं प्रक्रियाओं को समझाकर संतुष्ट करें। आप सभी को पेपर सील, स्पेशल टैग, स्ट्रिप सील एवं ऐड्रेस टैग आदि को लगाने की प्रक्रिया अवश्य आनी चाहिए।

(ख) यद्यपि आपने किसी पूर्व निर्वाचन में पीठासीन पदाधिकारी या मतदान पदाधिकारी के दल में कार्य किया हो, फिर भी आपको प्रशिक्षण कक्षाओं/ पूर्वाभ्यासों में उपस्थित होना चाहिए। चूँकि निर्वाचन विधि एवं प्रक्रिया

में समय-समय पर संशोधन होते रहते हैं, अतः आवश्यक है, कि आप संशोधित प्रक्रिया को समझ लें। निर्वाचन का संचालन नवीनतम प्रक्रिया या अनुदेशों के अनुरूप ही होना चाहिए।

3. (क) निर्वाची पदाधिकारी द्वारा इ.वी.एम. का परिचालन

मतदान केन्द्र पर प्रयोग में लाए जाने हेतु इ.वी.एम. की आपूर्ति पीठासीन पदाधिकारियों को करने से पूर्व रिटर्निंग ऑफिसर (निर्वाची पदाधिकारी) द्वारा मशीनों को तैयार किया जाएगा। बैलेट यूनिट को रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा निम्नलिखित ढंग से तैयार किया जाएगाः-

— बैलेट पेपर स्क्रीन को खोलना
— मतपत्र लगाना
— उम्मीदवारों के जिन बटनों का इस्तेमाल न करना हो उनको ढकना ।
— स्लाईड स्विच सेट करना।
— बैलेट यूनिट सील करना।
— निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी या उनके अभिकर्त्ता अपनी भी सील लगाना चाहें, तो उन्हें सील लगाने दी जाएगी।

(क) रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा निम्न प्रकार से कंट्रोल यूनिट तैयार किया जाएगाः-

— पावर पैक लगाना।
— निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की संख्या सेट करना।
— उम्मीदवार सेट कम्पार्टमेन्ट को सील करना।
— उम्मीदवार सेट खंड को सील करना।
— निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी या उनके अभिकर्त्ता अपनी भी सील लगाना चाहें, तो उन्हें सील लगाने दी जाएगी।

अध्याय - 3

वोटिंग मशीन एवं मतदान सामग्री

1. मतदान से एक दिन पूर्व या मतदान केन्द्र के लिए प्रस्थान करने के दिन आपको सम्पूर्ण मतदान सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी, जिसकी सूची **परिशिष्ट-III** में दी गई है। मतदान केन्द्र के लिए प्रस्थान करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि आपने समस्त मतदान सामग्री प्राप्त कर ली है।

2. वोटिंग मशीन की जाँच

निम्नलिखित की विशेष रूप से जाँच कर लें;

(1) कि आपको दी गई वोटिंग मशीन की कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट (यूनिटें) वही हैं जो आपके मतदान केन्द्र पर उपयोग हेतु तैयार की गई हैं। इसकी उक्त यूनिटों से संलग्न एड्रेस टैग के संदर्भ में, जांच की जानी चाहिए जैसे कि निर्वाची पदाधिकारी द्वारा प्रत्येक ऐसे एड्रेस टैग पर मतदान केन्द्र की संख्या और नाम प्रदर्शित किए गए हैं, अथवा नहीं।

(2) **कंट्रोल यूनिट** के लिए एड्रेस टैग पर निम्नलिखित विशिष्टियां होंगी :-

..... नगरपालिका आम चुनाव, 2017

कंट्रोल यूनिट संख्या .....

मतदान केन्द्र की क्रम संख्या और नाम .....
मतदान की तारीख .....
बैलेट यूनिट के लिए एड्रेस टैग में निम्नलिखित विशिष्टियां होंगी
..... नगरपालिका आम चुनाव, 2017
बैलेट यूनिट संख्या .....
मतदान केन्द्र की क्रम संख्या और नाम .....
मतदान की तारीख .....

(3) कि कंट्रोल यूनिट का "कैंड सेट सेक्शन" सम्यक रूप से सीलबन्द किया गया है और उसके साथ एड्रेस टैग मजबूती से संलग्न है।

(4) कि कंट्रोल यूनिट के "कैंड सेट सेक्शन" में स्थापित बैटरी पूरी तरह से परिचालनीय है। इसके पृष्ठ भाग के कक्ष पर उपलब्ध पावर स्विच को **"ऑन"** स्थिति में डालकर जाँच की जाएगी। जाँच के पश्चात पावर स्विच को **"ऑफ"** स्थिति में लाना होगा।

(5) कि आपको अपेक्षित संख्या में "बैलेट यूनिट" दी गई है और मतपत्र, उनके प्रत्येक मतपत्र स्क्रीन के अन्दर सम्यक रूप से लगा दिए गए हैं। आपको दी जाने वाली बैलेट यूनिटों की संख्या आपके निर्वाचन क्षेत्र में लड़नेवाले अभ्यर्थियों की संख्या पर निर्भर करेगी। यदि निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 2 और 16 के बीच की है तो केवल एक बैलेट यूनिट दी जाएगी और बैलेट यूनिट के दायीं ओर सबसे ऊपर विन्डो से दिखनेवाला स्लाइड स्विच निर्वाची पदाधिकारी द्वारा **"1"** स्थिति में सेट किया जाएगा। यदि लड़नेवाले अभ्यर्थियों की संख्या 17 और 32 के बीच है तो आपको दो बैलेट यूनिटें दी जाएंगी। पहली बैलेट यूनिट को उपर्युक्त उल्लिखित स्लाइड स्विच 1 स्थिति में सेट किया जाएगा। मतपत्र में क्रम संख्या 1 से 16 पर लड़नेवाले अभ्यर्थियों के नाम होंगे। दूसरी बैलेट यूनिट में 17 से 32 तक लड़नेवाले अभ्यर्थियों के नामों से युक्त मतपत्र की दूसरी शीट होगी और उस यूनिट में स्लाइड स्विच 2 स्थिति में सेट किया जाएगा। इसी तरह यदि लड़नेवाले अभ्यर्थियों की संख्या 33 से 48 के बीच हो तो तीन बैलेट यूनिटें दी जाएंगी और यदि अभ्यर्थियों की संख्या 48 से अधिक और 64 तक हो तो ऐसी चार यूनिटें होंगी। तीसरी बैलेट यूनिट में 33 से आगे 48 तक अभ्यर्थियों के नाम होंगे और इसका स्लाइड स्विच 3 स्थिति में सेट किया जाएगा। चौथी बैलेट यूनिट में उसमें लगे मतपत्र पर क्रम संख्या 49 से 64 तक आगे के अभ्यर्थियों के नाम होंगे और इसका स्लाइड स्विच स्थिति 4 दर्शित करेगा।

(6) कि अभ्यर्थियों के बटन जो बैलेट यूनिटों पर स्पष्ट दिख रहे हैं, लड़नेवाले अभ्यर्थियों की संख्या के बराबर है और शेष बटन, यदि कोई हो, ढक दिए गए हैं।

(7) कि प्रत्येक बैलेट यूनिट सम्यक रूप से सीलबन्द कर दी गयी है और दो स्थानों अर्थात दायीं ओर ऊपर और दांयी ओर से नीचे के भाग को निर्वाची पदाधिकारी की मुहर से सुरक्षित कर दिया गया है और कि एड्रेस टैग उसके साथ मजबूती से लगा दिए गए हैं।

3. मतदान सामग्री की जाँच करना

(1) कि पर्याप्त मात्रा में अमिट स्याही है।

(2) कि स्टाम्प पैड सूखे हुए नहीं हैं।

(3) कि निर्वाचन नामावली की चिह्नित प्रतियाँ सही हैं।

(4) कि निविदत्त मतदान (tendered vote) के लिए आपको दिए गए मतपत्र उसी क्षेत्र के लिए है, जहां आपका मतदान केन्द्र स्थापित है और कि वे किसी भी तरह से त्रुटिपूर्ण नहीं है। आपको इसकी भी जांच करनी चाहिए कि उनके क्रम संख्यांक आपको दिए गए ब्योरे से मेल खाते हैं।

(5) यदि आप किसी भी वोटिंग मशीन या किसी मतदान सामग्री को किसी भी तरह से त्रुटिपूर्ण पाते हैं, तो

आपको आवश्यक उपचारी कार्रवाई के लिए ऐसे दोष को तुरंत वोटिंग मशीन/ मतदान सामग्री के वितरण के प्रभारी अधिकारी या निर्वाची पदाधिकारी के ध्यान में लाना चाहिए।

(6) यह भी जांच कर लें कि लड़नेवाले अभ्यर्थियों और उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर के नमूने की फोटो प्रतियाँ भी आपको दी गई हैं। इससे मतदान केन्द्र पर मतदान अभिकर्ता/ अभिकर्ताओं के नियुक्त पत्र में निर्वाचन लड़नेवाले अभ्यर्थी/ उसके निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षरों की वास्तविकता को स्थापित करने में आपको मदद मिलेगी।

अध्याय – 4

मतदान केन्द्र

1. मार्ग निर्देशिका

मतदान केन्द्र पर पहुंचने के लिए जिन मार्गों से होकर जाना है, आपको उनका स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए। मार्ग निर्देशिका के विवरण, जिसमें आपके तथा आपके दल के सदस्यों के लिए परिवहन के साधनों का भी उल्लेख होगा, आपको पहले से ही दे दिए जाएँगे।

2. मतदान केन्द्र पर आगमन

आपको अपने दल के साथ मतदान केन्द्र पर मतदान प्रारम्भ होने से कम से कम 75 मिनट पूर्व पहुँच जाना चाहिए।

3. पीठासीन पदाधिकारी के कर्तव्यों का प्रत्यायोजन

यदि आपको स्वयं की बीमारी या अन्य अपरिहार्य कारण से मतदान केन्द्र से अनुपस्थित रहना पड़े, तो जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)/ निर्वाची पदाधिकारी द्वारा इस निमित्त पहले से ही प्राधिकृत मतदान अधिकारी आपके स्थान पर कार्य करेगा। वह पीठासीन पदाधिकारी की समस्त शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग करेगा।

आप मतदान केन्द्र से संबंधित अपने कर्तव्यों में से कोई भी कर्तव्य मतदान केन्द्र पर कार्य कर रहे मतदान अधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकते हैं तथापि, ऐसा प्रत्यायोजन आपको अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं करता है, क्योंकि आप प्रत्येक परिस्थिति में सम्पूर्ण मतदान केन्द्र के समग्र रूप से प्रभारी हैं।

आपके उस स्थान पर पहुंचने पर जहां मतदान केन्द्र स्थापित किया गया है, मतदान के प्रयोजन हेतु प्रस्तावित भवन का और मतदान केन्द्र का भी निरीक्षण कर लेना चाहिए। माडल मतदान केन्द्र का रेखा चित्र **परिशिष्ट–IV द्रष्टव्य।** आवश्यक समझे जाने पर आप मतदान केन्द्र के वास्तविक सेट-अप में मामूली फेरबदल कर सकते हैं, किन्तु यह निश्चित कर लें कि ;

(क) मतदाताओं के लिए मतदान केन्द्र के बाहर प्रतीक्षा करने के लिए पर्याप्त जगह है;

(ख) जहां तक व्यावहारिक हो, पुरूष और महिलाओं के लिए पृथक प्रतीक्षा स्थल हो;

(ग) मतदाताओं के लिए पृथक प्रवेश और निकास हो (ऐसा उसी दरवाजे से एक रस्सी बांध कर पृथक प्रवेश और निकास बनाकर भी किया जा सकता है;

(घ) मतदान अभिकर्ताओं को इस ढंग से बिठाया जाना चाहिए कि वे किसी निर्वाचक का चेहरा, जब वह मतदान केन्द्र मे प्रवेश करें, देख सकें और प्रथम मतदान पदाधिकारी द्वारा उसकी पहचान की जा सके तथा आवश्यकता होने पर वे निर्वाचक की पहचान को चुनौती दे सकें। वे पीठासीन अधिकारी की मेज जहां नियंत्रण

यूनिट रखी हैं, पर की समस्त क्रियाएं देख सकें और निर्वाचक के पीठासीन अधिकारी की मेज से मतदान कक्ष तक और उसके मत रिकार्ड करने के पश्चात मतदान केन्द्र छोड़ने तक का संचालन भी देख सकें। **किन्तु वे किसी भी स्थिति में ऐसे स्थान पर नहीं बैठेंगे जहां उनको मतदाता द्वारा विशेष बटन दबाकर अपना मत वास्तविक रूप से रिकार्ड करते हुए देखने का अवसर मिल सके। मतदान अभिकर्त्ता की नियुक्ति का प्रपत्र–16 परिशिष्ट–V द्रष्टव्य।**

(ङ) समस्त मतदान अधिकारियों के बैठने की व्यवस्था भी ऐसी होनी चाहिए कि वे ऐसी स्थिति में न हो कि वे मतदाता द्वारा विशेष बटन दबाकर उनका मत वास्तविक रूप से रिकार्ड करते हुए देख सकें।

4. मतदान केन्द्र पर व्यवस्था

(1)मतदान केन्द्रों में मतदान कोष्ठ (वोटिंग कम्पार्टमेन्ट) की व्यवस्था रहेगी, जहाँ मतदाता गुप्त रूप से अपना मतदान करेंगे। पीठासीन पदाधिकारी मतदान केन्द्र के बाहर निम्नलिखित सूचनाएँ प्रदर्शित करेंगे :–

(i) मतदान केन्द्र का नाम एवं संख्या

(ii) मतदान केन्द्र से सम्बद्ध मतदाता सूची

(iii) देवनागरी लिपि में तैयार की गई निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची एवं आवंटित निर्वाचन प्रतीकों की सूची।

(2) यदि किसी सामग्री का अभाव परिलक्षित हो, तो अविलंब जोनल अधिकारी/निरीक्षण पदाधिकारी को सूचित करते हुए उक्त सामग्री उपलब्ध कर लेने की व्यवस्था करें। यदि किसी प्रपत्र का अभाव दिखे, तो वैसी आपात स्थिति में इसी पुस्तिका के परिशिष्ट में दिये गये प्ररूप के अनुरूप सादे कागज पर स्वयं प्रपत्र तैयार कर व्यवहार में ला सकते हैं। यदि पीठासीन पदाधिकारी को स्वयं किसी व्यक्ति को मतदान पदाधिकारी के रूप में नियुक्त करना पड़े तो यह सुनिश्चित कर लेना है कि वह व्यक्ति किसी अभ्यर्थी का समर्थक या कार्यकर्त्ता या सम्बन्धी या निजी कर्मचारी नहीं है। **ऐसी नियुक्ति की सूचना यथाशीघ्र जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)/निर्वाची पदाधिकारी को दे दें।**

(3) मतदान केन्द्र पर पहुँच कर मतदान केन्द्र के भवन और उसके आस-पास के स्थल का निरीक्षण करें। केन्द्र पर निम्नलिखित व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए :-

(i) मतदान कक्ष (कोष्ठ) में पर्याप्त रोशनी हो।

(ii) मतदान केन्द्र के अन्दर मतदान कक्ष (कोष्ठ) ऐसे स्थान पर बनाये जाने चाहिए और इ.वी.एम. ऐसी जगह रखी जानी चाहिए कि मतदाताओं को ज्यादा आड़ा-तिरछा हो कर आना जाना न पड़े।

(iii) मतदान केन्द्र के अन्दर पहले से लगे ऐसे प्रत्येक फोटो अथवा चित्र या इश्तेहार जिसका संबंध किसी अभ्यर्थी के निर्वाचन प्रतीक से जोड़ा जा सके, को हटा दिया गया है।

(iv) यदि एक ही भवन में एक से अधिक मतदान केन्द्र अवस्थित हों, तो आप यह समाधान कर लें कि मतदाताओं को उनके मतदान केन्द्र के अनुसार अलग-अलग रखने के लिए प्रत्येक मतदान केन्द्र के सामने वाले स्थान में अलग-अलग हिस्सों में उन्हें प्रतीक्षा करने हेतु आवश्यक प्रबंध कर लिये गये हैं, ताकि किसी प्रकार का भ्रम न हो। मतदान केन्द्र के इर्द-गिर्द 100 मीटर की सीमा के भीतर मतदान के दिन किसी भी प्रकार का न तो प्रचार किया जाना है और न किसी मतदाता से मतों की याचना की जानी है। गैर सरकारी पहचान पर्ची लेकर जो मतदाता आता है उस पर भी अभ्यर्थी का नाम या उसका प्रतीक छपा हुआ नहीं रहना चाहिए। मतदान केन्द्र के चारों ओर 100 मीटर की दूरी दर्शाने वाले पर्चे भी यथा स्थान लगा दें।

(v) यदि मतदान केन्द्र किसी निजी भवन में अवस्थित हो, तो वह भवन और उसके चारों ओर के 100 मीटर तक की परिधि का क्षेत्र आपके नियंत्रण मे रहेगा। मकान मालिक के किसी पहरेदार या अन्य किसी कर्मचारी, को उसे मतदान केन्द्र में या उस भवन के चारो ओर 100 मीटर के क्षेत्र में रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी। परन्तु, ऐसा व्यक्ति/कर्मचारी यदि उसी मतदान केन्द्र से सम्बद्ध मतदाता हो, तो उन्हें मात्र अपने मताधिकार का प्रयोग करने हेतु मतदान केन्द्र पर जाने की अनुमति दी जायगी। मतदान केन्द्र और उपर्युक्त क्षेत्र की संपूर्ण सुरक्षा-व्यवस्था का दायित्त्व आपके नियंत्रणाधीन पुलिस का होगा।

(vi) मतदान केन्द्र के भीतर या इर्द-गिर्द में मतदान के दिन खाना पकाने या अन्य किसी भी प्रयोजन हेतु आग जलाने की अनुमति नहीं दें।

अध्याय – 5

मतदान केन्द्र का संचालन

1. पीठासीन पदाधिकारी मतदान केन्द्रों में प्रवेश का नियंत्रण सुनिश्चित करेंगे तथा उसके आस-पास की व्यवस्था पर ध्यान रखेंगे। वे मतदान केन्द्र के अन्दर किसी एक समय में मतदाताओं को उतनी ही संख्या में प्रवेश करने दें जिससे वहाँ पर अव्यवस्था न होने पाए। मतदान स्थल पर किसी भी हालत में अत्यधिक भीड़-भाड़ न होने दें अन्यथा व्यवस्था बनाये रखने में समस्या पैदा होगी। पुरुष तथा महिला मतदाताओं को बारी-बारी से मतदान केन्द्र के अन्दर प्रवेश करने देने की व्यवस्था करें। निःशक्त तथा जिन महिलाओं की गोद मे बच्चे हों, उन्हें प्रवेश में प्राथमिकता दें।

2. मतदान केन्द्र में प्रवेश होने के हकदार :–

(i) मतदान केन्द्र के अन्दर वैसे मतदाता, जो पंक्तिबद्ध खड़े मतदाताओं में सबसे आगे हों, को छोड़कर जो व्यक्ति मतदान केन्द्र के भीतरी भाग में किसी भी समय उपस्थित रह सकते हैं, वे हैं - मतदान पदाधिकारीगण, निर्वाचन से सम्बन्धित कर्त्तव्यारूढ़ लोक सेवक, आयोग/जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)/निर्वाची पदाधिकारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति, अभ्यर्थीगण, उनके निर्वाचन अभिकर्त्ता एवं नियमानुसार प्रत्येक अभ्यर्थी का एक-एक मतदान अभिकर्त्ता, महिला मतदाता के साथ गोदवाले शिशु, दृष्टिहीन, विकलांग मतदाताओं के सहचर एवं ऐसा अन्य व्यक्ति जिसे निर्वाची पदाधिकारी या पीठासीन पदाधिकारी द्वारा मतदाताओं की पहचान के लिए नियोजित किया गया है। **केन्द्र/राज्य के कोई भी माननीय मंत्री निर्वाचन के संबंध में कर्त्तव्यारूढ़ पदाधिकारी एवं कर्मचारी की श्रेणी में नहीं आयेंगे।**

(ii) **मतदान केन्द्र पर तैनात पुलिस कर्मी या विशेष पुलिस अधिकारी सामान्यतया केन्द्र के बाहर ही ड्यूटी पर रहेंगे,** जब तक कि कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने के लिए उन्हें अंदर बुलाने की जरूरत न पड़े।

3. मतदान के प्रारंभ होने से पूर्व सभी उपस्थित लोगों (ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों तथा मतदान अभिकर्त्ताओं सहित) को मत की गोपनीयता बनाए रखने के लिए तथा उनके कर्त्तव्य और उसके उल्लंघन के लिए जो विधि के अन्तर्गत दंड का प्रावधान है, उससे उन्हें अवगत करा दें।

4. यदि मतदान केन्द्र पर कोई व्यक्ति अनावश्यक रूप से खड़ा है और मतदान की कार्यवाही में उसकी वजह से व्यवधान हो रहा हो, तो वैसी स्थिति में उसे वहाँ से तुरंत हट जाने का अनुरोध करें। इसके बावजूद वह नहीं हटे, तो उन्हें हटाये जाने के लिए मतदान केन्द्र पर तैनात पुलिसकर्मी को निदेश दें।

5. मतदान केन्द्र के भीतर किसी भी व्यक्ति को शब्द या इशारा द्वारा विशेष ढ़ंग से मतदान करने के लिए मतदाताओं को प्रभावित करने का प्रयास करने की अनुमति नहीं दी जायगी।

6. अपने निर्वाचन कर्त्तव्य पालन में आपको केवल राज्य निर्वाचन आयोग तथा जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) और निर्वाची पदाधिकारी के निर्देशों का अनुसरण करना है, अन्य किसी का नहीं।

7. मतदाताओं को पहचानने के लिए या महिला मतदाताओं की सहायता के लिए यदि आपने किसी कर्मचारी या महिला परिचारिका को नियोजित किया है, तो उसे मतदान केन्द्र के प्रवेश द्वार के बाहर ही बैठायें और मतदान केन्द्र के अन्दर तभी बुलाएँ जब किसी मतदाता विशेष को पहचानने के लिए, तलाशी या अन्य किसी विशेष प्रयोजन के लिए उसकी आवश्यकता हो।

8. मतदान केन्द्र में किसी को धूम्रपान की अनुमति न दें। यदि कोई व्यक्ति धूम्रपान करना चाहे तो, उसे मतदान केन्द्र के बाहर जाकर धूम्रपान करने को कहें।

9. पत्रकारों/फोटोग्राफरों द्वारा मतदान केन्द्र के बाहर कतार में खड़े मतदाताओं के फोटो लिये जाने में कोई आपत्ति नहीं है, परन्तु बगैर आयोग/जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) या निर्वाची पदाधिकारी द्वारा दिये गए अधिकारपत्र के उन्हें मतदान केन्द्र के अन्दर प्रवेश न करने दें और न ही कोई फोटो खीचने दें। किसी भी परिस्थिति में किसी फोटोग्राफर/पत्रकार को मतदान कोष्ठ में (जहाँ मतदाता बैलेट यूनिट का बटन दबाता है) नहीं जाने दें।

10. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरपालिका निर्वाचन के सिलसिले में नियुक्त प्रेक्षक, मतदान की अवधि के दौरान कभी भी आपके मतदान केन्द्र में आ सकते हैं। आयोग द्वारा इस संबंध में निर्गत नियुक्ति पत्र दिखाने पर उन्हें मतदान केन्द्र में प्रवेश करने दें। उनके द्वारा मांगी गई जानकारी उन्हें दें और उनकी पृच्छाओं का विनम्रता और आदरभाव से उत्तर दें। प्रेक्षक सामान्यतया आपको कोई निर्देश नहीं देंगे। परन्तु यदि वे मतदान केन्द्र पर मतदाताओं को हो रही किसी असुविधा को दूर करने या मतदान की प्रक्रिया को अधिक गतिशील और सरल बनाने की दृष्टि से कोई सुझाव दें, तो उसपर अवश्य गंभीरता से विचार करें।

11. मतदान के दौरान बीच-बीच में आपके केन्द्र की स्थिति का जायजा लेने के लिए जिला/उप जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) या निर्वाची/सहायक निर्वाची पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, जैसे जोनल अधिकारी या मजिस्ट्रेट आयेंगे। उन्हें ऐसी हर समस्या या कठिनाई से अवगत करायें जिसका आप सामना कर रहे हैं। वे आपकी सहायता के लिए ही आपके पास आ रहे हैं। अतः उनसे सहायता मांगने या उन्हें अपनी परेशानी बताने में कोई संकोच न करें।

12. मतदान केन्द्र से अपने दल के साथ लौटने का स्वतंत्र कार्यक्रम न बनाएँ। सुरक्षा बल सहित उसी वाहन से उसी रूट से लौटें, जिसकी व्यवस्था जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)/निर्वाची पदाधिकारी के निर्देशानुसार की गई हो।

अध्याय – 6

मतदान पदाधिकारियों के कर्तव्यों का अभिहस्तांकन (Allocation)

1. मतदान केन्द्र पर मतदान की प्रक्रिया और मतदान अधिकारियों के कर्तव्य

आपके मतदान केन्द्र पर मतदान के दक्ष और सुचारू संचालन के लिए आपको उस प्रक्रिया से भलीभाँति परिचित होना चाहिए, जो मतदाता के मतदान केन्द्र में प्रवेश करने से लेकर उसके मत डालने के पश्चात उसे

छोड़ने तक समय-समय पर अपनायी जानी है। उक्त प्रक्रिया आपके तथा अन्य पदाधिकारियों के सम्मिलित प्रयास से ही सम्यक रूप से पूरी की जा सकती है। मतदान अधिकारियों के बीच कर्तव्यों का विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है :-

2. प्रथम मतदान अधिकारी :

(1) प्रथम मतदान अधिकारी निर्वाचक "निर्वाचक नामावली की चिह्नित प्रति" का प्रभारी होगा तथा निर्वाचकों की पहचान के लिए उत्तरदायी होगा। मतदान केन्द्र में प्रवेश करते ही निर्वाचक सीधे प्रथम मतदान अधिकारी के पास जाएगा; जो विहित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए उसकी पहचान के विषय में अपना समाधान करेगा।

(2) इस बार मतदान केन्द्रों पर प्रथम मतदान अधिकारी के पास फोटोयुक्त मतदाता सूची उपलब्ध करायी जानी है। जिन मतदाताओं को मतदान की अनुमति दी जायेगी, मतदाता सूची में उनके नाम को चिह्नित करने हेतु निम्न प्रक्रिया अपनाई जायेगी :-

फोटोयुक्त मतदाता सूची की चिह्नित प्रति में सभी मतदाता के मामले में एकल क्रॉस (X) चिह्न अंकित किया जायगा तथा महिला मतदाता के मामले में मतदाता क्रमांक को गोल घेरा (Circle) कर दिया जायेगा।

3. द्वितीय मतदान अधिकारी :

द्वितीय मतदान अधिकारी **"अमिट स्याही"** का प्रभारी होगा। वह निर्वाचक की बाएं हाथ की तर्जनी का निरीक्षण करेगा कि इस पर अमिट स्याही का कोई चिह्न या संकेत पहले से तो नहीं है और तब नाखून के मूल के ऊपर अमिट स्याही का चिह्न इस तरह लगाएगा कि वह त्वचा और नाखून के बीच रिज पर फैल जाए और तर्जनी पर स्पष्ट चिह्न रह जाएं। प्रत्येक मतदाता की उँगली पर लगी अमिट स्याही को सूखने की भी प्रतीक्षा की जाय, और यदि ऐसा मतदाता ऐसी स्याही को उसी समय इस प्रकार हटाने का प्रयास करे जिससे कि चिह्न मिट जाय, तो ऐसे मतदाता को तब तक मतदान नहीं करने दिया जाएगा, जब तक वह अपनी उँगली में बिना प्रतिरोध के चिह्न नहीं लगवा ले।

द्वितीय मतदान अधिकारी **"मतदाताओं के रजिस्टर"** का भी प्रभारी होगा। वह उस रजिस्टर में उन निर्वाचकों के उचित लेखा रखने का भी उत्तरदायी होगा, जिनकी पहचान हो चुकी है, और जो मतदान केन्द्र में मत डालते हैं। **वह प्रत्येक निर्वाचक से उसे मत देने की अनुमति मिलने से पहले उस रजिस्टर में हस्ताक्षर या अंगूठा निशान प्राप्त करेगा।**

4. तृतीय मतदान अधिकारी :

तृतीय मतदान अधिकारी वोटिंग मशीन की **"कंट्रोल यूनिट"** का प्रभारी होगा। वह उसी टेबुल पर बैठेगा जिस पर पीठासीन पदाधिकारी बैठता है, ताकि पीठासीन पदाधिकारी कंट्रोल यूनिट एवं मतदान प्रक्रिया को निकट से देख सके। **तृतीय मतदान अधिकारी केवल द्वितीय मतदान अधिकारी द्वारा निर्गत मतदाता पर्ची के आधार पर ही और उस पर्ची में प्रदर्शित क्रम संख्या के अनुसार निर्वाचक को मतदान कक्ष में जाने की अनुमति देगा।**

5. पीठासीन पदाधिकारी मतदान केन्द्र का समग्र रूप से प्रभारी है। संक्षेप में उसके कर्तव्य निम्न प्रकार है:-

(i) बैलेट यूनिट को सम्बद्ध मतदान कक्ष में रखना;

(ii) बैलेट यूनिट को अपने अपने कंट्रोल यूनिट से जोड़ना;

(iii) बिजली "ऑन" करना;

(iv) मतदान के वास्तविक रूप में प्रारंभ होने के लिए नियत समय के पूर्व उपस्थित अभ्यर्थियों/ अभिकर्ताओं को यह दिखा देना कि वोटिंग मशीन क्लीयर हैं और इनमें कोई मत रिकार्डेड नहीं है;

(v) नगरपालिका निर्वाचन के लिए तैयार की गई कंट्रोल यूनिट एवं बैलेट यूनिट का इस्तेमाल करते हुए नगरपालिका निर्वाचन के लिए दिखावटी मतदान संचालन करना;

(vi) यह सुनिश्चित करना कि नगरपालिका निर्वाचन के लिए कंट्रोल यूनिट में लगायी गयी पेपर सील पर केवल नगरपालिका निर्वाचन के उपस्थित अभ्यर्थी या उनके मतदान अभिकर्ता अपने हस्ताक्षर करें;

(vii) यह सुनिश्चित करना कि बैलेट यूनिट को अपनी कंट्रोल यूनिट के साथ जोड़नेवाले केबल्स इस प्रकार रखे गए हैं कि मतदाताओं को मतदान केन्द्र के भीतर आने-जाने के दौरान उन्हें पार कर के जाने की आवश्यकता नहीं है;

(viii) यह सुनिश्चित करना कि मतदान पार्टी के सभी सदस्य मतदान आरंभ होने के पहले ठीक-ठाक हालत में है तथा सभी सामग्री एवं अभिलेख नियत समय पर मतदान आरंभ करने के लिए सुलभ एवं तैयार है;

(ix) मतदान दल के किसी सदस्य या किसी मतदान अभिकर्ता को मतदान केन्द्र के भीतर घूमने फिरने से रोकना और उन्हें उनके आवंटित स्थानों पर बिठाए रखना;

(x) मतदान आरंभ करने का नियत समय होते ही वास्तविक मतदान आरम्भ करना;

(xi) मतदान की प्रगति के दौरान मतदाताओं की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखना तथा सतर्क और चौकस रहना, ताकि कोई मतदाता मतदान किए बिना न जा सके अथवा मशीन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हो।

(xii) यह सुनिश्चित करना कि मतदान के पहले घंटे के दौरान जब मतदान की गति सामान्यतः बहुत तेज होती है; मतदान पार्टी का कोई सदस्य अपने निर्धारित कर्तव्यों के प्रति किसी प्रकार की शिथिलता न दिखाए;

(xiii) यह सुनिश्चित करने के लिए कि मतदाताओं ने अपनी क्रम संख्यानुसार मतदान किया है, कंट्रोल यूनिटों पर डाले गए कुल मतों की जांच करना;

6. मतदान की समाप्ति

(1) पीठासीन पदाधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मतदान का समय समाप्त होने पर विहित मतदान प्रक्रिया के अनुसार मतदान सम्यक रूप से समाप्त हो गया है। अंतिम मतदाता द्वारा मतदान कर लेने के पश्चात कंट्रोल यूनिट के लिए **"क्लोज"** बटन दबाना चाहिए। विहित प्रारूपों को सावधानीपूर्वक एवं सम्यक रूप से भरे जाने के पश्चात बैलेट यूनिट को कंट्रोल यूनिट से अलग कर देना चाहिए और उन्हें सम्बद्ध वहन पेटियों में रखकर सील कर देना चाहिए।

(2) पीठासीन पदाधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी यूनिटों की वहन पेटियों पर सम्बद्ध निर्वाचन के पहचान स्टिकर सुस्पष्ट रूप से चिपका दिए गए हैं। उसे यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि बैलेट यूनिट एवं कंट्रोल यूनिट अपने सम्बद्ध वहन पेटियों (carrying boxes) में ही रखी गयी हैं जिनपर निर्वाचन पहचान लेबल अच्छी तरह चिपका दिया गया है। सम्यक रूप से भरे गए **एड्रैस टैगों** को भी सम्बद्ध वहन पेटियों पर चिपका देना चाहिए।

(3) पीठासीन पदाधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी सील की गयी यूनिट एवं निर्वाचन अभिलेख विहित प्रक्रिया के अनुसार प्राप्ति केन्द्र पर निर्वाची पदाधिकारी को सम्यक रूप से सुपूर्द कर दिए गए हैं।

अध्याय – 7

वोटिंग मशीन (बैलेट यूनिट एवं कंट्रोल यूनिट) की तैयारी

1. मतदान के पूर्व तैयारी

किसी मतदान केन्द्र पर वोटिंग मशीन का वास्तविक उपयोग किए जाने के पूर्व की तैयारी पीठासीन पदाधिकारी द्वारा मतदान प्रारंभ होने के पूर्व अभ्यर्थियों/ उनके अभिकर्ताओं की उपस्थिति में करनी है।

आपको इन प्रारंभिक तैयारियों की शुरूआत मतदान प्रारंभ होने के लिए नियत समय से लगभग एक घंटा पूर्व कर देनी चाहिए। **यदि कोई मतदान अभिकर्ता उपस्थित न हो, तो आपको उस मतदान अभिकर्ता के आने की प्रतीक्षा में तैयारियों को स्थगित नहीं रखना चाहिए और यदि कोई मतदान अभिकर्ता देर से आए तो तैयारियाँ फिर से शुरू नहीं करनी चाहिए।**

2. बैलेट यूनिट की तैयारियाँ

बैलेट यूनिट निर्वाची पदाधिकारी के स्तर पर पहले से ही पूरी तरह से सम्यक रूप से तैयार की हुई है और मतदान के दिन मतदान केन्द्र पर इस यूनिट की कोई और तैयारी करना अपेक्षित नहीं है, **सिवाय इसके कि एक–दूसरे को संयोजित करने वाले केबल को कंट्रोल यूनिट के प्लग में लगा देना है।**

मतदान केन्द्र के लिए रवाना होने के पूर्व अन्य मतदान सामग्रियों के साथ मशीन लेने के समय जाँच करनी होगी कि आपको जो बैलेट यूनिट उपलब्ध कराई गई है, उसमें मतपत्र स्क्रीन के अन्दर उचित रूप से लगाए और उचित रूप से पंक्तिबद्ध किए गए हैं; प्रत्येक यूनिट पर स्लाइड-स्विच समुचित स्थिति में सेट किया गया है और प्रत्येक यूनिट सम्यक रूप से सील की गई है, तथा सबसे ऊपर दाँए भाग और नीचे के दायें भाग, दोनों पर एड्रेस टैग लगे हैं।

3. मतदान के लिए वोटिंग मशीन का तैयार किया जाना

(1) मतदान केन्द्र में प्रयुक्त प्रत्येक मशीन के कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट पर एक ऐसा लेबल लगा होगा जिसपर

- (क) यदि निर्वाचन क्षेत्र का कोई क्रम संख्यांक हो, तो वह और उसका नाम;
- (ख) यथास्थिति, मतदान केन्द्र या केन्द्रों के क्रम संख्यांक और नाम;
- (ग) यूनिट का क्रम संख्यांक; और
- (घ) मतदान की तारीख चिह्नित होगी।

(2) मतदान के प्रारंभ होने से पूर्व पीठासीन पदाधिकारी मतदान अभिकर्ताओं तथा अन्य व्यक्तियों को प्रदर्शित करेगा कि **वोटिंग मशीन में पहले से ही कोई मत दर्ज नहीं किया गया है** और उस पर निर्दिष्ट लेबल लगा है। इसके बाद पीठासीन पदाधिकारी द्वारा मतदान हेतु कंट्रोल यूनिट निम्नवत सीलबन्द किया जायेगा। **इस प्रक्रिया को अपनाने के पूर्व कंट्रोल यूनिट का स्विच ऑफ कर लें तो सुविधा होगी।**

(3) वोटिंग मशीन के कंट्रोल यूनिट के सुरक्षित रूप से बन्द कराने के लिए पेपर सील का उपयोग किया जाता है। पीठासीन पदाधिकारी पेपर सील पर अपना हस्ताक्षर अंकित करेगा और उनपर मतदान अभिकर्ताओं में से उनसे हस्ताक्षर कराएगा, जो हस्ताक्षर अंकित करने की इच्छा रखते हों।

(4) पीठासीन पदाधिकारी इस प्रकार हस्ताक्षरित पेपर सील को बैलेट मशीन के कंट्रोल यूनिट में उसके लिए अभिप्रेत स्थान में तत्पश्चात् लाएगा, और उसे सुरक्षित रूप से बन्द और सीलबन्द करेगा।

(5) **कंट्रोल यूनिट को सुरक्षित रूप से बन्द करने के लिए उपयोग में लाई गई सीलें ऐसी रीति से लगाई जाएंगी कि यूनिट को सीलबन्द किए जाने के पश्चात सीलों को तोड़े बिना परिणाम बटन को दबाना संभव न हो।**

(6) कंट्रोल यूनिट सुरक्षित रूप से बन्द और सीलबन्द की जाएगी और इस प्रकार रखी जाएगी कि वह पीठासीन पदाधिकारी और मतदान अभिकर्ताओं को पूर्णतः दृष्टिगोचर रहे और बैलेटिंग यूनिट को मतदान कोष्ठ में रखा जाएगा।

4. निर्वाचक नामावली की चिह्नित प्रति

मतदान के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व पीठासीन अधिकारी, मतदान अभिकर्ताओं और अन्य उपस्थित लोगों को यह भी प्रदर्शित करेगा कि मतदान के दौरान काम में लायी जाने वाली निर्वाचक नामावली की चिह्नित प्रति में कोई अनावश्यक प्रविष्टि अन्तर्विष्ट नहीं है।

5. बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट का परस्पर संयोजन

(1) जहाँ लड़नेवाले अभ्यर्थियों की संख्या 16 से अधिक हो, वहां एक से अधिक बैलेट यूनिट प्रयुक्त की जाएंगी, जो लड़नेवाले अभ्यर्थियों की वास्तविक संख्या पर निर्भर करेंगी। किसी मतदान केन्द्र पर प्रयुक्त की जानेवाली ऐसी समस्त बैलेट यूनिटें परस्पर जुड़ी हुई होंगी और केवल पहली बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट से संयोजित होंगी।

(2) बैलेट यूनिटों को इस प्रकार परस्पर संयोजित किया जाएगा- द्वितीय बैलेट यूनिट, अर्थात वह बैलेट यूनिट जिसमें स्लाईड स्विच-2 की स्थिति पर सेट किया हुआ हो, पहली मतदान यूनिट, जिसमें स्लाइड स्विच-1 की स्थिति पर सेट किया हुआ हो, से जोड़ी जाएगी। जहां तीन बैलेट यूनिटें प्रयुक्त की जानी है, वहां तीसरी बैलेट यूनिट को दूसरी बैलेट यूनिट से जोड़ा जाएगा और दूसरी को पहली से । जहां सभी चारों बैलेट यूनिटें प्रयुक्त की जानी हो, वहाँ चौथी यूनिट तीसरी से जोड़ी जाएगी, तीसरी दूसरी से और दूसरी पहली से।

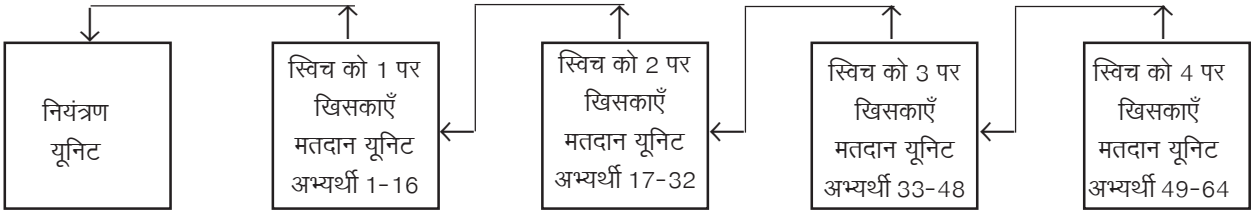

चार बैलेट यूनिटों के परस्पर संयोजन दर्शाने वाला रेखाचित्र

(3) किसी बैलेट यूनिट को दूसरी से जोड़ने के लिए बैलेट यूनिट के निचले भाग में स्थित एक खानें में एक सॉकेट है। दूसरी बैलेट यूनिट का परस्पर संयोजन करने वाला केबल का कनेक्टर पहली बैलेट यूनिट के ऊपर उल्लिखित सॉकेट के प्लग में लगाया जाएगा। इसी तरह तीसरी बैलेट यूनिट का परस्पर संयोजन करने वाला केबल का कनेक्टर दूसरी यूनिट के प्लग में लगाया जाएगा और चौथी यूनिट का तीसरी यूनिट में।

(4) जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, मात्र पहली बैलेट यूनिट को कंट्रोल यूनिट से प्लग किया जाएगा। कंट्रोल यूनिट का सॉकेट, जिसमें बैलेट यूनिट का परस्पर संयोजन करनेवाला केबल प्लग किया जाएगा, कंट्रोल यूनिट के पिछले खाने में लगाया गया है।

(5) कंट्रोल यूनिट के पिछले खाने में **"पॉवर स्विच"** भी है, और जब इस स्विच को **"ऑन"** स्थिति में किया जाता है, तो वोटिंग मशीन की बैट्री क्रियाशील हो जाती है और कंट्रोल यूनिट तथा समस्त बैलेट यूनिट को जब ऊपर वर्णित रीति से जोड़ा जाता है,विद्युत प्रवाह करती है।

टिप्पणी

(1) जब एक से अधिक यूनिटें उपयोग में लाई जा रही हों, तब उन्हें ऊपर की कंडिका 2 में यथा उल्लिखित उचित अनुक्रमिक रूप से परस्पर संयोजित करना चाहिए। बैलेट यूनिटों को गलत ढंग से जोड़ने से मशीन अक्रियाशील हो जाएगी और कंट्रोल यूनिट के किसी भी बटन को दबाने पर कंट्रोल यूनिट के प्रदर्शन पैनल पर संयोजन की गलती प्रदर्शित करनेवाले अक्षर एल.इ. (L.E.) दिखाई देंगे। संयोजन की गलती को दूर करने के लिए बैलेट यूनिटों को उचित अनुक्रमिक रूप से परस्पर संयोजन करना चाहिए।

(2) परस्पर संयोजन करनेवाले केबल का कनेक्टर, जिसका एक सिरा बैलेट यूनिट से जुड़ा है, एक "मल्टीपिन कनेक्टर" है। कनेक्टर अन्य बैलेट यूनिट या कंट्रोल यूनिट के सॉकेट में केवल एक रास्ते से ही जाता है । कनेक्टर की पिनें बहुत नाजुक होती है इसलिए कनेक्टर को सॉकेट में इतनी जोर से नहीं डालना चाहिए, जिससे पिन क्षतिग्रस्त हो जाए या मुड़ जाए। उचित रूप से कनेक्शन किए जाने पर ही मशीन कार्य करेगी।

(3) परस्पर संयोजन करनेवाले केबल के कनेक्टर का कंट्रोल यूनिट से या अन्य बैलेट यूनिट से संबंध विच्छेद कनेक्टर हुड के दोनों तरफ के स्प्रिंग जैसी क्लिपों को निर्मुक्त करके ही किया जा सकता है। ये स्प्रिंग जैसे क्लिप तभी निर्मुक्त होंगे, जब उन्हें एक साथ अन्दर की ओर दबाया जाए और स्प्रिंग जैसे क्लिप को ऐसे ही दबाए रखकर कनेक्टर को खींचा जाना चाहिए।

(4) बैलेट यूनिटों और कंट्रोल यूनिट को उचित रूप से जोड़ने या अलग करने के लिए कुछ अभ्यास अपेक्षित है, ताकि मशीन को किसी प्रकार की क्षति होने से बचाया जा सके। इस बात को पूरी तरह ध्यान में रखना चाहिए और आपको स्वयं बैलेट यूनिटों और कंट्रोल यूनिट को संयोजित करना सीखना चाहिए।

6. कंट्रोल यूनिट की तैयारी

(i) कंट्रोल यूनिट की जाँच

1. मतदान केन्द्र के लिए रवाना होने के पहले वितरण केन्द्र से कंट्रोल यूनिट की डिलीवरी लेते समय आपको अध्याय 3 की कंडिका 2 में यथाउल्लिखित के अनुसार यूनिट की जांच अवश्य करनी है।

2. आपने पहले ही जांच कर ली होगी कि कंट्रोल यूनिट का "कैंड सेट सेक्शन" सम्यक रूप से सील किया हुआ है और इसके साथ एड्रेस टैग मजबूती से लगे हैं और उस भाग में लगी बैट्री पूर्णतः क्रियाशील है।

(ii) कंट्रोल यूनिट की तैयारी

1. मतदान केन्द्र पर कंट्रोल यूनिट को उपयोग में लाने के पूर्व बैट्री लगाने और लड़नेवाले अभ्यर्थियों की संख्या व्यवस्थापन के लिए निर्वाची पदाधिकारी के स्तर पर की गई तैयारियों के अतिरिक्त मतदान केन्द्र पर कुछ और तैयारियाँ करना आवश्यक है।

2. पीठासीन पदाधिकारी द्वारा कंट्रोल यूनिट के लिए की जानेवाली तैयारी निम्न प्रकार है :-

(क) कंट्रोल यूनिट को बैलेट यूनिट या जहां एक से अधिक बैलेट यूनिटें उपयोग में लाई जानी हो, वहां पहली बैलेट यूनिट के साथ परस्पर संयोजन करना;

(ख) पावर स्विच को **"ऑन"** स्थिति में लाना;

(ग) उपर्युक्त (क) और(ख) में वर्णित कार्य करने के बाद पिछला खाना बंद करना ;

(घ) दिखावटी मतदान का संचालन करना;

(ङ) दिखावटी मतदान के पश्चात मशीन को **"क्लीयर"** करना और समस्त गणनाओं को **"शून्य"** पर सेट करना;

(च) **"परिणाम भाग"** को सुरक्षित करने के लिए **"ग्रीन पेपर सील"** लगाना और

(छ) **"परिणाम भाग"** के बाहरी ढक्कन को **बन्द** करना तथा **सील** लगाना

7. कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट का संयोजन करना

आप बैलैट यूनिट, या जहां एक से अधिक बैलेट यूनिटों का प्रयोग होता हो वहां प्रथम बैलेट यूनिट, के परस्पर संयोजक केबल का प्लग कंट्रोल यूनिट के पिछले खाने में इस प्रयोजन के लिए दिए गए सॉकेट में लगा दें।

8. "पावर स्विच" को "ऑन" करना

वोटिंग मशीन बैट्री से चलती है, जो निर्वाची पदाधिकारी के स्तर पर कंट्रोल यूनिट के **"कैंड सेट सेक्शन"** में लगाई गई है। बैट्री को क्रियाशील करने के लिए कंट्रोल यूनिट के पिछले खाने में एक **"पावर"** स्विच दिया गया है, जो कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट के परस्पर जुड़े रहने की दशा में दोनों को विद्युत की आपूर्ति करेगी। कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट का परस्पर संयोजन करने के बाद आप **"पावर"** स्विच को **"ऑन"** कर देंगे, तत्पश्चात कंट्रोल यूनिट से **"बीप"** की आवाज आएगी, और कंट्रोल यूनिट के प्रदर्शन भाग पर **"ऑन"** बत्ती से **"हरा"** प्रकाश आने लगेगा।

9. पिछला खाना बंद करना

अब आप पिछला खाना बंद कर दें। इसे मजबूती के साथ बंद करने के लिए एक पतले तार का टुकड़ा, इस प्रयोजनार्थ दिए गए दो छिद्रों में डाल दें और तार के सिरों को यथास्थिति कई बार मोड़ दें या गांठ लगा दें। ध्यान रहे कि पिछला खाना को सील नहीं करना है, क्योंकि मतदान समाप्ति के पश्चात बिजली का स्विच **"ऑफ"** करने और मतदान यूनिट का संबंध विच्छेद करने के लिए उसे पुनः खोलना अपेक्षित होगा।

अध्याय – 8

दिखावटी मतदान संचालन

"क्लीयर" वोटिंग मशीन का प्रदर्शन

1. मतदान प्रारंभ करने के पूर्व आपको न केवल अपना, बल्कि उपस्थित सभी मतदान अभिकर्ताओं का भी, समाधान करना है कि मतदान मशीन पूर्ण रूप से चालू हालत में है, तथा मशीन में पहले से कोई मत रिकार्ड किया हुआ नहीं है।

2. ऐसे समाधान के लिए उपस्थित सभी व्यक्तियों को **"क्लीयर"** बटन दबाकर दिखा दें कि सभी गणनांक शून्य पर सेट किए गए हैं। **"क्लियर"** बटन कंट्रोल यूनिट के **"परिणाम भाग"** के खाना में दिया गया है। यह खाना एक भीतरी द्वार और एक बाहरी ढक्कन द्वारों ढंका रहता है। भीतरी द्वार में **"क्लीयर"** बटन **"परिणाम –1"** बटन एवं **"परिणाम–2"** अथवा `रिजल्ट" बटन एवं `प्रिन्ट" बटन वाले खाना को ढकता है और बाहरी ढक्कन भीतरी द्वार के ऊपर रहता है तथा **"क्लोज"** बटन वाले खाना को ढकता है। क्लीयर बटन तक पहुंचने के लिए आप सर्वप्रथम बायीं ओर दी गई सिटकिनी को भीतर की ओर हल्के से दबाकर बाहरी ढक्कन खोलें। इसके पश्चात् भीतरी द्वार परिणाम-1 एवं परिणाम -2 अथवा रिजल्ट बटन एवं प्रिन्ट ऊपर दोनों छिद्रों में अंगूठा और अंगुली डालकर तथा सिटकिनियों को साथ-साथ भीतर दबाकर खोला जा सकता है। **किसी भी स्थिति में ऊपर वर्णित रीति से सिटकिनियों को खोले बिना भीतरी द्वार को बलपूर्वक नहीं खोला जाना चाहिए, अन्यथा यह अतिमहत्वपूर्ण खाना क्षतिग्रस्त हो जाएगा।**

3. जब **"क्लीयर"** बटन को दबाया जाएगा तब कंट्रोल यूनिट के प्रदर्शन पैनल पर अनुक्रमिक ढंग से निम्नलिखित जानकारी प्रदर्शित होने लगेगी:-

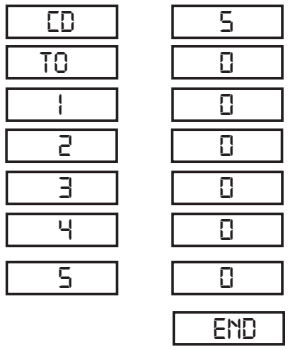

(प्रत्येक संकेत के पश्चात बीप की आवाज निकलेगी)

(यदि मशीन को 5 अभ्यर्थियों के लिए सेट किया गया हो)

टिप्पणी

यदि **"क्लीयर"** बटन दबाने पर प्रदर्शन पैनल ऊपर दर्शायी गयी जानकारी प्रदर्शित नहीं करता है तो इसका यह अर्थ होगा कि मशीन को **"क्लीयर"** करने के लिए आवश्यक कुछ आरंभिक क्रियाओं को नहीं किया गया है। मशीन **"क्लीयर"** करने के लिए यह सुनिश्चित कर लें कि बैलेट यूनिटों और कंट्रोल यूनिट को समुचित रूप से परस्पर जोड़ दिया गया है **"क्लोज"** बटन दबाएँ और उसके बाद **"परिणाम"** बटन दबाएँ। अब **"क्लीयर"** बटन दबाएँ। प्रदर्शन पैनल यथा उपर्युक्त जानकारी देना शुरू कर देगा।

4. प्रदर्शन पैनल पर उपर्युक्त जानकारी का प्रदर्शन मतदान केन्द्र पर उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं का यह समाधान करेगा कि मशीन में पहले से कोई मत रिकार्ड नहीं है।

दिखावटी मतदान

1. यथाउपर्युक्त प्रदर्शन के पश्चात कि मशीन में कोई मत रिकार्ड किया हुआ नहीं है, आप रैण्डम तौर पर प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए कुछ मत रिकार्ड करके दिखावटी मतदान आयोजित करेंगे।

2. इस प्रयोजन के लिए निम्नलिखित क्रियाओं का पालन करें :-

(क) नियंत्रण यूनिट के मत भाग के **"बैलेट"** बटन को दबाएँ। बैलेट बटन दबाने पर प्रदर्शन भाग में **"बिजी"** लैम्प **"लाल"** चमकेगा। इसके साथ-साथ बैलेट यूनिट पर रेडी लैम्प भी हरा चमकने लगेगा।

(ख) किसी मतदान अभिकर्ता को उसकी इच्छानुसार बैलेट यूनिट पर किसी अभ्यर्थी का बटन दबाने को कहें।

(ग) अभ्यर्थी के बटन को इस प्रकार दबाने पर, बैलेट यूनिट पर **"रेडी"** लैम्प बुझ जाएगा और बटन के नजदीक अभ्यर्थी का लैम्प **"लाल"** जलने लगेगा। कंट्रोल यूनिट से निकलती हुई **"बीप"** की आवाज भी सुनाई देगी। कुछ सेकण्ड के बाद अभ्यर्थी के लैम्प में **"लाल"** प्रकाश, **"बिजी"** लैम्प में लाल प्रकाश और **"बीप"** की आवाज बन्द हो जाएंगी। यह इस बात का संकेत होगा कि जिस अभ्यर्थी का बटन दबाया गया है, उसके लिए मत कंट्रोल यूनिट में रिकार्ड कर लिया गया है और अब मशीन अगला मत ग्रहण करने के लिए तैयार है।

(घ) शेष रहे प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए एक या अधिक मतों को रिकार्ड करने हेतु, उपर्युक्त कंडिका (क) (ख) एवं (ग) में वर्णित प्रक्रियाओं को दोहरावें। प्रत्येक अभ्यर्थी के संबंध में इस प्रकार रिकार्ड किए गए मतों का सावधानी पूर्वक हिसाब रखें।

(ङ) जब मत इस प्रकार रिकार्ड किए जा रहे हों, तब कंट्रोल यूनिट के मत भाग पर **"टोटल"** बटन को किसी भी समय या सत्यापित करने के लिए दबाएँ कि मशीन में रिकार्ड किए गए कुल मत उस समय तक डाले गए मतों की संख्या से मेल खाते हैं।

टिप्पणी:– "टोटल" बटन को किसी अभ्यर्थी के लिए मत रिकार्ड करने के पश्चात और प्रदर्शन भाग में **"बिजी"** लैम्प के बन्द हो जाने पर ही दबाया जाना चाहिए।

(च) दिखावटी मतदान की समाप्ति पर परिणाम भाग के **"क्लोज"** बटन को दबाएँ। इस प्रकार **"क्लोज"** बटन दबाए जाने पर प्रदर्शन भाग में प्रदर्शन पैनल अनुक्रमिक रूप में निम्नलिखित जानकारी दर्शायेंगे :-

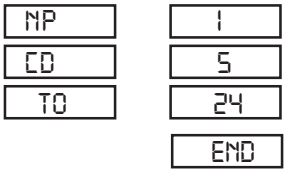

(यदि डाले गए मतों की संख्या 24 हो)

टिप्पणी :– समय की उपलब्धता के अधीन, दिखावटी मतदान में अधिक मत रिकार्ड करने की अनुज्ञा देने में कोई आपत्ति नहीं है। यह आवश्यक नहीं है कि रिकार्ड किए गए मतों की संख्या समान ही हो।

(छ) अब परिणाम भाग में परिणाम-1 या परिणाम चिह्नित बटन दबाएं। उस बटन को दबाने पर प्रदर्शन पैनल अनुक्रमिक रूप से निम्नलिखित जानकारी देना प्रारंभ कर देगा :-

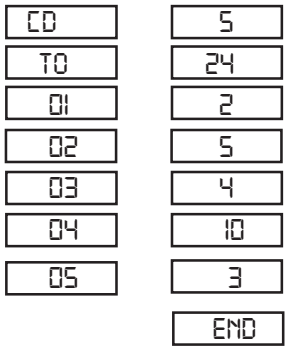

(ज) इसके बाद दिखावटी मतदान के दौरान रिकार्ड किए गए मतों के लेखा जोखा को **"क्लीयर"** बटन दबाकर क्लीयर करें। **"क्लीयर"** बटन को इस प्रकार दबाने पर ऊपर की कंडिका(3) में यथावर्णित शून्य आंकड़े प्रदर्शित होंगे।

अध्याय – 9

कंट्रोल यूनिट में पेपर सील लगाना

1. पेपर सील लगाना

(1) मतदान की परंपरागत पद्धति में जहां मतदान और मतपेटियां उपयोग में लाई जाती है, वहां आयोग द्वारा विशेष तौर पर मुद्रित पेपर सील लगाकर मतपेटियों को मुहरबंद और सुरक्षित किया जाता है। मतपेटी में एक बार पेपर सील लगा देने तथा पेटी का ढ़क्कन बन्द कर दिए जाने पर पेटी को तब तक खोला नही जा सकता और उसमें डाले गए मतपत्रों के साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती या गणना के लिए नहीं निकाला जा सकता जब तक कि पेपर सील को फाड़ न दिया जाए। इसी प्रकार के रक्षोपाय वोटिंग मशीन में भी किए गए हैं ताकि एक बार कंट्रोल यूनिट सीलबंद कर दिए जाने पर और मतदान प्रारंभ हो जाने पर कोई भी मतदान प्रक्रिया के साथ छेड़छाड़ न कर सके। ऐसा सुनिश्चित करने के लिए वोटिंग मशीन की कंट्रोल यूनिट में भी पेपर सील लगाने की व्यवस्था की गई है।

(2) पेपर सील लगाने के लिए कंट्रोल यूनिट के परिणाम भाग के भीतरी खाने के द्वार के अन्दर की ओर एक फ्रेम दिया गया है।

(3) सील को इस प्रकार लगाएँ कि उसकी सतह छेद में से बाहर दिखाई दे।

(4) यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि किसी भी हालत में कोई क्षतिग्रस्त पेपर सील का उपयोग नहीं किया जाए और यदि लगाने की क्रिया में कोई पेपर सील क्षतिग्रस्त हो जाए, तो उसी भीतरी खाने के द्वार को बंद करने से पहले तुरंत बदल दिया जाए।

2. पेपर सील पर पीठासीन पदाधिकारी और मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर

पेपर सील लगाने के बाद भीतरी खाना का द्वार अच्छी तरह दबाकर बन्द कर दिया जाए। इसे इस तरह बन्द किया जाए कि पेपर सील के दोनों किनारे भीतरी खाने के किनारों से बाहर की ओर निकले रहें। पेपर सील को इस प्रयोजनार्थ दिए गए फ्रेम में लगाने के पहले पीठासीन पदाधिकारी पेपर सील की श्वेत सतह पर पेपर सील की क्रम संख्या के ठीक नीचे अपना पूरा हस्ताक्षर करेंगे। इस पर उपस्थित ऐसे अभ्यर्थियों या मतदान अभिकर्ताओं से, जो अपना हस्ताक्षर करना चाहते हों, हस्ताक्षर कराए जाएंगे। **पीठासीन पदाधिकारी यह सत्यापित कर लेंगे कि पेपर सील पर मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर नियुक्ति पत्र पर उनके हस्ताक्षर से मेल खाते हों।**

3. पेपर सील का लेखा

(1) पीठासीन पदाधिकारी मतदान केन्द्र पर उपयोग के लिए उसे दी गई पेपर सील और उसके द्वारा कंट्रोल यूनिट को सील करने और सुरक्षित करने के लिए वस्तुतः उपयोग में लाई गई पेपर सील का सही लेखा रखेंगे। **उनके द्वारा ऐसे लेखा निर्वाचनों का संचालन विनिर्दिष्ट विहित प्रपत्र (रिकार्ड किए गए मतों का लेखा भाग-1) परिशिष्ट -XII में संधारित किया जाएगा।**

(2) पीठासीन पदाधिकारी उपस्थित अभ्यर्थियों या उनके मतदान अभिकर्ताओं को इस प्रकार उपयोग के लिए दी गई और वास्तविक रूप से उपयोग में लाई गई पेपर सील की क्रम संख्या लिख लेने की अनुमति देंगे।

अध्याय - 10

कंट्रोल यूनिट बंद एवं सील करना

1. स्पेशल टैग

(1) इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीनों में व्यवहार किए जाने वाले स्पेशल टैग का आकार 7.5 से.मी. ×5.5 से.मी. है। इसकी मोटाई पोस्टकार्ड की मोटाई के बराबर होती है। सामनेवाले भाग के ऊपर दाहिने कोने में धातु के छल्ला के साथ एक छेद होता है, जिसमें सील करने का धागा डाला जाता है। इसके अतिरिक्त दाहिने भाग में छेद के नीचे स्पेशल टैग पर एक खांचा कटा होता है, जो परिणामवाले खाना के द्वार की सिटकिनी में ठीक से फिट हो जाता है। स्पेशल टैग के मध्य में भी एक छेद रहता है, ताकि जब टैग को परिणाम भाग के **"क्लोज"** बटनवाले खाने में लगाया जाता है, तब **"क्लोज"** बटन इस प्रकार दिखाई देता है कि टैग से छेड़छाड़ किए बिना ही बटन संचालित किया जा सके।

(2) **"पेपर सील"** पर आपके और मतदान अभिकर्ताओं द्वारा हस्ताक्षर कर दिए जाने तथा उसे लगा एवं सुरक्षित कर दिए जाने के बाद **"क्लीयर"** बटन और **"रिजल्ट"** बटन के ऊपर भीतरी खाने के द्वार को अच्छी तरह दबाकर इस तरह बंद कर दिया जाए कि पेपर सील के दो खुले सिरे भीतरी द्वार की बगल से बहार की ओर निकले रहे। उसके बाद इस भीतरी द्वार को स्पेशल टैग से सील कर दिया जाए । इसके लिए निर्वाची पदाधिकारी द्वारा विशेष रूप से आपूर्ति किये गए उच्च क्वालिटी के दो धागे भीतरी द्वार में दिए गए दो छेदों से निकाले जाएँ और फिर उसे स्पेशल टैग में दिए गए छेद से निकाला जाए।

2. नियंत्रण यूनिट संख्या

(1) स्पेशल टैग का उपयोग करने के पूर्व आप स्पेशल टैग पर दी गई नियंत्रण यूनिट की क्रम संख्या लिख लेंगे।

(2) स्पेशल टैग पर दी गई कंट्रोल यूनिट की क्रम संख्या लिख लेने के बाद स्पेशल टैग के पीछे की ओर आप अपना हस्ताक्षर करेंगे। मतदान प्रारंभ होने से पूर्व मतदान केन्द्र पर उपस्थित अभ्यर्थियों/ मतदान अभिकर्ताओं से स्पेशल टैग के पीछे, यदि वे चाहें। अपना हस्ताक्षर करने के लिए कहेंगे। आप स्पेशल टैग पर पूर्व से छपी क्रम संख्या को पढ़कर सुना देंगे और उपस्थित अभ्यर्थियों/ मतदान अभिकर्ताओं से वह क्रम संख्या लिख लेने के लिए कहेंगे। यदि किसी वजह से स्पेशल टैग नष्ट हो जाए या फट जाए, तो आप दूसरा स्पेशल टैग उपयोग में लाएंगे। इस प्रयोजन के लिए पेपर सील की तरह निर्वाची पदाधिकारी द्वारा आपको तीन या चार स्पेशल टैग की आपूर्ति की जाती है।

यह सब करने के बाद धागा को बांध कर गांठ लगा दें और लाह से स्पेशल टैग पर धागा को सील कर दें। तत्पश्चात्, सील को तोड़े बिना स्पेशल टैग को **"क्लोज"** बटन वाले खाने में इस प्रकार समायोजित करेंगे कि **"क्लोज"** बटन स्पेशल टैग के मध्य में कटे छेद से बाहर निकला रहे।

3. परिणाम भाग के बाहरी ढक्कन को बंद एवं सील करना

(1) कंट्रोल यूनिट के परिणाम भाग को बंद एवं सील करने के बाद परिणाम भाग के बाहरी ढक्कन को ठीक से दबाकर उस भाग को बंद कर दें। उस बाहरी ढक्कन को दबाए जाने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि पेपर सील के दो खुले सिरे बाहरी ढक्कन के दोनों किनारों से बाहर की ओर निकले रहें।

(2) परिणाम भाग के बाहरी ढक्कन को बंद करने के बाद(1) बाहरी ढक्कन की बायीं ओर इस प्रयोजन के लिए उपलब्ध दो छेदों में से एक धागा डालकर, (2) धागा को बांधकर गांठ लगाकर ,(3) लेबल (एड्रेस टैग) लगाकर जैसा कि निर्वाची पदाधिकारी के स्तर पर **"कैंड सेट सेक्शन"** में लगाया गया है, पीठासीन पदाधिकारी की सील से एड्रेस टैग पर धागा को लाह से सील कर दें।

(3) एड्रेस टैग में निम्नलिखित विशिष्टियाँ होंगी:-
नगरपालिका निर्वाचन, 2017
कंट्रोल यूनिट संख्या .....
मतदान केन्द्र की क्रम संख्या और नाम .....
मतदान की तारीख .....

(4) निर्वाची पदाधिकारी द्वारा मतदान सामग्री के भाग के रूप में आपको पर्याप्त संख्या में खाली मुद्रित एड्रेस टैग उपलब्ध कराये जाएँगे। **आप एड्रेस टैग की विशिष्टियों को सतर्कतापूर्वक भरेंगे। प्रत्येक कंट्रोल यूनिट की क्रम संख्या इसके निचले भाग में अंकित है।**

(5) उपस्थित अभ्यर्थी या उनके मतदान अभिकर्ताओं को भी एड्रेस टैग पर आप अपनी सील के साथ-साथ उन्हें भी अपनी सील लगाने की अनुमति देंगे, यदि वे ऐसा करना चाहें।

(6) भीतरी खाने और बाहरी ढक्कन को इस प्रकार बंद करने और सील करने से संपूर्ण परिणाम भाग मुहर बंद और सुरक्षित हो जाएगा तथा कंट्रोल यूनिट द्वारा रिकार्ड किए गए मतों के साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकेगी।

4. स्ट्रिप सील

(1) इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीनों को सील करने की व्यवस्था को और सुधारने के लिए कंट्रोल यूनिट के परिणाम भाग को पूर्णतः सील करने के लिए बाहर से पेपर स्ट्रिप सील का प्रयोग किया जाएगा, ताकि कंट्रोल यूनिट का यह भाग, एक बार मतदान प्रारंभ हो जाने पर तथा गणना प्रारंभ करने तक खोला न जा सके। इससे यह सुनिश्चित होगा कि मशीन में मतदान केन्द्र पर प्रथम मत डाले जाने के समय से लेकर उसे गणना टेबुल पर लाए जाने तक स्ट्रिप सील को क्षतिग्रस्त किए बिना परिणाम भाग को कोई भी व्यक्ति खोल नहीं सकता।

(2) ऐसे प्रत्येक मतदान केन्द्र पर, जहां निर्वाचन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से होता हो, कंट्रोल यूनिट को स्ट्रिप सील द्वारा बाहर से पूर्णतः सुरक्षित और सील कर दिया जाएगा ताकि इस भाग को स्ट्रिप सील को क्षतिग्रस्त किए बिना खोला न जा सके। स्ट्रिप सील को परिणाम भाग के बाहरी द्वार पर **"क्लोज"** बटन को ढंकने वाले रबर कैप के ठीक नीचे इस प्रकार लगाया जाएगा कि **"क्लोज"** बटन को ढंकनेवाला रबर कैप स्ट्रिप सील से ढक न जाए।

5. स्ट्रिप सील का विस्तृत विवरण

(1) स्ट्रिप सील एक पेपर सील है, जिसकी लंबाई 23.5 इंच (तेईस दशमलव पांच इंच) और चौड़ाई 1 इंच होती है। स्ट्रिप की लंबाई ऐसी होती है कि उसे कंट्रोल यूनिट की चौड़ाई पर आसानी से लपेटा जा सके, ताकि मतगणना से पूर्व और जब अन्य मानक सीलों को कंट्रोल यूनिट पर लगाया जाए तब कंट्रोल यूनिट को एक बाहरी सील मिल जाए।

(2) प्रत्येक स्ट्रिप सील पर एक विशिष्ट पहचान संख्या होती है।

(3) ये स्ट्रिप सीलें आयोग द्वारा आपूरित की जाएगी।

(4) स्ट्रिप सील के दोनों सिरों पर चार गोंद लगे हुए भाग हैं। इनमें से तीन लगभग एक एक वर्ग इंच आकार के हैं (जिन्हें **'A', 'B'** और **'C'** अक्षर से पहचाना जा सकता है) और एक लगभग दो वर्ग इंच आकार का है (जिसे **'D'** अक्षर से पहचाना जा सकता है)। गोंद लगा प्रत्येक भाग वैक्स पेपर की पट्टी से ढ़का रहता है।

(5) स्ट्रिप सील में एक भीतरी परत और एक बाहरी परत होती है। स्ट्रिप की भीतरी परत के एक सिरे पर अगल-बगल में दो गोंद लगे हुए भाग हैं, जिनपर अक्षर **'A'** और **'B'** चिह्नित है। स्ट्रिप की भीतरी परत के दूसरे सिरे पर लगभग 2 इंच का गोंद लगा भाग है, जिसपर **'D'** निशान लगा है। स्ट्रिप की बाहरी परत पर गोंद लगा हुआ मात्र एक ही भाग है, जिस पर **'C'** निशान लगाया गया है। काला भाग स्ट्रिप भीतरी एवं बाहरी परत का गोंद लगा हुआ भाग को दर्शाता है।

6. पेपर सील लगाना

ग्रीन पेपर सील को खांचे(Slot), जो कि भीतरी द्वार की खिड़की में दिया गया है, और परिणाम बटनों को ढकता है, में बिठाने के बाद परिणाम भाग के ऊपर भीतरी एवं बाहरी द्वार बन्द कर दिया जाएगा। ऐसा करते समय ग्रीन पेपर सील के खुले सिरों को परिणाम भाग के ऊपर बाहरी द्वार के दोनों ओर से बाहर की ओर निकलते रहने दिया जाएगा।

7. कंट्रोल यूनिट को स्ट्रिप सील करने का पूर्ण तरीका

आसानी से समझने के लिए, पीठासीन पदाधिकारी द्वारा मतदान केन्द्र पर स्ट्रिप सील लगाने तक उठाए जाने वाले पूर्व अनुक्रमिक कदमों (steps) को नीचे दिया गया है:-

(1) असली मतदान प्रारंभ होने से पूर्व पीठासीन पदाधिकारी दिखावटी मतदान संचालित करेगा।

(2) दिखावटी मतदान संचालित करने तथा परिणाम दर्शाने के बाद पीठासीन पदाधिकारी क्लीयर बटन दबाकर दिखावटी मतदान से संबंधित कंट्रोल यूनिट के आंकड़े को **"क्लीयर"** कर देगा।

(3) **"क्लीयर"** करने के बाद वह पेपर सील परिणाम भाग के भीतरी द्वार की खिड़कियों को बन्द करने के लिए डालेगा। ग्रीन पेपर सील डालते समय यह सुनिश्चित करने की सतर्कता बरती जाए कि भीतरी द्वार को बन्द करने के बाद खिड़कियों से सील का हरा भाग दिखाई दें।

(4) पेपर सील डालने के बाद, परिणाम बटन के ऊपर का भीतरी द्वार बन्द कर दिया जाएगा।

(5) उसके बाद परिणाम भाग का भीतरी द्वार स्पेशल टैग से सील कर दिया जाएगा।

(6) स्पेशल टैग लगाने के बाद परिणाम भाग के बाहरी द्वार को इस तरह बन्द कर दें कि पेपर सील के खुले सिरे बन्द बाहरी द्वार के दोनों ओर बाहर की तरफ निकले हुए हों।

(7) उसके बाद पीठासीन पदाधिकारी धागा और एड्रेस टैग से बाहरी द्वार को सील कर देंगे।

(8) इसके पश्चात वह कंट्रोल यूनिट को स्ट्रिप सील से चारों तरफ इस प्रकार लपेटेगा कि परिणाम भाग बाहर से पूरी तरह सील हो जाए, ताकि वह भाग मतदान प्रारंभ हो जाने के बाद स्ट्रिप सील को क्षतिग्रस्त किए बिना खोला न जा सके।

(9) परिणाम भाग को बाहर से सील करने के लिए स्ट्रिप सील लगाने के पूर्व पीठासीन पदाधिकारी पेपर सील की क्रम संख्या के ठीक नीचे अपना पूरा हस्ताक्षर करेगा। उस पर उपस्थित ऐसे अभ्यर्थियों या उनके मतदान अभिकर्ताओं से हस्ताक्षर करवाया जाएगा, जो अपना हस्ताक्षर करना चाहते हों।

(10) उसके बाद स्ट्रिप सील को क्लोज बटन के ठीक नीचे लाया जाएगा।

8. स्ट्रिप सील से सील करने का तरीका

पहला कदम: स्ट्रिप सील के **'A'** चिह्नित गोंद लगे भाग को पेपर सील धरातल के पास इस तरह रखें कि ग्रीन पेपर सील द्वार के भीतरी सिरे से बाहर की ओर निकली रहे। **'A'** भाग से वैक्स पेपर हटा दें। इसके बाद ग्रीन पेपर सील की भीतरी परत को **'A'** चिह्नित गोंद लगे भाग पर ऊपर से दबाएँ। पेपर सील की बाहरी परत को भीतरी परत के ऊपर भी रखें।

दूसरा कदम: 'B' चिह्नित गोंद लगे भाग के ऊपर वैक्स पेपर को हटा दें और **'B'** चिह्नित इस गोंद लगे भाग को पेपर सील की बाहरी परत के ऊपर से दबाएं।

पेपर सील के ऊपर **'B'** को चिपकाने के बाद **'C'** चिह्नित गोंद लगा भाग सबसे ऊपर हो जाएगा।

तीसरा कदम: 'C' चिह्नित गोंद लगे भाग के ऊपर से वैक्स पेपर को हटा दें और पेपर सील के दोनों सिरों को, जो कि बाहरी द्वार के ऊपरी भाग से लटक रहे हैं, इस तरह से दबाएं कि पेपर सील की भीतरी परत गोंद लगे **'C'** भाग के ऊपर पूर्णतः चिपक जाए।

चौथा कदम: स्ट्रिप सील के बचे हुए भाग को कंट्रोल यूनिट की बायीं ओर से इस सतर्कता के साथ घुमाएँ कि स्ट्रिप सील **"क्लोज"** बटन के नीचे से निकले। स्ट्रिप सील के दूसरे सिरे को कंट्रोल यूनिट की दायीं ओर से बाहरी द्वार के ऊपर से लाऐं, जहां गोंद लगे हुए **'A', 'B'** एवं **'C'** चिह्नित भाग चिपकाए गए हैं।

पांचवा कदम: गोंद लगे **'D'** चिह्नित भाग को ढंकनेवाले वैक्स पेपर को हटा दें और द्वार के ऊपर भाग से लटक रही पेपर सील की बाहरी परत के ऊपर जोर से दबा दें। गोंद लगा **'D'** हिस्सा **"क्लोज"** बटन के नीचे **"स्ट्रिप सील"** के ऊपर फैल जाता है। इस फैले हुए **'D'** भाग को स्ट्रिप सील के ऊपर जोर से दबा दें। ऊपर दिए गए तरीके से पेपर सील के चारों खुले भाग, जो कि दरवाजे की दोनों ओर से लटक रहे हैं, पूर्णत चिपक जाते हैं और स्ट्रिप सील से जुड़ जाते हैं। इसी समय परिणाम भाग की बाहरी द्वार भी सभी तरफ से **"स्ट्रिप सील"** द्वारा सील भी कर दिया जाता है और इस सील को क्षतिग्रस्त किए बिना इस भाग को खोला नहीं जा सकता।

9. स्ट्रिप सील लगाने के बाद

कंट्रोल यूनिट को स्ट्रिप सील से सील करने के बाद पीठासीन पदाधिकारी यह सतर्कता बरतेगा कि सील मतदान के दौरान न तो क्षतिग्रस्त की जाए और न उसमें फेर बदल किया जाए तथा इस सील को मतदान के दौरान या उसके बाद मतदान केन्द्र पर हटाया नहीं जाएगा।

विहित समय पर मतदान समाप्त हो जाने के बाद पीठासीन पदाधिकारी स्ट्रिप सील को छेड़े बिना **"क्लोज"** बटन के ऊपर का कैप हटा देगा और मतदान बंद करने के लिए **"क्लोज"** बटन दबा देगा तथा फिर से **"कैप"** लगा देगा। मतदान समाप्त हो जाने के बाद अन्य औपचारिकताएँ पूर्ण करने के पश्चात पीठासीन पदाधिकारी सतर्कतापूर्वक कंट्रोल यूनिट को उसे ले जाने वाले खोल में बंद कर देगा और खोल को एड्रैस टैग से सील कर देगा। सील किया हुआ यह खोल मतगणना केन्द्र पर दे दिया जाएगा।

मतगणना वाले दिन स्ट्रिप सील से बंद कंट्रोल यूनिट का मतगणना टेबुल पर उपस्थित अभ्यर्थियों/मतदान अभिकर्ताओं द्वारा निरीक्षण करने की अनुमति दी जाएगी। इसके बाद ही यह सतर्कता बरतते हुए सील हटाई जाएगी कि पेपर सीलों को कोई नुकसान नहीं पहुंचे। बाहर की ओर लटक रहे पेपर सीलों का परीक्षण कर लेने के पश्चात कंट्रोल यूनिट के बाहरी द्वार पर लगे धागे वाले सील को खोला जाएगा।

10. महत्वपूर्ण सावधानियाँ

(1) स्ट्रिप सील इस तरह से लगाई जाएगी कि वह परिणाम भाग के बाहरी द्वार पर **"क्लोज"** बटन कैप के निचले भाग को ढंक दे। इस स्ट्रिप को लगाते समय यह सुनिश्चित किया जाएगा कि **"क्लोज"** बटन मुक्त रहे और वह स्ट्रिप से आंशिक रूप से भी ढंका न रहे, ताकि उस बटन को संचालित करने में कोई कठिनाई न हो।

(2) स्ट्रिप सील को मजबूती से लगाया जाएगा और वह ढीला-ढाला न हो।

(3) क्षतिग्रस्त स्ट्रिपों का उपयोग न करें।

(4) प्रत्येक मतदान केन्द्र को पेपर सील की तरह ही चार स्ट्रिप सील आपूरित की जाऐंगी।

(5) पीठासीन पदाधिकारी मतदान के संचालन के लिए मतदान केन्द्र के लिए आपूरित प्रत्येक स्ट्रिप सील का लेखा जोखा रखेंगे ।

(6) उपयोग में नहीं लाई गई प्रत्येक स्ट्रिप सील (आकस्मिक रूप से क्षतिग्रस्त स्ट्रिपो या उनके टुकड़े सहित) निर्वाची पदाधिकारी को लौटा देंगे। यदि स्ट्रिप सील किसी समय अन्य अनधिकृत व्यक्ति के हाथों में पायी जाती है, तो इसके लिए वे ही जिम्मेदार ठहराये जाएंगे।

(7) जिला निर्वाचन पदाधिकारी प्रत्येक निर्वाची पदाधिकारी को आपूरित किए गए स्ट्रिप सीलों की क्रम संख्या का एक रेकार्ड तैयार करवाएंगे। इसी तरह प्रत्येक निर्वाची पदाधिकारी प्रत्येक मतदान केन्द्र के लिए आपूरित स्ट्रिप सीलों का रिकार्ड रखेंगे।

11. वास्तविक मतदान के लिए तैयार वोटिंग मशीन

(1) अब वोटिंग मशीन वास्तविक मतदान के उपयोग के लिए सभी तरह से तैयार है।

(2) आप बैलेट यूनिट को मतदान कक्ष के भीतर रखेंगे, जैसा कि पहले ही अनुदेशित किया गया है। मतदान कक्ष आपकी टेबल से पर्याप्त दूरी पर स्थित हो, जहां कंट्रोल यूनिट रखी और परिचालित की जाएगी। बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट को परस्पर जोड़ने वाले केबल की लम्बाई लगभग पांच मीटर होती है। इसलिए, मतदान कक्ष युक्तियुक्त दूरी पर होना चाहिए। साथ ही केबल को इस तरह ले जाना चाहिए कि मतदान केन्द्र के भीतर मतदाताओं की आवाजाही में बाधा न पड़े और उन्हें उसको लांघ कर या उसपर छलांग लगाकर न जाना पड़े। मतदान कक्ष में इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन रखते समय यह पूरी तरह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि मतदान की गोपनीयता भंग न हो।

अध्याय – 11

मतदान का प्रारंभ

1. मतदान का प्रारंभ

मतदान के प्रयोजनार्थ नियत समय पर ही मतदान प्रारंभ करा दिया जाए। तबतक आपकी प्रारंभिक तैयारियाँ पूर्ण हो जानी चाहिए। **दुर्भाग्यवश यदि आप नियत समय पर मतदान कराने की स्थिति में न हों, तब भी आपको मतदान प्रारंभ करने अथवा उसके समापन के समय को विस्तारित करने का कोई प्राधिकार नहीं है।** मतदान के समापन हेतु नियत समय के बाद भी मतदान तभी जारी रखा जा सकता है, जब मतदान केन्द्र पर मतदान के समापन के नियत समय के भीतर उपस्थित उन सभी मतदाताओं, (जिन्हें आपके द्वारा हस्ताक्षरित पर्चियां वितरित कर दी गई हों, और वे सभी पंक्तिबद्ध हों।) ने मतदान कर लिया हो।

2. मतदान की गोपनीयता के संबंध में चेतावनी

मतदान प्रारंभ करने के पूर्व उपस्थित सभी व्यक्तियों को यह अवगत करा दें कि चुनाव की गोपनीयता बनाए रखना उनका कर्तव्य है तथा इस गोपनीयता को भंग करने पर उन्हें अधिनियम की धारा 465 के प्रावधानों के तहत् आर्थिक दंड दिया जा सकता है।

3. अमिट स्याही

अमिट स्याही के प्रभारी मतदान पदाधिकारी को यह बता दें कि अमिट स्याही की शीशी को सुरक्षित रखें और मतदान के दौरान स्याही गिरे नहीं, इसकी विशेष व्यवस्था कर लें।

4. निर्वाचक नामावली की चिह्नित प्रति

मतदान प्रारंभ होने के पूर्व, मतदान केन्द्र पर उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं तथा अन्य व्यक्तियों को आप यह भी दिखला दें कि चिह्नित प्रति के रूप में उपयोग के लिए **"निर्वाचक नामावली"** की प्रति में उन मतदाताओं के नामों के विरूद्ध, जिनको निर्वाचन कर्तव्य प्रमाण पत्र निर्गत किए गए हैं, चिह्न से भिन्न कोई अन्य चिह्न या प्रविष्टियाँ नहीं है।

5. मतदाता रजिस्टर

आप उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं और अन्य व्यक्तियों को यह भी दिखला दें कि मतदाता रजिस्टर में, जिसमें प्रत्येक ऐसे निर्वाचक के संबंध में प्रविष्टियाँ की जाएगी, जिसको मतदान की अनुमति दी जाती है और उसका हस्ताक्षर/ अंगूठे का निशान प्राप्त किया जाता है, पहले से किसी निर्वाचक के संबंध में कोई प्रविष्टि नहीं है। **परिशिष्ट–VI द्रष्टव्य।**

6. मतदान केन्द्र पर मतदाताओं के प्रवेश का विनियमन

पुरूष एवं महिला मतदाताओं के लिए अलग-अलग कतारें होंगी। पुरूष मतदाताओं और महिला मतदाताओं के लिए एक से अधिक कतार नहीं बनाने दी जाएगी।

7. आप केवल निम्नलिखित व्यक्तियों को मतदान केन्द्र में प्रवेश दें:–

(क) मतदाताओं

(ख) मतदान पदाधिकारियों

(ग) एक बार में प्रत्येक उम्मीदवार, उसके चुनाव अभिकर्ता, तथा प्रत्येक उम्मीदवार के एक मतदान अभिकर्ता

(घ) आयोग द्वारा प्राधिकृत व्यक्तियों

(ङ) कर्तव्य पर लगाए गए लोक सेवकों

(च) किसी मतदाता को हाथ थामकर लाने वाला बच्चा

(छ) किसी वैसे दृष्टिहीन अथवा अशक्त मतदाता को, जो स्वयं चल नहीं सकता अथवा बिना मदद के मतदान नहीं कर सकता के साथ आया व्यक्ति; और

(ज) ऐसे अन्य व्यक्ति जिन्हें समय समय पर पीठासीन पदाधिकारी मतदाताओं को पहचान करने के प्रयोजन से अथवा मतदान में उसको अन्यथा सहयोग देने के लिए प्रवेश करने की अनुमति दें।

अध्याय – 12

स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन के सुरक्षोपाय

1. पीठासीन पदाधिकारी द्वारा स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षोपाय की घोषणा

यह सुनिश्चित करने के क्रम में कि वोटिंग मशीन, निर्वाचक नामावली की चिह्नित प्रति और मतदान रजिस्टर के प्रदर्शन तथा हरे पेपर सील पर उम्मीदवारों/मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर प्राप्त करने तथा उन्हें अपना क्रमांक अंकित कर लेने की अनुमति से संबंधित पूर्ववर्ती अध्यायों में अन्तर्विष्ट अनुदेशों का सम्यक रूप से अनुपालन किया गया है, जो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य सुरक्षोपाय हैं, आपसे अपेक्षा की जाती है कि **मतदान प्रारंभ होने के पूर्व पीठासीन पदाधिकारी की घोषणा भाग–I (परिशिष्ट–XIII) में विहित घोषणा को पढ़कर सुना दें।** यह मतदान की गोपनीयता बनाए रखने के लिए आवश्यक घोषणा है एवं इसे इस प्रकार उच्च स्वर में पढ़कर सुनाएं कि मतदान केन्द्र पर उपस्थित सभी व्यक्ति इसे सुन सकें और इस पर अपना हस्ताक्षर कर दें तथा उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं में से जो हस्ताक्षर करना चाहें, उनका हस्ताक्षर भी इस पर प्राप्त कर लें। **आप उन मतदान अभिकर्ताओं के नाम भी दर्ज कर लें, जिन्होंने घोषणा पत्र पर अपना हस्ताक्षर करने से इन्कार किया हो।**

2. नई वोटिंग मशीन के उपयोग के समय अपनाई जाने वाली प्रक्रिया

यदि मतदान के दौरान बाह्य परिस्थितियों के अधीन नयी वोटिंग मशीन का उपयोग करना आवश्यक हो जाता है, तो आपसे पुनः अपेक्षा की जाती है कि **पीठासीन पदाधिकारी की घोषणा के भाग–2 (परिशिष्ट–XIII) में विहित अतिरिक्त घोषणा पढ़कर सुना दें।** (मतदान समाप्त होने पर इस रीति से आप पुनः भाग 3 में अतिरिक्त घोषणा दर्ज कर लें) घोषणा एक अलग पैकेट में रखी जाएगी और मतदान के बाद रिकार्ड किए गए मतों का लेखा और मतदाता रजिस्टर तथा पीठासीन पदाधिकारी की डायरी के साथ निर्वाची पदाधिकारी को सुपुर्द कर दी जाएगी।

अध्याय – 13

मतदान केन्द्र एवं उसके आस–पास की व्यवस्था

मतदान केन्द्र के भीतर अथवा उसके आस-पास होनेवाली किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या अव्यवस्था को दृढ़ता एवं निष्पक्षता पूर्वक निपटायें। सभी अभ्यर्थियों के साथ बिना किसी भेद भाव के समान व्यवहार करें तथा प्रत्येक विवादास्पद मामले का समाधान, विधि के प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में निष्पक्षता एवं न्यायपूर्ण ढ़ंग से करें। मतदान केन्द्र के भीतर तथा आस-पास व्यवस्था बनाये रखने के लिए आपको पर्याप्त अधिकार प्राप्त हैं। साथ ही आपके तथा आपके सहयोगी मतदान अधिकारी तथा मतदान केन्द्र पर उपस्थित अन्य पदाधिकारी/पदाधिकारियों

हेतु निष्पक्ष मतदान के लिए कुछ हिदायतें भी विहित हैं, जो नीचे दी गयी है, उनसे स्वयं एवं अन्य सभी मतदान कर्मियों को भली-भाँति अवगत करा दें। उन हिदायतों के उल्लंघन की स्थिति में उसके लिए जो दंड का विधान है, उससे भी उन्हें अवगत करा दें। मतदान प्रारंभ के पूर्व ही इस औपचारिकता की पूर्ति कर लें।

2. निर्वाचन कार्य से संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मचारी के लिए वर्जित कार्य :

निर्वाचन संबंधी किसी भी कार्य से संबद्ध कोई पदाधिकारी अथवा कर्मचारी ऐसी कोई भी विधि, नियम अथवा निदेश के विरूद्ध प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कार्य नहीं करेगा, जो किसी अभ्यर्थी के पक्ष अथवा विपक्ष में हो, अथवा उसे प्रभावित करे।

3. निर्वाचन संबंधी कर्त्तव्यों का पालन तथा मतदान की गोपनीयता बनाये रखना :

निर्वाचन की प्रक्रिया से सम्बद्ध सरकारी सेवक निर्वाचन संबंधी सभी बातों एवं कागजातों को गुप्त रखेगा एवं अन्य व्यक्ति को उससे अवगत नहीं करायेगा, जबतक ऐसा किया जाना आयोग अथवा सक्षम पदाधिकारी के निर्देश के अन्तर्गत नहीं हो।

4. मतदान केन्द्र के पास चुनाव प्रचार पर रोक :

(i) कोई व्यक्ति मतदान की तिथि को मतदान केन्द्र के भीतर या उससे 100 मीटर की दूरी तक में स्थित किसी सार्वजनिक या निजी स्थान में निम्न कार्य नहीं करेगा :-

(क) सभा का आयोजन,

(ख) मत के लिए आग्रह/याचना करना,

(ग) मतदान नहीं करने के लिए आग्रह या याचना करना,

(घ) किसी निर्वाचन प्रतीक का प्रदर्शन करना,

(ङ) शोर-गुल मचाना या ऐसा उच्छृंखल कार्य करना, जिससे मतदान केन्द्र में मतदाता या कर्त्तव्यरत पदाधिकारी या व्यक्ति को बाधा पहुँचे,

(च) मतदान केन्द्र के भीतर या प्रवेश द्वार पर या उसके आस-पास किसी सार्वजनिक या निजी स्थान में मेगाफोन या लाउडस्पीकर या ऐसे किसी उपकरण का परिचालन जिससे मतदान में बाधा पहुँचे। उपर्युक्त वर्जनाओं के उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध अधिनियम की धारा 460 के प्रावधानों के अन्तर्गत कारवाई की जायेगी।

5. मतदान केन्द्र से इ.वी.एम. को अन्यत्र ले जाना :

मतदान केन्द्र से धोखे से चोरी-छिपे अथवा भय दिखाकर इ.वी.एम. अथवा मतदान से सम्बन्धित कोई सामग्री ले जाने या ले जाने का प्रयास करने अथवा नष्ट करने की हालत में कारवाई के लिए आप तत्काल स्थानीय पुलिस अधिकारी को निर्देश दे सकते हैं। यदि आपको विश्वास है कि कोई व्यक्ति ऐसा अपराध कर रहा है या कर चुका है तब आप मतदान केन्द्र से बाहर जाने के पूर्व उसे गिरफ्तार करने के लिए किसी पुलिस अधिकारी को निर्देश दे सकते हैं। ऐसे व्यक्ति की तलाशी भी करा सकते हैं, परन्तु जब किसी महिला की तलाशी लेना आवश्यक हो तो किसी अन्य महिला द्वारा ही शिष्टता का पूरा ध्यान रखते हुए तलाशी कराई जाय।

6. अभ्याक्षेपन (Challenge) के लिए दण्ड :

यदि अभ्याक्षेपित व्यक्ति छद्मधारी सिद्ध हो जाय, तब उसके विरूद्ध अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कारवाई की जायेगी।

7. उपर्युक्त सभी पाबन्दियों एवं अपेक्षाओं के लिए आप किसी पुलिस अधिकारी को निदेश दे सकते हैं, और वह पुलिस अधिकारी समुचित कारवाई करेगा।

8. उपरोक्त अपराधों के लिए भारतीय दण्ड विधान (आई.पी.सी.) अन्तर्गत दण्डित करने का भी विधान है।

9. आपकी मुख्य जिम्मेवारी मतदान केन्द्र पर व्यवस्थित ढ़ंग से मतदान का संचालन करना है। मतदान केन्द्र से सुदूर होने वाली घटनाओं में आपको उलझने की जरूरत नहीं है। ऐसे सुदूर मामले की शिकायत आने पर शिकायतकर्त्ता को बतायें कि वे सम्बन्धित अन्य पदाधिकारी (पुलिस पदाधिकारी सहित) से सम्पर्क करें।

अध्याय – 14

मतदाताओं की पहचान

मतदान केन्द्र में प्रवेश करते ही निर्वाचक सीधे प्रथम मतदान पदाधिकारी के पास पहुँचेगा, जो निर्वाचन नामावली की चिह्नित प्रति का प्रभारी और निर्वाचकों की पहचान के लिए जिम्मेवार होगा। मतदान अधिकारी को निर्वाचन की पहचान का सत्यापन समुचित रूप से निर्वाचक नामावली में की गई प्रविष्टि के संदर्भ में करना चाहिए।

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत मतदाता फोटो पहचान पत्र (EPIC) नगरपालिका चुनाव में भी किसी मतदाता की पहचान का प्रमुख आधार होगा। उन मतदाताओं को जिन्हें ईपीक उपलब्ध कराया गया है, वे अगर बिना पर्याप्त औचित्य के इसे पीठासीन पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने में असफल रहते हैं, तो उन्हें पीठासीन पदाधिकारी द्वारा मतदान करने से वंचित किया जा सकता है। **उन मतदाताओं की पहचान, जिन्हें ईपीक नहीं दिया गया है, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट निम्न 15 अन्य वैकल्पिक साधनों से विनिश्चित किया जायेगा :–**

1. पासपोर्ट
2. ड्राईविंग लाईसेंस
3. आयकर पहचान पत्र (PAN Cards)
4. राज्य/ केन्द्र सरकार के कार्यालय, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकाय या पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किये जाने वाले फोटोयुक्त सेवा पहचान-पत्र;
5. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/ डाकघरों द्वारा जारी की गयी फोटोयुक्त पासबुक (दिनांक 28.02.2017 तक खोला गया खाता)
6. फोटोयुक्त स्वतंत्रता सेनानी पहचान पत्र;
7. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग का फोटोयुक्त जाति प्रमाण-पत्र;
8. सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिनांक 28.02.2017 तक जारी फोटोयुक्त शारीरिक विकलांगता प्रमाण-पत्र
9. दिनांक 28.02.2017 तक जारी फोटोयुक्त शस्त्र लाईसेंस
10. एम.एन. आर. ई. जी.एस. (मनरेगा) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के अधीन दिनांक 28.02.2017 तक जारी फोटोयुक्त जॉब कार्ड
11. फोटोयुक्त सम्पत्ति दस्तावेज यथा पट्टा, रजिस्ट्रीकृत केवाला इत्यादि
12. फोटोयुक्त पेन्शन दस्तावेज जैसे कि भूतपूर्व सैनिक पेन्शन बुक/ पेन्शन अदायगी आदेश/ भूतपूर्व सैनिक की विधवा/ आश्रित प्रमाण-पत्र/ वृद्धावस्था पेन्शन आदेश/ विधवा पेन्शन आदेश (दिनांक 28.02.2017 तक जारी)
13. फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना स्मार्ट कार्ड (श्रम मन्त्रालय योजना द्वारा दिनांक 28.02.2017 तक जारी)

14. मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था द्वारा जारी दिनांक 28.02.2017 या उससे पहले का विद्यार्थी पहचान पत्र।
15. आधार कार्ड।

उपर्युक्त दस्तावेजों की मान्यता तभी दी जायेगी, जब वे मूल रूप में प्रस्तुत किये जायें। पहचान हेतु दस्तावेज की फोटो कॉपी प्रस्तुत करने पर उसे पीठासीन पदाधिकारी द्वारा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

यह स्पष्ट किया जाता है कि ऊपर अंकित दस्तावेजों में अगर कोई दस्तावेज परिवार के मुखिया के नाम से हो, उसे भी परिवार के अन्य सदस्यों की पहचान के लिए स्वीकार किया जायेगा, बशर्ते कि सभी साथ आयें एवं उस दस्तावेज के आधार पर उनकी पहचान करना संभव हो।

पीठासीन पदाधिकारियों को यह भी स्पष्ट किया जाता है कि निर्वाचक पहचान पत्र में निर्वाचक के नाम, पिता/माता/पति का नाम, लिंग, आयु या पता से संबंधित प्रविष्टियों में सूक्ष्म अथवा साधारण विसंगतियों को नजर अंदाज कर निर्वाचकों को मत देने की अनुमति देंगे, जबतक कि उस पहचान पत्र से निर्वाचक की पहचान स्थापित होती हो। मतदाता सूची में यथादर्शित निर्वाचक पहचान पत्रों की क्रम संख्या में कोई विसंगति भी नजर अंदाज कर दी जायेगी।

अध्याय - 15

मतदाता पर अभ्याक्षेप (Challenge)

1. मतदाता की पहचान पर यदि कोई अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन या मतदान अभिकर्त्ता अभ्याक्षेप करता है तो अमिट स्याही का निशान लगाने के पूर्व किये गये अभ्याक्षेप पर विचार किया जाय। पहचान पर अभ्याक्षेप किये जाने पर पीठासीन पदाधिकारी मामले को अपने पास ले लें, और मतदान का क्रम जारी रखने को कहें। ऐसे अभ्याक्षेप पर नियमावली के **नियम-73** में दिये गये निदेशानुसार कारवाई करते हुए **प्रपत्र-20** में अपेक्षित सूचना भरते हुए आगे की कार्यवाही पीठासीन पदाधिकारी करें। ऐसे अभ्याक्षेप पर तभी विचार करें जब अभ्याक्षेपकर्त्ता द्वारा पीठासीन पदाधिकारी के पास 5 (पाँच) रूपये की धनराशि जमा कर दी गई हो। **प्रपत्र-20 परिशिष्ट-VII द्रष्टव्य।**

2. **प्रपत्र-20** को भरने के पश्चात् निम्नांकित कार्यवाही करे :-

(i) जिस मतदाता के सम्बन्ध में आपत्ति उठाई गई है, उसे प्रतिरूपण करने के लिए (अर्थात् जो वह नहीं है, वह बताने के लिए) यह चेतावनी दें कि ऐसा कृत्य भारतीय दण्ड विधान की धारा 171 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

(ii) मतदाता सूची की प्रविष्टियों को पूरी तरह पढ़कर सुनायें और उस व्यक्ति से यह पूछें कि क्या वह वही व्यक्ति है ? यदि वह हाँ कहे, तो उसका नाम और पता अभ्याक्षेपित मतों की सूची से संबंधित **विहित प्रपत्र** में दर्ज करें और उसमें हस्ताक्षर करने या अँगूठे का निशान लगाने को कहें।

(iii) उपरोक्त कारवाई के पश्चात् अभ्याक्षेप के सम्बन्ध में निम्नानुसार संक्षिप्त जाँच की जाय :-

(क) आक्षेपकर्त्ता से आक्षेप के प्रमाण में, अर्थात्, जिस मतदाता के संबंध में आक्षेप किया गया है, उसके वह न होने के बारे में तथ्य या साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए कहें।

(ख) जिस मतदाता के बारे में आक्षेप किया गया है, उससे वही होने के बारे में तथ्य/साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए कहें। इस हेतु आवश्यक प्रश्न पूछें, जैसे, इस वार्ड में वह कहाँ एवं कब से रह रहा है, क्या करता है, अपने मकान में निवास करता है या किरायेदार के रूप में निवास करता है, उसके रिश्तेदार और पड़ोसी कौन हैं, वार्ड के प्रमुख व्यक्ति कौन-कौन हैं आदि।

(ग) पक्ष-विपक्ष में साक्ष्य देने के लिए उपलब्ध/उपस्थित अन्य किसी से भी आप पूछ-ताछ कर सकते हैं।

(घ) उपर्युक्त पूछ-ताछ पीठासीन पदाधिकारी बयान लेकर कर सकते हैं, जिसपर बयान देने वाले का भी हस्ताक्षर प्राप्त किया जायेगा ।

(ङ) जाँच के बाद यदि आक्षेप सही पाया जाय, तो सम्बन्धित व्यक्ति को मत देने की इजाजत नहीं होगी।

(च) ऐसे प्रतिरूपण करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई करने के लिए मतदान केन्द्र पर तैनात पुलिस/सुरक्षाकर्मी के हाथ थाना प्रभारी को एक रिपोर्ट भेजेंगे और उक्त व्यक्ति को उसको सुपुर्द कर देंगे। इसका उल्लेख पीठासीन पदाधिकारी की डायरी में यथास्थान विवरण सहित अंकित करें। थाना अधिकारी को शिकायत पत्र **परिशिष्ट-VIII द्रष्टव्य।**

(छ) जाँच करने के बाद किये गये आक्षेप सिद्ध नहीं होने पर सम्बन्धित आक्षेपित मतदाता को मतदान की अनुमति दें। साथ ही अभ्याक्षेपकर्त्ता द्वारा जमा की गई राशि सरकार के पक्ष में जब्त करने का आदेश दें। इस तरह की जब्त राशि के लिये अभ्याक्षेपकर्त्ता को रसीद दी जायगी तथा जब्त की गयी राशि कलेक्शन सेन्टर पर जमा कर दी जायगी।

नोट : किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में अंकित रहने पर उसके मतदाता होने की योग्यता पर अभ्याक्षेपन नहीं किया जा सकेगा। मतदाता सूची में अंकित नाम पर किसी गलत आदमी द्वारा मत डालने के प्रयास करने पर उसके पहचान पर अभ्याक्षेपन किया जाना है। (Eligibility of voter can not be challenged, his identity only can be challenged.)।

अध्याय – 16

निर्वाचक को अपना मत रिकार्ड करने हेतु अनुज्ञात करने के पूर्व अमिट स्याही का लगाया जाना और उसका हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान प्राप्त करना

1. मतदाता की बायीं तर्जनी का निरीक्षण और अमिट स्याही का लगाया जाना

(1) प्रथम मतदान अधिकारी द्वारा किसी निर्वाचक की पहचान सत्यापित किए जाने के पश्चात और यदि उस निर्वाचक की पहचान के बारे में कोई चुनौती नहीं दी गई हो, तो यथासंभव शीघ्र द्वितीय अधिकारी द्वारा विहित रीति के अनुसार उसकी बांयी तर्जनी को अमिट स्याही से चिह्नित किया जाएगा। यदि कोई निर्वाचक अनुदेशों के अनुसार अपनी बांयी तर्जनी का निरीक्षण या चिह्नित करवाने से इन्कार करे या उसकी बांयी तर्जनी पर ऐसा कोई चिह्न पहले से ही हो या स्याही को हटाने के उद्देश्य से कोई भी कृत्य करे तो उसे मत देने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(2) यदि ऐसा देखने में आए कि किसी निर्वाचक ने अपनी अंगुली पर लगाए जाने वाले अमिट स्याही के चिह्न को प्रभावहीन करने के लिए अंगुली पर पहले से ही कोई तैलीय या चिकनाईयुक्त पदार्थ लगा लिया है, तो उस निर्वाचक की अंगुली पर से किसी कपड़े या कम्बल के टुकड़े की सहायता से ऐसा तैलीय या चिकनाईयुक्त पदार्थ मतदान अधिकारी द्वारा हटा दिया जाना चाहिए।

(3) ऐसे अमिट स्याही का चिह्न निर्वाचक की बाँयी तर्जनी पर उसके हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान अभिप्राप्त

करने के पूर्व लगाना अपेक्षित है, ताकि जब तक निर्वाचक अपना मत देने के पश्चात केन्द्र छोड़े तब तक अमिट स्याही को सूखने और एक सुस्पष्ट अमिट चिह्न बनने के लिए पर्याप्त समय मिल जाए।

2. नए सिरे से मतदान में अमिट स्याही का प्रयोग

नए सिरे से मतदान/प्रत्यादिष्ट मतदान/पुनर्मतदान के समय मूल मतदान में अमिट स्याही से लगाए गए चिह्न पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए और **मतदाता की बाँयी मध्यमा अंगुली के नाखून की जड़ में अमिट स्याही से नया चिह्न इस प्रकार लगााय जाए कि स्याही का भाग त्वचा और नाखून की जड़ के बीच में फैल जाए और एक स्पष्ट चिह्न रह जाए।**

3. निर्वाचक की बाँयी तर्जनी न होने की स्थिति में अमिट स्याही का लगाया जाना

यदि किसी निर्वाचक को बाँयी तर्जनी न हो तो अमिट स्याही उसकी ऐसी किसी भी अंगुली पर लगायी जानी चाहिए जो उसके बाँये हाथ में हो। यदि उसके बाँए हाथ में कोई भी अँगुली न हो तो स्याही उसकी दाँयी तर्जनी पर लगायी जानी चाहिए और यदि उसकी दाँयी तर्जनी भी न हो, तो उसकी दाँयी तर्जनी से प्रारंभ करते हुए उसके दाँये हाथ की किसी भी अन्य अंगुली पर स्याही लगायी जानी चाहिए। यदि उसके किसी भी हाथ पर कोई भी अंगुली न हो, तो स्याही उसके बाँए हाथ के ऐसे सिरे (ठूंठ) पर, जो वह कहे, लगायी जानी चाहिए।

4. मतदाताओं के रजिस्टर में निर्वाचक की निर्वाचक नामावली की संख्या का अभिलेख

1. पूर्व में स्पष्ट किया गया है कि द्वितीय मतदान अधिकारी द्वारा निर्वाचक की बाँयी तर्जनी को पहली बार चिह्नांकित करने के पश्चात मतदाता रजिस्टर में ऐसे निर्वाचक का अभिलेख रखना चाहिए और उस रजिस्टर में निर्वाचक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान अभिप्राप्त करना चाहिए।

2. ऐसा अभिलेख मतदाताओं के रजिस्टर में द्वितीय मतदान अधिकारी द्वारा निम्नलिखित रीति से रखा जाएगाः-

(1) सामान्यतः मतदाताओं के रजिस्टर (स्तम्भ -1) में क्रम संख्या क्रमवार पहले से ही मुद्रित रहती है। रजिस्टर के प्रत्येक पृष्ठ में 10 क्रम संख्याएं रहती है। यदि स्तंभ (1) में पहले से क्रम संख्याएं मुद्रित नहीं हैं, तो मतदान प्रारंभ होने के समय द्वितीय मतदान पदाधिकारी कुछ पृष्ठों पर पहले से ही ऐसी क्रम संख्याएं लिख सकता है।

(2) उक्त रजिस्टर के स्तम्भ (2) में द्वितीय मतदान अधिकारी निर्वाचक की निर्वाचक नामावली संख्या, (अर्थात्, क्रम संख्या) लिखेगा, जो निर्वाचक नामावली की चिह्नित प्रति में दर्ज है। उदाहरण के लिए :- अगर प्रथम निर्वाचक का नाम, जो मतदान प्रारंभ होने के समय मतदान केन्द्र पर मत डालने आता है, निर्वाचक नामावली की चिह्नित प्रति में क्रम संख्या 786 पर दर्ज है, तो द्वितीय मतदान अधिकारी मतदाताओं के रजिस्टर के स्तंभ 1 में क्रम संख्या 1 और द्वितीय स्तंभ में क्रम संख्या 786 लिखेगा। इसी प्रकार, यदि द्वितीय मतदाता का नाम निर्वाचक नामावली में क्रम संख्या 128 में दर्ज है, तो द्वितीय मतदान अधिकारी रजिस्टर के स्तंभ 1 में क्रम संख्या 2 और स्तम्भ 2 में क्रम संख्या 128 लिखेगा और इसी प्रकार आगे भी।

3. ऊपर वर्णित रीति में किसी निर्वाचक के संबंध में रजिस्टर के स्तम्भ (1) और (2) भर लेने के बाद द्वितीय मतदान अधिकारी रजिस्टर के स्तम्भ (3) में उसके हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान प्राप्त करेगा। मतदाता रजिस्टर के अभियुक्ति कॉलम में मतदाता फोटो पहचान पत्र (EPIC) एवं अन्य वैकल्पिक दस्तावेज के लिए क्रमशः 1 एवं 2 चिह्नित करने का प्रावधान दिया गया है। यदि कोई मतदाता पहचान पत्र के रूप में (EPIC) का प्रयोग करता है तो 1 लिखा जाएगा, यदि अन्य वैकल्पिक दस्तावेज के आधार पर उसे मत देने की अनुमति दी गई है, तो 2 लिखा जाएगा।

5. निर्वाचक का हस्ताक्षर

हस्ताक्षर से अभिप्रेत है किसी दस्तावेज पर किसी व्यक्ति का नाम उस दस्तावेज को अभिप्रमाणित करने के आशय से लिखा जाना है। किसी साक्षर व्यक्ति से मतदाताओं के रजिस्टर पर हस्ताक्षर करते समय उसका नाम अर्थात् पूरा नाम या नाम और उपनाम दोनों ही या किसी भी स्थिति में उसका पूरा उपनाम या नाम या तो पूरा अथवा उस नाम या नाम के लघु हस्ताक्षर लिखने की अपेक्षा की जाएगी। किसी साक्षर मतदाता के मामले में श्रेयस्कर तो यह होगा कि उससे हस्ताक्षर करने का अनुरोध किया जाए, अर्थात् उसका पूरा नाम और उपनाम दोनों हो। यदि कोई साक्षर व्यक्ति साधारणतः कोई चिह्न लगा दे और स्वयं को एक साक्षर व्यक्ति होने का दावा करते हुए उस चिह्न को ही हस्ताक्षर मान लेने पर जोर देता रहे, तो उस चिह्न को हस्ताक्षर नहीं माना जा सकता, क्योंकि , जैसा कि स्पष्ट किया जा चुका है कि साक्षर व्यक्ति के मामले में हस्ताक्षर से अभिप्रेत है स्वयं उस व्यक्ति द्वारा अपना नाम, दस्तावेज के अभिप्रमाण स्वरूप लिखना है। ऐसी स्थिति में यदि वह ऊपर दर्शितानुसार अपने पूरे नाम के हस्ताक्षर करने से इन्कार करता है, तो उस स्थिति में उसके अंगूठे का निशान लेना चाहिए। यदि वह अपने अंगूठे का निशान लगाने से भी इन्कार कर दे, तो उसे उपर्युक्त कंडिका के अधीन मतदान करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाना चाहिए।

6. नि:शक्त या शिथिलांग या कुष्ठरोगी मतदाताओं द्वारा मतदाताओं के रजिस्टर पर हस्ताक्षर /अंगूठे की छाप

किसी दृष्टिहीन मतदाता या कुष्ठरोग से पीड़ित मतदाता के अंगूठे का निशान मतदाताओं के रजिस्टर पर अभिप्राप्त किया जाना चाहिए। यदि ऐसा मतदाता साक्षर है, तो उसे अंगूठे के निशान के स्थान पर हस्ताक्षर करने के लिए अनुज्ञात किया जा सकेगा। शिथिलांग मतदाता के मामले में, जो अपना कोई भी हाथ काम में नहीं ले सकता हो तो उस स्थिति में उसका साथी रजिस्टर पर अपना हस्ताक्षर करेगा या अंगूठे का निशान लगाएगा। उस साथी के हस्ताक्षर या अंगूठे के निशान के संबंध में रजिस्टर में ऐसी प्रविष्टि के सामने एक नोट लिखा जाना चाहिए।

7. निर्वाचक को मतदाता पर्ची का जारी किया जाना

1. किसी निर्वाचक की बाँयी तर्जनी पर अमिट स्याही लगाने और मतदाताओं के रजिस्टर में उससे संबंधित प्रविष्टि करने और उस रजिस्टर पर उसके हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान अभिप्राप्त करने के पश्चात द्वितीय मतदान अधिकारी उस निर्वाचक के लिए एक मतदाता पर्ची निम्नलिखित प्रारूप में तैयार करेगा:-

मतदाता पर्ची

मतदाताओं के रजिस्टर के स्तंभ (1) के अनुसार निर्वाचक की क्रम संख्या .....

निर्वाचक नामावली में यथाप्रविष्ट निर्वाचक की क्रम संख्या .....

मतदान अधिकारी के लघु हस्ताक्षर .....

2. ये मतदाता पर्चियाँ निर्वाची पदाधिकारी/ जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) द्वारा किसी पोस्टकार्ड के आधे आकार के कागज पर मुद्रित करायी जाएंगी और आपके मतदान केन्द्र को समनुदेशित निर्वाचकों की संख्या को ध्यान में रखते हुए पचास या सौ पर्चियों के बन्डल के रूप में आपको उपलब्ध कराई जाएंगी।

3. उपर्युक्त कंडिका के अधीन प्रत्येक निर्वाचक के संबंध में द्वितीय मतदान अधिकारी द्वारा तैयार की गई मतदाता पर्चियाँ उसके द्वारा उस निर्वाचक को प्रदान की जाएगी और निर्वाचक को पीठासीन पदाधिकारी या यथास्थिति तृतीय मतदान अधिकारी, जो मतदान मशीन की कंट्रोल यूनिट का प्रभारी हो, के पास जाने के लिए निदेशित किया जाएगा।

अध्याय – 17

मतों का रिकार्ड किया जाना और मतदान प्रक्रिया

मत रिकॉर्ड करने के लिए निर्वाचकों को अनुज्ञात किया जाना

1. निर्वाचक जैसे ही द्वितीय मतदान अधिकारी द्वारा उसे जारी की गयी मतदाता पर्ची के साथ आपके या यथास्थिति वोटिंग मशीन के कंट्रोल यूनिट के प्रभारी तृतीय मतदान अधिकारी के पास आएगा, वैसे ही उसे ऐसी मतदाता पर्ची के आधार पर मत डालने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा।

2. यह अत्यन्त आवश्यक है कि वोटिंग मशीन में आप निर्वाचकों के मत उसी क्रम में रिकार्ड कराएं, जिस क्रम में वे मतदाताओं के रजिस्टर में दर्ज किए गए हैं। आपको या कंट्रोल यूनिट के प्रभारी मतदान अधिकारी को मतदान पर्ची में उल्लिखित क्रम संख्या के अनुसार ही मतदाता को मतदान कक्ष में जाने के लिए अनुज्ञात करना चाहिए।

3. यदि किसी असाधारण परिस्थिति या अपरिहार्य कारण से किसी निर्वाचक के बारे में ऐसी निश्चित क्रम संख्या का अनुसरण करना संभव न हो, तो वही क्रम संख्या जिस पर वह मत डाल चुका है दर्शाने वाली एक उपयुक्त प्रविष्टि मतदाताओं के रजिस्टर के अभ्युक्ति स्तंभ में संबंधित व्यक्ति के सामने रिकार्ड की जाएगी। पश्चातवर्ती मतदाता जिसका क्रम उसके कारण से उलट पुलट हो गया है के संबंध में समान रूप से प्रविष्टि भी की जानी चाहिए।

4. निर्वाचकों से प्राप्त समस्त मतदाता पर्चियां सावधानीपूर्वक सुरक्षित रखी जाएगी और मतदान के अंत में एक पृथक कवर में रखी जाएगी।

5. निर्वाचक से मतदाता पर्ची संग्रहित कर लेने के पश्चात उसकी बाएं तर्जनी की आप द्वारा/ कंट्रोल यूनिट के प्रभारी तृतीय मतदान अधिकारी द्वारा जांच की जाएगी। यदि उस पर लगी हुई अमिट स्याही अस्पष्ट है या हटा दी गयी है, तो उसे दुबारा सही तरीके से लगा दिया जाएगा।

6. तब निर्वाचक को अपना मत रिकार्ड करने के लिए मतदान कक्ष में जाने के लिए निर्देशित किया जाएगा।

2. मतदान प्रक्रिया

1. निर्वाचक अपना मत रिकार्ड कर सके इसके लिए कंट्रोल यूनिट का **"बैलेट"** बटन उस यूनिट के प्रभारी तृतीय मतदान अधिकारी द्वारा दबाया जाएगा, जो मतदान कक्ष में मत रिकार्ड करने के लिए बैलेट यूनिट को तैयार रखेगा। **"बैलेट"** बटन दबाए जाने पर कंट्रोल यूनिट की **"बिजी"** बत्ती लाल हो जाएगी और साथ ही साथ मतदान कक्ष में बैलेट यूनिट पर **"रेडी"** बत्ती हरी हो जाएगी।

2. निर्वाचक मतदान कक्ष में बैलेट यूनिट पर अपनी पसन्द के अभ्यर्थी के नाम और प्रतीक के सामने उपलब्ध **"केंडीडेट बटन"** को दबा कर अपना मत रिकार्ड करेगा। जैसे ही वह बटन दबाएगा मतदान यूनिट पर उस अभ्यर्थी के नाम और प्रतीक के सामने उपलब्ध बत्ती **"लाल"** होना शुरू हो जाएगी और बैलेट यूनिट पर **"हरी"** बत्ती बुझ जाएगी। कंट्रोल यूनिट से बाहर आनेवाली **"बीप"** ध्वनि भी सुनायी देगी। कुछ ही क्षणों पश्चात **"बीप"** ध्वनि और बैलेट यूनिट पर **"कैंडीडेट"** लैम्प की **"लाल"** बत्ती और कंट्रोल यूनिट पर **"बिजी"** लैम्प की **"लाल"** बत्ती भी बन्द हो जाएगी।

3. ये दृश्य ओर श्रव्य संकेत इस बात के द्योतक हैं कि मतदान कक्ष में उपस्थित मतदाता अपना मत रिकार्ड कर चुका है। मतदाता को तत्काल मतदान कक्ष से बाहर आ जाना चाहिए, और मतदान केन्द्र छोड़ देना चाहिए।

4. यदि कोई मतदाता मतदान प्रक्रिया से परिचित न हो और वह सहायता चाहे, तो मतदान अभिकर्ताओं के समक्ष निर्वाचक को ऊपर में दी गयी प्रक्रिया समझा दी जानी चाहिए। किसी भी परिस्थिति में मतदाता की सहायता के लिए किसी व्यक्ति को मतदान कक्ष में प्रवेश **नहीं** करने देना चाहिए।

3. डाले गए मतों की संख्या का समय-समय पर मिलान

1. किसी भी समय यदि उस समय डाले गए मतों की कुल संख्या अभिनिश्चित की जानी हो तो कंट्रोल यूनिट पर **"टोटल"** बटन दबाया जाना चाहिए। तब कंट्रोल यूनिट पर का **"प्रदर्शन पैनल"** उस समय तक डाले गए कुल मतों की संख्या दर्शाएगा। ऐसा समय-समय पर किया जाना चाहिए और उसका मिलान **"मतदाताओं के रजिस्टर"** के अनुसार उस समय तक मत देने के लिए अनुज्ञात मतदाताओं की संख्या से करना चाहिए।

2. पीठासीन पदाधिकारी को प्रत्येक दो घण्टे के अन्तराल में किसी भी समय डाले गए मतों की संख्या अभिनिश्चित करनी चाहिए और उसका मिलान करना चाहिए तथा **"पीठासीन पदाधिकारी की डायरी"** से संबंधित स्तम्भ में डाले गए मतों की संख्या अभिलिखित करनी चाहिए।

3. **"टोटल"** बटन को केवल तब दबाना चाहिए, जब **"बिजी"** लैम्प चालू न हो अर्थात केवल मत देने के लिए अनुज्ञात निर्वाचक के द्वाराअपना मत रिकार्ड कर देने के पश्चात और अगले निर्वाचक को **"बैलेट"** बटन दबाकर मत देने के लिए अनुज्ञात करने के पूर्व।

4. मतदान के दौरान मतदान कक्ष में पीठासीन पदाधिकारी का प्रवेश

1. जब कभी पीठासीन पदाधिकारी को इस बारे में कोई संदेह हो या संदेह करने का कारण हो, कि पर्दायुक्त मतदान कक्ष में रखी गयी बैलेट यूनिट ठीक ढंग से कार्य नही कर रही है या निर्वाचक जिसने मतदान कक्ष में प्रवेश किया है बैलेट यूनिट से छेड़छाड़ कर रहा है या अन्यथा हस्तक्षेप कर रहा है या असम्यक लम्बी अवधि तक मतदान कक्ष में रूका हुआ है, तो पीठासीन पदाधिकारी को ऐसे मामलों में मतदान कक्ष में प्रवेश करने और ऐसे कदम उठाने का अधिकार है जो यह सुनिश्चित करने के लिए वह आवश्यक समझे कि बैलेट यूनिट से किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं की गयी है या उसके हस्तक्षेप नहीं किया गया है और मतदान निर्बाध गति और व्यवस्थित रूप से चल रहा है।

2. जब कभी भी पीठासीन पदाधिकारी मतदान कक्ष में प्रवेश करे, तो उसे उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं को अपने साथ जाने के लिए अनुज्ञात करना चाहिए, यदि वे ऐसी इच्छा करें।

अध्याय - 18

दृष्टिहीन/नि:शक्त मतदाता द्वारा मतदान

मतदान केन्द्र में दृष्टिहीन/नि:शक्त मतदाता मतदान करने के लिए आ सकते हैं। ऐसी स्थिति में उस मतदाता का एक सहायक, जो 18 (अठारह) वर्ष से कम आयु के न हो, रखने की अनुमति प्रदान की जायगी। सहायक द्वारा **प्रपत्र-18(क)** में एक घोषणा-पत्र हस्ताक्षरित कर दाखिल किया जायगा। तदुपरान्त सहायक, मतदाता की इच्छानुसार, मत अंकित करेगा। पीठासीन पदाधिकारी द्वारा ऐसे मतदाताओं का विवरण **प्रपत्र-18(ख)** में संधारित किया जायेगा। **प्रपत्र-18(क) एवं 18(ख) परिशिष्ट-IX एवं X पर द्रष्टव्य।**

अध्याय – 19

निर्वाचक का मत नहीं देने का विनिश्चय

यदि कोई मतदाता रजिस्टर में उसकी निर्वाचक नामावली संख्या की सम्यक रूप से प्रविष्टि हो जाने और उस रजिस्टर पर उसके हस्ताक्षर/ अंगूठे का निशान लगाने के पश्चात अपना मत रिकार्ड नहीं करने का विनिश्चय करता है, तो अपना मत रिकार्ड करने के लिए उस पर दबाव नहीं डाला जाएगा या उसे बाध्य नहीं किया जाएगा।

मतदाताओं के रजिस्टर में उससे संबंधित प्रविष्टि के सामने **अभ्युक्ति के स्तम्भ में आपके द्वारा इस आशय की एक अभ्युक्ति अंकित की जाएगी कि वह अपना मत रिकार्ड नहीं करने का विनिश्चय कर चुका है। ऐसी अभ्युक्ति के सामने ऐसे निर्वाचक का हस्ताक्षर या अँगूठे का निशान ले लिया जायेगा।**

अध्याय – 20

निर्वाचकों द्वारा मतदान की गोपनीयता बनाए रखना

1. मतदान प्रक्रिया का कड़ाई से पालन करना

(1) ऐसा प्रत्येक निर्वाचक, जिसे मत देने के लिए अनुज्ञात किया गया है, मतदान केन्द्र के भीतर मतदान की पूर्ण गोपनीयता बनाए रखेगा और इस प्रयोजन के लिए मतदान प्रक्रिया का अनुपालन करेगा।

(2) मतदान करने के लिए अनुज्ञात किए जाने पर तत्काल निर्वाचक पीठासीन पदाधिकारी के पास या मतदान मशीन की कंट्रोल यूनिट के भार साधक मतदान अधिकारी के पास जाएगा, जो कंट्रोल यूनिट पर समुचित बटन दबा कर, निर्वाचक का मत रिकार्ड करने के लिए बैलेट यूनिट को सक्रिय करेगा।

(3) निर्वाचक उसके पश्चात तत्काल –

(क) मतदान कक्ष में जाएगा;

(ख) उस उम्मीदवार के नाम और प्रतीक के सामने, जिसको वह मत देना चाहता है, बैलेट यूनिट का बटन दबा कर अपना मत रिकार्ड करेगा; और

(ग) मतदान कक्ष से बाहर चला जाएगा।

(4) प्रत्येक निर्वाचक असम्यक विलंब किए बिना मतदान करेगा।

(5) जब मतदान-कक्ष में कोई निर्वाचक है, तब किसी अन्य निर्वाचक को उसमें प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा।

2. मतदान प्रक्रिया का पालन करने से इनकार

यदि कोई निर्वाचक पीठासीन पदाधिकारी द्वारा चेतावनी देने के पश्चात भी मतदान प्रक्रिया का पालन करने से इनकार करे, तो पीठासीन पदाधिकारी या मतदान पदाधिकारी के निर्देश के अधीन कोई मतदान अधिकारी ऐसे निर्वाचक को मत देने के लिए अनुज्ञात नहीं करेगा। यदि उस निर्वाचक को मतदाता पर्ची पहले से ही जारी कर दी गयी हो, तो ऐसी पर्ची उससे वापस ले लेनी चाहिए और रद्द कर देनी चाहिए।

जहाँ किसी निर्वाचक को मतदान प्रक्रिया के अतिक्रमण के कारण मत देने के लिए अनुज्ञात नहीं किया गया हो, वहां पीठासीन पदाधिकारी द्वारा मतदाताओं के रजिस्टर में अभ्युक्ति स्तम्भ में उस निर्वाचक से संबंधित प्रविष्टि के इस आशय की एक अभ्युक्ति अंकित की जाएगी कि **"मतदान करने की अनुमति नहीं दी गयी; मतदान प्रक्रिया का अतिक्रमण किया गया है।"** आप उस प्रविष्टि के नीचे अपना हस्ताक्षर भी करेंगे। किन्तु मतदाताओं के रजिस्टर के स्तम्भ (1) में उस निर्वाचक या किसी उतरवर्ती निर्वाचक की क्रम संख्या में कोई परिवर्तन करना आवश्यक नहीं होगा।

अध्याय – 21

निविदत्त मतपत्र (Ballot Paper for Tendered Vote)

यदि कोई व्यक्ति स्वयं को मतदाता बताते हुए मताधिकार का प्रयोग करने की मांग करे और मतदाता सूची के अवलोकन से यह ज्ञात हो कि उस नाम से कोई अन्य व्यक्ति पहले ही मतदान कर चुका है, तो पीठासीन पदाधिकारी पूछताछ के दौरान यदि संतुष्ट हो जाते हैं कि वह वास्तव में सही मतदाता है, तो ऐसे व्यक्ति को मतदान करने देंगे। निर्वाची पदाधिकारी इस कार्य के लिए प्रत्येक मतदान केन्द्र को ऐसे 20 मतपत्र उपलब्ध कराएगा, जो उसने वोटिंग मशीनों की बैलेट यूनिटों में उपयोग के लिए निविदत्त मतपत्रों के रूप में उपयोग में लाए जाने हेतु मुद्रित कराया है। पीठासीन पदाधिकारी द्वारा निर्वाचक को निविदत्त मतपत्र देते समय उसे स्याही लगी हुई वोटिंग स्टिक की मुहर दी जाएगी। निविदत्त मतपत्र प्राप्त करने के पश्चात संबंधित निर्वाचक मतदान कक्ष में उस अभ्यर्थी के प्रतीक पर या उसके पास के निधार्रित जगह पर जिसे वह मत देने का इच्छा रखता हो, उक्त मुहर से निशान लगाकर अपना मत चिह्नित करेगा। तब निर्वाचक निविदत्त मतपत्र को ऐसे मोड़ेगा कि उसका मत छिप जाये और पीठासीन पदाधिकारी को सौंप देगा। ऐसे निविदत्त मतों की सूची पीठासीन पदाधिकारी **प्रपत्र–19 (परिशिष्ट–XI)** में स्वयं तैयार करेंगे एवं उसपर अन्यान्य प्रविष्टियाँ अंकित करके मतदाता का हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लेंगे। पीठासीन पदाधिकारी निविदत्त मतपत्र, मतपत्रों की आखिरी गड्डी में से अंतिम क्रमांक की ओर से जारी करेंगे एवं निविदत्त मतपत्र प्राप्त करने वाला मतदाता का हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान **प्रपत्र–19** में प्रासंगिक प्रविष्टि के सामने करायेंगे और मतदान की समाप्ति पर निविदत्त मतपत्र एवं **प्रपत्र–19** में तैयार सूची को लिफाफे में सीलबन्द कर देंगे। ऐसे निविदत्त मतपत्रों की संख्या **"रिकार्ड किए गए मतों का लेखा भाग–1"** (**परिशिष्ट–XII**) में उपयुक्त स्थान पर अंकित करेंगे।

अध्याय – 22

निर्वाचन कर्त्तव्य प्रमाण पत्र के आधार पर मतदान

निर्वाचन कर्त्तव्यारूढ़ पीठासीन पदाधिकारी, मतदान पदाधिकारी तथा अन्य पदाधिकारी एवं निर्वाचन या मतदान अभिकर्त्ता को अपना मताधिकार का प्रयोग, यदि वे चाहें तो, करने की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। पीठासीन पदाधिकारी, मतदान पदाधिकारी, निर्वाचन अभिकर्त्ता या मतदान अभिकर्त्ता जो वार्ड का मतदाता होने के कारण विधिमान्य रूप से मत देने हेतु अधिकृत है या ऐसे मतदान केन्द्र पर कर्त्तव्य में प्रतिनियुक्त हो, जहाँ उसे मत देने का हक नहीं है, निर्वाची पदाधिकारी को प्रपत्र-21 में एक प्रमाण पत्र के लिए आवेदन देगा, जो उसे उस मतदान केन्द्र पर मतदान करने का हक दे सके। ऐसा आवेदन निर्वाची पदाधिकारी को कम से कम चार दिन पूर्व या ऐसी छोटी अवधि के बीच पहुँचना चाहिए, जो निर्वाची पदाधिकारी मतदान तिथि के पूर्व स्वीकृत करें। निर्वाची पदाधिकारी का समाधान हो जाने के पश्चात आवेदक नगरपालिका का कोई लोक सेवक अथवा वार्ड में निर्वाचन अभिकर्त्ता या मतदान अभिकर्त्ता है, वह प्रपत्र-22 में आवेदक को `निर्वाचन कर्त्तव्य प्रमाण-पत्र' निर्गत करेगा तथा मतदाता सूची की चिह्नित प्रति में मतदाता के नाम के सामने `निर्वाचन कत्तर्व्य प्रमाण-पत्र' अंकित करेगा कि उसे यह प्रमाण-पत्र निर्गत कर दिया गया है।

ऐसे व्यक्ति की पहचान करने के लिए कोई कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं है। उसे निम्नलिखित तरीके से मत देने की अनुमति दे दी जाए-

(1) `निर्वाचन कर्त्तव्य प्रमाण-पत्र' पेश किए जाने पर आप उस पर उसे पेश करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर प्राप्त कर लें;

(2) उस व्यक्ति के नाम और निर्वाचक नामावली संख्या को, जो प्रमाण पत्र में वर्णित है, मतदाता सूची की चिह्नित प्रति के अंत में प्रविष्ट करवा लें; और

(3) उसे उसी रीति से जैसा कोई निर्वाचक मतदान केन्द्र पर अपना मत देने के लिए हकदार है, वैसे ही वोटिंग मशीन के माध्यम से मत देने की अनुमति दे दी जाए।

अध्याय – 23

असामान्य एवं आपात स्थिति में की जाने वाली कार्रवाई: मतदान स्थगित करना आदि

मतदान सुचारू रूप से सम्पन्न हो, इसके लिए सुरक्षा सहित सभी प्रकार की व्यवस्थायें की जाती है, फिर भी ऐसी परिस्थितियाँ पैदा हो सकती हैं, जिनके फलस्वरूप मतदान की कार्रवाई जारी रखना संभव न हो। मतदान केन्द्र पर बलवे या हिंसा के कारण या आग लगने, तेज आंधी, बारिश आदि प्राकृतिक आपदा के कारण भी मतदान की प्रक्रिया रूक सकती है।

2. यदि किसी मतदान केन्द्र पर मतदान के दौरान कोई अल्पकालिक असामान्य स्थिति उत्पन्न हो जाय, तब पीठासीन पदाधिकारी मतदान स्थगित कर सकेगा तथा ऐसी अल्पकालिक स्थिति सामान्य हो जाने पर पुनः मतदान करा सकेगा। **ऐसे स्थगन का विवरण पीठासीन पदाधिकारी अपनी डायरी में देंगे और आगे की कंडिका 6 के अनुसार पुनर्मतदान की कार्रवाई कर सकेंगे।**

3. (i) यदि बलवा या हिंसा हो जाय या होने की संभावना हो, तो सुरक्षा हेतु नियुक्त पुलिस कर्मियों की मदद आपको लेनी चाहिए। यदि प्रयास के बाद भी बलवा या हिंसा के कारण उत्पन्न परिस्थितियों में मतदान जारी रखना संभव न हो, तो आपको मतदान रोक देना चाहिए और इस आशय की औपचारिक घोषणा सभी उपस्थित व्यक्तियों के समक्ष करनी चाहिए। प्राकृतिक आपदा की स्थिति में भी आपको यदि मतदान चालू रखना संभव प्रतीत न हो, तो मतदान बन्द कर देना चाहिए और उपरोक्त अनुसार ही इसकी भी औपचारिक घोषणा करनी चाहिए। मात्र अल्पकालिक वर्षा या तेज हवा का चलना मतदान स्थगित करने के लिए पर्याप्त कारण नहीं है।

4. मतदान स्थगित करने पर आपको निम्नलिखित कार्य तत्काल करने होंगे :-

(i) निर्वाची पदाधिकारी को मामले के पूरे-पूरे तथ्य दर्शाते हुए तथ्यात्मक रिपोर्ट तत्काल भेजें। इस रिपोर्ट में न केवल घटना के तथ्य/ परिस्थितियों का वर्णन किया जाय, बल्कि मौके पर उपस्थित अन्य व्यक्तियों द्वारा किये गये प्रयासों की संक्षिप्त जानकारी भी सम्मिलित की जाय।

(ii) मतदान स्थगित करने की औपचारिक घोषणा केन्द्र पर उपस्थित अभ्यर्थियों/ उनके निर्वाचन अभिकर्त्ताओं/ मतदान अभिकर्त्ताओं के समक्ष करें, और बतलायें कि जिस दिन आगे मतदान होगा उसकी सूचना बाद में दी जायगी।

5. मतदान स्थगित करने के लिये स्वविवेक का प्रयोग आप अति सावधानीपूर्वक और केवल उन्हीं परिस्थितियों में करेंगे, जब मतदान चालू रखना वस्तुतः असंभव हो जाय।

6. **मतदान पुनः शुरु किया जाना :–**

अल्पकालिक स्थगित किया गया मतदान जब पुनः प्रारंभ किया जाय, तो मतदान प्रारंभ करने के पूर्व तत्समय उपस्थित मतदान अभिकर्त्ता, यदि कोई हो, के समक्ष मतदाता सूची की चिह्नित प्रति के अनुसार आगे मतदान करायें। उन मतदाताओं, जिन्होंने मतदान स्थगित करने के पहले ही अपने मत दे दिये हों, को फिर से मत देने की अनुमति नहीं दी जायगी। इस प्रकार कराये गये पुनर्मतदान के मामले में मतदान के पूर्व, मतदान के दौरान और मतदान की समाप्ति के उपरान्त की जाने वाली समस्त कार्यवाइयाँ ठीक उसी प्रकार से की जायगी जैसा कि

सामान्य परिस्थितियो में कराये जाने वाले मतदान के लिए की जाती हैं, तथा विनिश्चित समय के अन्दर ही मतदान सम्पन्न होगा। **किसी भी परिस्थिति में मतदान की अवधि बढ़ायी नहीं जाएगी।** निर्धारित अवधि के अन्दर जो भी मतदाता मतदान केन्द्र के परिसर में आ गये हैं उन्हें मतदान का मौका दिया जायेगा।

7. ई.वी.एम. विनष्ट होने या अन्य कारणों से पुनर्मतदान :

1. किसी मतदान केन्द्र पर मतदान को शून्य घोषित करने और नए सिरे से मतदान कराने की आवश्यकता हो सकती है, यदि उस मतदान केन्द्र पर :-

(1) किसी अप्राधिकृत व्यक्ति द्वारा किसी वोटिंग मशीन को अवैधानिक रूप से उठाकर ले जाया गया हो, या निर्वाची पदाधिकारी/ पीठासीन पदाधिकारी/ मतदान पदाधिकारी से जबरदस्ती छीन ली गई हो।

(2) कोई वोटिंग मशीन दुर्घटनावश नष्ट हो गई हो या खो गई हो या क्षतिग्रस्त हो गई हो, या इस हद तक उसमें गड़बड़ी कर दी गई हो कि उस मतदान केन्द्र पर हुए मतदान का परिणाम उस कारणवश अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता हो, या

(3) किसी वोटिंग मशीन में मतों को रिकार्ड करते समय कोई तकनीकी खराबी आ गई हो, या

(4) प्रक्रिया में कोई ऐसी भूल या अनियमितता हो गई हो, जिससे मतदान के दूषित होने की संभावना हो, या

(5) मतदान केन्द्र पर कब्जा हो गया हो।

2. यदि आपके मतदान केन्द्र पर ऐसी कोई घटना घटित हो जाए, तो आपके द्वारा पूरे तथ्यों की रिपोर्ट तत्काल निर्वाची पदाधिकारी को भेजी जानी चाहिए, ताकि वह इस मामले की रिपोर्ट को राज्य निर्वाचन आयोग के निदेशों के लिए भेज सके।

3. समस्त तात्त्विक परिस्थितियों पर विचार करने के पश्चात यदि आयोग किसी मतदान केन्द्र पर नए सिरे से मतदान करने का निदेश दे, तो ऐसा नया मतदान उसी रीति से कराया जाएगा जैसे मूल मतदान कराया जाता है।

4. मतदान केन्द्र पर मत देने के हकदार सभी निर्वाचक नए सिरे से मतदान होने पर फिर से मत देने के हकदार होंगे। नए मतदान के समय लगाए गए चिह्नों को मूल मतदान के समय लगाए गए चिह्नों से भेद करने के लिए आयोग ने निदेश दिया है कि नए **मतदान में अमिट स्याही का चिह्न मतदाता के बाएँ हाथ की मध्य उंगली पर लगाया जाए।**

5. राज्य निर्वाचन आयोग सभी तात्त्विक परिस्थितियों को ध्यान में रख कर, या तो -

(क) उस मतदान केन्द्र या स्थान में उस मतदान को शून्य घोषित करेगा, उस मतदान केन्द्र या स्थान में नए मतदान के लिए दिन और समय नियत करेगा और ऐसे नियत दिन और नियत समय को ऐसी रीति में अधिसूचित करेगा जैसी वह ठीक समझे, अथवा

(ख) यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि उस मतदान केन्द्र या स्थान में नए मतदान के परिणाम से निर्वाचन परिणाम किसी भी प्रकार प्रभावित नहीं होगा या मतदान मशीन की यांत्रिक विफलता या प्रक्रिया संबंधी गलती या अनियमितता तात्त्विक नहीं है, तो रिटर्निंग आफिसर को उस निर्वाचन के आगे संचालन और पूरा किए जाने के लिए ऐसे निदेश देगा, जैसे वह उचित समझे।

8. मतदान केन्द्र पर कब्जा होने की दशा में मतदान मशीन को बंद करना

जहां किसी मतदान केन्द्र के पीठासीन पदाधिकारी की यह राय हो कि मतदान केन्द पर बूथ कब्जा किया जा रहा है, तो वह यह सुनिश्चित करने के लिए कि आगे कोई और मत रिकार्ड न किया जा सके, वोटिंग मशीन की कंट्रोल यूनिट को तत्काल बंद कर देगा और वह कंट्रोल यूनिट से बैलेट यूनिट को विलग कर देगा।

आप उपुर्यक्त तरीके से वोटिंग मशीन को तभी बंद करें, जब आपको यह निश्चित हो जाए कि बूथ पर कब्जा किया जा रहा है न कि बूथ पर कब्जा किए जाने की संभावना के बारे में मात्र आंशका या संदेह होने पर। **ऐसा इसलिए कि एक बार "क्लोज" बटन दबाकर बंद कर दिए जाने पर वोटिंग मशीन आगे और कोई मत रिकार्ड नहीं करेगा और मतदान उस दिन के लिए आवश्यक रूप से स्थगित करना होगा।**

आपके द्वारा वोटिंग मशीन बंद किए जाने के पश्चात आप यथाशीघ्र पूरे तथ्यों के साथ इस बात की रिपोर्ट निर्वाची पदाधिकारी को करें। निर्वाची पदाधिकारी जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) के माध्यम से ऐसे मामले के पूरे तथ्यों की रिपोर्ट संचार के उपलब्ध तीव्रतर माध्यम के द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग को करेगा।

निर्वाची पदाधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त होने पर निर्वाचन आयोग समस्त तात्त्विक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए-

(1) या तो नई वोटिंग मशीन उपलब्ध कराकर उस स्तर से, जिस स्तर पर उसे स्थगित किया गया था, यदि उसका समाधान हो जाए कि उस स्तर तक मतदान दूषित नहीं हुआ था, पूर्ण कराने का विनिश्चय कर सकेगा।

(2) यदि उसका समाधान हो जाए कि मतदान दूषित हो गया था तो उस मतदान केन्द्र पर हुए मतदान को शून्य घोषित कर सकेगा और उस मतदान केन्द्र पर नए सिरे से मतदान कराने का निर्देश दे सकेगा।

5. जहाँ मतदान उपर्युक्त कंडिका के अधीन वोटिंग मशीन बंद करके उस दिन के लिए स्थगित/ रोक दिया गया हो वहां वोटिंग मशीन और निर्वाचन से संबंधित समस्त कागजात उसी रीति से सीलबंद और सुरक्षित किए जाएंगे जैसा मतदान समाप्त होने पर किया जाता है।

अध्याय – 24

मतदान की समाप्ति

1. मतदान बन्द होने के समय मतदान केन्द्र पर उपस्थित व्यक्तियों द्वारा मतदान

(1) मतदान इस प्रयोजन के लिए नियत समय पर बन्द कर दिया जाना चाहिए चाहे यह किसी अपरिहार्य कारण से मतदान प्रारंभ होने के नियत समय से कुछ समय के बाद ही क्यों न प्रारंभ हुआ हो, तथापि मतदान बन्द करने के लिए नियत समय पर मतदान केन्द्र में उपस्थित समस्त मतदाताओं को अपना मत देने की अनुमति दी जानी चाहिए चाहे मतदान नियत समय के बाद भी जारी रखना पड़े।

(2) मतदान के लिए नियत समय समाप्त होने के कुछ मिनट पूर्व मतदान केन्द्र की सीमा के अन्दर मत देने के लिए प्रतीक्षा कर रहे सभी व्यक्तियों के समक्ष यह घोषणा कर दें कि उन्हें बारी-बारी से अपना मत देने की अनुमति दी जाएगी। ऐसे सभी निर्वाचकों को आप अपना पूर्ण हस्ताक्षरित पर्ची वितरित कर दें, जो उस समय पंक्ति में खड़े निर्वाचकों की संख्या के अनुसार क्रम संख्या 1 से आगे तक क्रमवार संख्यांकित होनी चाहिए। मतदान समाप्ति के नियत समय के बाद भी आप मतदान तब तक जारी रखें जब तक कि ऐसे सभी मतदाता अपना मत न दे दें। मतदान बन्द करने के नियत समय के बाद पंक्ति में कोई व्यक्ति सम्मिलित न हो जाए इस पर नजर रखने के लिए पुलिस या अन्य कर्मचारियों को तैनात करें। यह कार्य प्रभावी ढंग से तभी सुनिश्चित किया जा सकता, जबकि **ऐसे समस्त निर्वाचकों को पर्ची अंतिम छोर से बांटना शुरू करके पंक्ति के प्रारंभ तक बांट दी जाए।**

(3) यदि ऐसा कोई प्रश्न उठे कि कोई निर्वाचक मतदान केन्द्र बंद किए जाने के पूर्व वहाँ उपस्थित था, या नहीं, तो उसका विनिश्चय पीठासीन पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

2. मतदान बंद करना

मतदान बंद करने के लिए नियत समय की समाप्ति पर मतदान केन्द्र में उपस्थित निर्वाचकों द्वारा पूर्ववर्ती कंडिका में यथा उपबंधित रीति से मत दे दिए जाने के पश्चात आप मतदान समाप्ति की औपचारिक घोषणा करेंगे और किसी भी परिस्थिति में उसके बाद किसी भी व्यक्ति को मत देने की अनुमति नहीं देंगे।

3. वोटिंग मशीन की कंट्रोल यूनिट को बंद करना

(1) अंतिम मतदाता द्वारा अपना मत रिकार्ड कर देने के पश्चात वोटिंग मशीन को बंद कर देना है, ताकि मशीन में आगे और कोई मत रिकार्ड करना संभव न हो। इस प्रयोजन के लिए आप कंट्रोल यूनिट पर लगे **"क्लोज"** बटन को दबा दें। जब **"क्लोज"** बटन दबाया जाता है तब कंट्रोल यूनिट का **"प्रदर्शन पैनल"** मतदान के अंत तक वोटिंग मशीन में रिकार्ड किए गए मतों की कुल संख्या दर्शाएगा। **मशीन में रिकार्ड किए गए कुल मतों की संख्या "रिकार्ड किए गए मतों का लेखा भाग–1" (परिशिष्ट – XII) की मद संख्या 5 में तत्काल लिख दी जानी चाहिए।** तत्पश्चात आप बैलेट यूनिट को कंट्रोल यूनिट से विलग कर देंगे और कंट्रोल यूनिट के पिछले खाने में लगे पावर स्विच को **"ऑफ"** की स्थिति में कर देंगे।

(2) **"क्लोज"** बटन परिणाम भाग के एक खाने में इसके ढक्कन पर नीले रंग की रबर की कैप के नीचे लगाई गई है और रबर कैप को खींचने मात्र से इस तक पहुंचा जा सकता है। **"क्लोज" बटन दबाने और मतदान बंद होने के पश्चात रबर कैप को फिर से लगा दें।**

(3) **"क्लोज"** बटन को एक बार दबा देने पर वोटिंग मशीन आगे और कोई मत स्वीकार नहीं करेगी। इसलिए, आपको **"क्लोज" बटन दबाने के पूर्व इस बात की सावधानी बरतनी है और पूर्णत: यह निश्चित कर लेना है कि मतदान बन्द करने के नियत समय पर उपस्थित कोई निर्वाचक मत देने से वंचित न रह जाए,**

(4) आपको यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि क्लोज बटन तभी कार्य करेगा जब कंट्रोल यूनिट पर बिजी लैम्प न जल रहा हो, अर्थात् अनुमत किए गए अंतिम निर्वाचक द्वारा अपना मत रिकार्ड कर दिया गया हो। अंतिम निर्वाचक द्वारा अपना मत रिकार्ड करने के पश्चात भूलवश बैलेट बटन दबाए जाने के कारण या ऐसे अंतिम निर्वाचक द्वारा बैलेट बटन दबाए जाने के बाद अपना मत रिकार्ड कराने से इन्कार करने के कारण यदि बिजी लैम्प जल जाता है तो कंट्रोल यूनिट के पिछले खाने में लगे पावर स्विच को बंद करके और कंट्रोल यूनिट से मतदान यूनिट का संबंध विच्छेद कर बिजी लैम्प को बुझाया जा सकता है। कंट्रोल यूनिट से मतदान का संबंध बिच्छेद करने के पश्चात पावर को फिर ऑन किया जाना चाहिए। अब बिजी लैम्प बुझ जाएगा और क्लोज बटन क्रियाशील हो जाएगा।

4. मतदान के पश्चात वोटिंग मशीन को सीलबन्द किया जाना :

(1) मतदान बंद होने के पश्चात यथासाध्य शीघ्रता से, पीठासीन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई और मतों या अभिलेखन न किया जाए, कंट्रोल यूनिट को बंद कर देगा और बैलेट यूनिट को कंट्रोल यूनिट से वियोजित कर देगा।

(2) कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट को उसके पश्चात सीलबंद और सुरक्षित किया जाएगा और उन्हें सुरक्षित करने के लिए प्रयुक्त सील इस प्रकार लगाई जाएगी कि बिना सील को तोड़े यूनिटों का खोलना संभव नहीं हो।

(3) मतदान केन्द्र पर उपस्थित मतदान अभिकर्ता जो अपनी सील लगाना चाहें, उन्हें भी ऐसा करने की अनुमति दी जाएगी।

अध्याय – 25

रिकार्ड किए गए मतों का लेखा

1. रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा तैयार करना

1. आप मतदान की समाप्ति के पश्चात वोटिंग मशीन में रिकार्ड किए गए मतों का लेखा एवं पेपर सील का लेखा तैयार करेंगे। इसके लिए आयोग से एक प्रपत्र **''रिकार्ड किये गये मतों का लेखा भाग–1''** (**परिशिष्ट–XII**) पर संलग्न किया गया है। आपके द्वारा ऐसे लेखे इस विहित प्रपत्र में तैयार किये जायेंगे।

2. जैसा कि पूर्व अध्याय में पहले से ही स्पष्ट किया जा चुका है कि मतदान की समाप्ति के समय मशीन में रिकार्ड किए गए मतों की कुल संख्या **"क्लोज"** बटन दबाकर अभिनिश्चित की जाएगी। यदि आवश्यक हो तो अपेक्षित जानकारी प्राप्त करने के लिए उस बटन को दुबारा दबाया जा सकता है।

3. आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि वोटिंग मशीन में **रिकार्ड किए गए मतों की कुल संख्या, उन मतदाताओं की संख्या जिन्होंने मत न देने का निश्चय किया है (उस रजिस्टर के अभ्युक्ति स्तम्भ के अनुसार) को घटाकर और मतदान की गोपनीयता का अतिक्रमण करने पर मत देने के लिए आप द्वारा अनुज्ञात नहीं किए गए मतदाताओं की संख्या भी घटाकर (उक्त रजिस्टर के अभ्युक्ति स्तम्भ के अनुसार) मतदाताओं के रजिस्टर के स्तम्भ (1) के अनुसार पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या के समतुल्य होनी चाहिए।**

2. मतदान अभिकर्ताओं को रिकार्ड किए गए मतों के लेखा की अनुप्रमाणित प्रतियों का दिया जाना

मतदान की समाप्ति के समय उपस्थित प्रत्येक मतदान अभिकर्ता को विहित प्रपत्र में आपके द्वारा तैयार किये गये रिकार्ड मतों एवं पेपर सील के लेखा भाग-1 की सत्यापित प्रति, उन मतदान अभिकर्ताओं से प्राप्ति रसीद प्राप्त करने के पश्चात उन्हें देने की भी आपसे अपेक्षा की जाती है। उपस्थित प्रत्येक मतदान अभिकर्ता को यहाँ तक कि उसके बिना कहे जाने पर भी लेखा की प्रति दी जानी चाहिए।

अध्याय – 26

विभिन्न प्रपत्रों को तैयार करना तथा लिफाफे को सील करना

मतदान की समाप्ति के पश्चात मतदान से संबंधित सभी निर्वाचन संबंधी कागज -पत्रों को पृथक-पृथक पैकेटों में मुहर बंद किया जाएगा। पीठासीन पदाधिकारी ऐसे प्रत्येक पैकेट पर वहाँ उपस्थित अभ्यर्थी, निर्वाचन अभिकर्त्ता या मतदान अभिकर्त्ता को, यदि वह चाहे, अपनी सील लगाने देगा।

(1) सांविधिक (स्टेच्यूटरी) लिफाफा

(क) निर्वाचक नामावली की चिह्नित प्रति सीलबंद लिफाफा

(ख) मतदाता रजिस्टर का सीलबंद लिफाफा

(ग) मतदाता पर्ची सीलबंद लिफाफा

(घ) अप्रयुक्त निविदत्त मतपत्र का लिफाफा

(ङ) प्रयुक्त निविदत्त मतपत्र का लिफाफा एवं सूची प्रपत्र

(2) असंविधिक (नन-स्टेच्यूटरी) लिफाफा

(क) निर्वाचक नामावली (चिन्हित प्रति में भिन्न) की प्रति या प्रतियों से युक्त लिफाफा

(ख) प्रपत्र-16 मतदान अभिकर्त्ता के नियुक्त पत्रों से युक्त लिफाफा

(ग) प्रपत्र-22 निर्वाचन कर्त्तव्य प्रमाण पत्र से युक्त लिफाफा

(घ) प्रपत्र-20 अभ्याक्षेपित मतों की सूची का लिफाफा

(ङ) प्रपत्र-18(क) एवं प्रपत्र-18(ख) निर्वाचकों की सूची एवं साथी का घोषणा पत्र लिफाफा

(च) अप्रयुक्त एवं क्षतिग्रस्त पेपर सील

(छ) अप्रयुक्त एवं क्षतिग्रस्त स्पेशल टैग

(ज) अप्रयुक्त एवं क्षतिग्रस्त स्ट्रीप सील

(झ) अप्रयुक्त एवं क्षतिग्रस्त मतदाता स्लीप

(3) विविध

(क) पीठासीन पदाधिकारी पुस्तिका

(ख) इ.वी.एम. निर्देशिका

(ग) अमिट स्याही सेट

(घ) स्टाम्प पैड

(ङ) ऐरोक्रॉस रबर-स्टाम्प

(च) पीठासीन पदाधिकारी की धातु मुहर

(छ) विविध लिफाफा

(4) अन्य ऐसे कागजात जिनके संबंध में निर्वाची पदाधिकारी ने यह निदेश दिया हो कि ये सील बन्द पैकेट में रखे जायें, के भी पृथक-पृथक पैकेट तैयार करेगा एवं उन्हें सीलबन्द करेगा।

(5) निम्नांकित लिफाफों को अलग-अलग तैयार करें एवं इ.वी.एम. के साथ निर्वाची पदाधिकारी को जमा कर दें।

(क) पीठासीन पदाधिकारी की डायरी से युक्त लिफाफा

(ख) पीठासीन पदाधिकारी की घोषणा से युक्त लिफाफा

(ग) रिकार्ड किए गए मतों का लेखा (भाग-1)

पीठासीन पदाधिकारी की घोषणा परिशिष्ट-XIII पर द्रष्टव्य।

(6) आपको ऐसे प्रत्येक अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता या उसके मतदान अभिकर्ता को जो मतदान केन्द्र पर उपस्थित हों, निम्नलिखित दस्तावेजों से युक्त लिफाफों और पैकेटों पर उनकी मुहर लगाने के लिए अनुज्ञात करना चाहिए।

(क) निर्वाचक नामावली की चिह्नित प्रति

(ख) मतदाताओं का रजिस्टर

(ग) मतदाता पर्ची

(घ) प्रयुक्त निविदत मतपत्र एवं निविदित मतों की सूची

(ङ) अप्रयुक्त निविदत्त मतपत्र

(च) चुनौती दिये गये मतों की सूची

(छ) कोई अन्य पत्र, जिन्हें किसी मुहर बंद पैकेट में रखने के लिए रिटर्निंग ऑफिसर ने निर्देश दिया हो।

अध्याय – 27

पीठासीन पदाधिकारी की डायरी और संग्रहण केन्द्र पर इ.वी.एम. तथा निर्वाचन संबंधी कागजातों को जमा करना

1. डायरी तैयार करना

(1) आपको मतदान केन्द्र में कराए गए मतदान से संबंधित सारे कार्यों का विवरण इस प्रयोजन के लिए रखी जानेवाली डायरी में लिखना चाहिए। **पीठासीन पदाधिकारी की डायरी का प्रपत्र परिशिष्ट–XIV पर द्रष्टव्य।** आपको जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)/निर्वाची पदाधिकारी द्वारा डायरी का सम्यक रूप से संख्यांकित जो प्रपत्र दिया जाएगा, केवल वह प्रपत्र ही आपको उपयोग में लाना चाहिए।

(2) ज्यों-ज्यों सुसंगत घटनाएँ घटे; आप डायरी में लिखते जाएँ। आपको सभी महत्वपूर्ण घटनाओं का उसमें उल्लेख करना चाहिए।

(3) बहुत से मामलों मे यह देखा गया है कि पीठासीन पदाधिकारी, जैसी उनसे अपेक्षा की जाती है, नियमित अन्तरालों या समय–समय पर डायरी के सुसंगत स्तम्भों में प्रविष्टियाँ नहीं करते हैं और समस्त प्रविष्टियाँ मतदान की समाप्ति पर भरी एवं पूरी की जाती हैं। यह अति आपत्तिजनक है। यह ध्यान रखें कि मतदान प्रक्रिया की समयावधि में समस्त बिन्दुओं के संबंध में डायरी उचित रूप से भरी जाए; आपकी ओर से किसी भी चूक को आयोग द्वारा अति गम्भीरता से लिया जाएगा।

2. निर्वाची पदाधिकारी को वोटिंग मशीन और निर्वाचन कागजातों का सम्प्रेषण

(1) मतदान की समाप्ति के पश्चात आप वोटिंग मशीन और निर्वाचन कागजातों को मुहरबंद और सुरक्षित करने के पश्चात ऐसे स्थान पर जैसा निर्वाची पदाधिकारी निदेश दे और ऐसी व्यवस्था के अनुसार जैसा निर्वाची पदाधिकारी निदेश दे या निर्वाची पदाधिकारी द्वारा की जाए, उन्हें उपलब्ध करा दें।

(2) वोटिंग मशीन और निर्वाचन कागजातों को संग्रह केन्द्र पर अविलम्ब सुपुर्द करवाना चाहिए। **इस निमित्त किए गए किसी विलम्ब को आयोग द्वारा गंभीरता से लेते हुए समस्त सम्बद्ध व्यक्तियों के विरूद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है।**

आप संग्रहण केन्द्र के प्रभारी अधिकारी को निर्वाचन अभिलेख और सामग्री से संबंधित निम्नलिखित बारह मदें सौंप दें:-

(1) अपने-अपने वहन बक्सों में सम्यक रूप से मुहरबंद वोटिंग मशीन की कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट;

(2) रिकार्ड किए गए मतों को लेखा और पेपर सील लेखा से युक्त लिफाफा;

(3) पीठासीन पदाधिकारी की घोषणाओं से युक्त लिफाफा;

(4) पीठासीन पदाधिकारी की डायरी से युक्त लिफाफा;

(5) सांविधिक लिफाफे लिखा गया पहला पैकेट (5 लिफाफों से युक्त);

(6) असांविधिक लिफाफे लिखा गया दूसरा पैकेट (9 लिफाफों से युक्त);

(7) निर्वाचन सामग्री की 7 मदों से युक्त तीसरा पैकेट;

(8) मतदान कक्ष के लिए सामग्री;

(9) लालटेन यदि दी गयी हो;

(10) बेकार कागजों के लिए टोकरी;

(11) मतदान सामग्री ले जाने के लिए पोलीथीन का थैला/जूट का थैला और;

(12) अन्य मदों, यदि कोई हो,से युक्त चौथा पैकेट।

उपर्युक्त समस्त मदों की जांच आपकी उपस्थिति में संग्रह केन्द्र के प्राप्ति अधिकारी द्वारा की जाएगी, और तत्पश्चात आपको कार्यमुक्त किया जाएगा।

अध्याय – 28

निर्वाचन अपराध

1. बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (यथा संशोधित) की धारा 458 से 470 तक नगरपालिका निर्वाचन से जुड़े अपराधों की जानकारी दी गई है एवं इनमें ऐसे अपराधों के लिए दण्ड का भी प्रावधान किया गया है। संक्षेप में ये निम्नवत् हैं :-

निर्वाचन अपराधों की प्रकृति	दण्ड
(1) निर्वाचन के सिलसिले में वर्गों के बीच शत्रुता बढ़ाना (धारा 454)	तीन वर्ष तक के कारवास या जुर्माने से या दोनों से दंडनीय है।
(2) मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय के पूर्व के 48 घंटों की अवधि के दौरान आम सभा करने पर प्रतिबंध (धारा 455)	उल्लंघन करने पर दो वर्ष तक के कारवास या जुर्माने से या दोनों से दंडनीय है।
(3) निर्वाचन सभा में बाधा उत्पन्न करना (धारा 456)	छः माह तक के कारवास या दो हजार रूपये जुर्माने से या दोनों से दंडनीय है।
(4) पुस्तिकाओं, पोस्टरों इत्यादि के मुख्य भाग पर मुद्रक और उसके प्रकाशक के नाम और पता बिना अंकित किये मुद्रण पर प्रतिबन्ध (धारा 457)	उल्लंघन करने पर छः माह तक के कारवास या दो हजार रूपये जुर्माने से या दोनों से दंडनीय है।
(5) मतदान की गोपनीयता बनाये रखना (धारा 458)	उल्लंघन करने पर तीन माह तक के कारवास या जुर्माने से या दोनों से दंडनीय है।
(6) निर्वाचनों में अधिकारी आदि द्वारा अभ्यर्थियों के लिए कार्य किया जाना या मतदान प्रभावित किया जाना (धारा 459)	छः माह तक के कारवास या जुर्माने से या दोनों से दंडनीय है।
(7) मतदान केन्द्रों में या उसके नजदीक प्रचार करना (धारा 460)	पाँच सौ रूपये तक का जुर्माना
(8) मतदान केन्द्रों में या उसके नजदीक विच्छृंखल आचरण करना (धारा 461)	तीन माह तक के कारवास या जुर्माने से या दोनों से दंडनीय है।
(9) मतदान केन्द्र पर गलत आचरण (धारा 462)	तीन माह तक के कारवास या जुर्माने से या दोनों से दंडनीय है।
(10) मतदाता द्वारा मतदान की प्रक्रिया पालन करने से इन्कार (धारा 463)	मतदान की अनुमति नहीं।

(11) निर्वाचन में वाहनों को अवैध रूप से किराये पर लेने या उपाप्त (Procuring) करने के लिए शास्ति (धारा 464)	तीन माह तक के कारावास और जुर्माने से दण्डनीय है।
(12) निर्वाचनों के संबंध में पदीय कर्त्तव्य का भंग होना (धारा 465)	पाँच सौ रूपये तक के जुर्माने से दण्डनीय है।
(13) निर्वाचन अभिकर्त्ता, मतदान अभिकर्त्ता या गणना अभिकर्त्ता के रूप में सरकारी कर्मचारियों द्वारा कार्य किया जाना (धारा 466)	तीन माह तक के कारावास, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा।
(14) मतदान केन्द्र में या उसके नजदीक शस्त्र लेकर जाना (धारा 467)	दो वर्षों तक के कारावास या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा।
(15) मतदान केन्द्र से मत पत्रों को हटाना (धारा 468)	एक वर्ष तक के कारावास या पाँच सौ रूपये तक के जुर्माने, या दोनों से, दण्डनीय होगा।
(16) मतदान केन्द्र पर कब्जा कराना (धारा 469) (क) जन साधारण के लिए – (ख) सरकारी कर्मी के लिए –	एक वर्ष से तीन वर्ष तक का कारावास और जुर्माना। तीन वर्ष से पाँच वर्ष तक का कारावास और जुर्माना।
(17) अन्य अपराध (धारा 470)	उक्त क्रम संख्या 1-16 से भिन्न विभिन्न निर्वाचन अपराधों का वर्णन एवं उसके लिए दण्ड का प्रावधान अधिनियम की धारा 470 में किया गया है।

2. भारतीय दण्ड संहिता में भी निर्वाचन से जुड़े अपराधों के लिए दण्ड का प्रावधान किया गया है, जिनका विवरण नीचे दिया जाता है -

(1) रिश्वत/ प्रलोभन – (I.P.C. की धारा 171 बी. एवं 171 ई.)	भारतीय दंड संहिता की धारा 171 बी.एवं ई. में स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति चुनाव कार्य में किसी व्यक्ति को प्रभावित करने के लिए किसी तरह का प्रलोभन या रिश्वत देता है, तो उसे एक साल की सजा या जुर्माना या दोनों दण्ड दिया जा सकता है।
(2) डराना, धमकाना/ अनुचित ढ़ंग से प्रभावित करना (I.P.C. की धारा 171 सी. एवं 171 एफ.)	भारतीय दंड संहिता की धारा 171 सी.एवं एफ में स्पष्ट प्रावधान है कि अगर कोई व्यक्ति चुनाव को प्रभावित करने के लिए किसी को धमकी देता है या अन्य तरह से उसे गलत ढ़ंग से प्रभावित करता है, तो उसे एक साल की सजा या जुर्माना या दोनों दण्ड दिया जा सकता है।

(3) परसोनेशन (Personation) (I.P.C. की धारा 171 डी. एवं 171 एफ)	अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे के बदले (Personation) मतदान करता है, तो भारतीय दंड संहिता की धारा 171 डी. एवं एफ. के तहत उसके विरूद्ध मामला दर्ज किया जायेगा एवं उसे भी एक साल की सजा या जुर्माना या दोनों दण्ड दिया जा सकता है।
(4) चुनाव से संबंधित गलत बयानबाजी (I.P.C. की धारा 171 जी.)	चुनाव से संबंधित गलत बयानबाजी दंडनीय है।
(5) चुनाव से संबंधित अवैध भुगतान – (I.P.C. की धारा 171 एच.)	किसी प्रत्याशी के बिना लिखित प्राधिकार के अगर कोई व्यक्ति उसके पक्ष में आम सभा करता है या किसी विज्ञापन या प्रचार में खर्च करता है, तो यह दण्डनीय है।
(6) चुनाव खर्च संधारण में विफलता – (I.P.C. की धारा 171 आई.)	चुनाव खर्च का संधारण नहीं किया जाना दंडनीय है।

भाग–2

परिशिष्ट

1. बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (यथा संशोधित) के संगत प्रावधानों का उद्धरण

``443 (5). जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) प्रत्येक मतदान केन्द्र के लिए एक पीठासीन पदाधिकारी तथा उसकी सहायता करने के लिए उतने मतदान पदाधिकारी या पदाधिकारियों को जो वह आवश्यक समझे, नियुक्त करेगा;

परन्तु कोई व्यक्ति, जो सरकार या सरकारी कम्पनी या सरकार से अनुदान प्राप्त संस्था का सेवक हो, पीठासीन पदाधिकारी (नगरपालिका)/मतदान पदाधिकारी के रूप में नियुक्त किया जा सकेगा;

परन्तु यह और कि किसी मतदान पदाधिकारी के मतदान केन्द्र से अनुपस्थित होने पर पीठासीन पदाधिकारी (नगरपालिका) उपर्युक्त परन्तुक के अधीन ऐसे व्यक्ति को, जो मतदान केन्द्र पर उपस्थित है और जो ऐसे व्यक्ति से भिन्न है, जो निर्वाचन में या उसके सम्बन्ध में किसी अभ्यर्थी द्वारा या उसकी ओर से नियोजित किया गया है, या उसके लिए कोई अन्य कार्य कर रहा है, मतदान अधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकेगा और तदनुसार जिला पदाधिकारी (नगरपालिका) को इसकी सूचना देगा;

परन्तु यह और भी कि मतदान पदाधिकारी राज्य निर्वाचन आयोग के निदेशन के अध्याधीन पीठासीन पदाधिकारी (नगरपालिका) द्वारा प्राधिकृत किये जाने पर, अधिनियम तथा इसके अन्तर्गत बनी नियमावली के अधीन पीठासीन पदाधिकारी (नगरपालिका) के सभी या किन्हीं कृत्यों का निष्पादन करेगा।

(6). यदि पीठासीन पदाधिकारी (नगरपालिका) रूग्णता या किसी अन्य अपरिहार्य कारण से मतदान केन्द्र से अनुपस्थित रहने के लिए बाध्य हों, तो उसके कृत्यों का निष्पादन ऐसे मतदान पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा जो ऐसी अनुपस्थिति के दौरान ऐसे कृत्यों का निष्पादन करने के लिए निर्वाची पदाधिकारी (नगरपालिका) द्वारा पूर्व में प्राधिकृत किया गया हो।

(7). किसी मतदान केन्द्र में पीठासीन पदाधिकारी (नगरपालिका) का यह सामान्य कर्त्तव्य होगा कि वह मतदान केन्द्र में व्यवस्था बनाये रखे और देखे कि मतदान उचित रूप से हो रहा है।

(8). मतदान केन्द्र के मतदान पदाधिकारी का यह कर्त्तव्य होगा कि वे ऐसे मतदान केन्द्र के पीठासीन पदाधिकारी (नगरपालिका) को उसके कृत्यों के निष्पादन में सहायता करे।''

2. बिहार नगरपालिका निर्वाचन नियमावली, 2007 के संगत नियमों का उद्धरण

53. **मतदान केन्द्र एवं पीठासीन तथा मतदान पदाधिकारी:–** (1) राज्य निर्वाचन आयोग के सामान्य नियंत्रण एवं निदेशन के अधीन निर्वाची पदाधिकारी प्रत्येक वार्ड के लिये एक या अधिक मतदान केन्द्रों की स्थापना करेगा तथा इस तरह स्थापित मतदान केन्द्रों एवं वार्डों जिनके लिये वैसे मतदान केन्द्र स्थापित किये गये हैं, की सूची राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा यथानिर्दिष्ट तरीके से प्रकाशित की जायेगी। मतदान केन्द्रों की सूची पर इसके अन्तिम प्रकाशन के पहले राज्य निर्वाचन आयोग का अनुमोदन प्राप्त कर लेना अनिवार्य होगा। राज्य निर्वाचन आयोग पर्याप्त एवं युक्तियुक्त कारण दृष्टि में लाये जाने पर अन्तिम प्रकाशन के बाद भी मतदान केन्द्रों की सूची में परिवर्तन करने का निदेश दे सकेगा।

(2) निर्वाची पदाधिकारी प्रत्येक मतदान केन्द्र के लिये एक पीठासीन पदाधिकारी तथा पीठासीन पदाधिकारी की सहायता करने हेतु वैसे अन्य व्यक्तियों (जो इसमें आगे मतदान पदाधिकारी के रूप में संदर्भित हैं) को, जो वह उचित समझे, नियुक्त करेगा।

(3) अगर पीठासीन पदाधिकारी किसी बीमारी अथवा अन्य अपरिहार्य कारण से मतदान केन्द्र से अनुपस्थित रहने के लिए बाध्य हो जाये, तब उसकी अनुपस्थिति में उसके कार्यों का सम्पादन उस मतदान पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा, जिसे निर्वाची पदाधिकारी वैसे कार्य करने हेतु प्राधिकृत करे, और इस तरह प्राधिकृत मतदान पदाधिकारी को इस नियमावली में पीठासीन पदाधिकारी के रूप में समझा जायेगा।

परन्तु यह कि अनुपस्थित हो जाने की बाध्यता की स्थिति में पीठासीन पदाधिकारी अविलम्ब निर्वाची पदाधिकारी को ऐसी अनुपस्थिति के संबंध में सूचित करेगा।

54. **निर्वाचन अभिकर्ता की नियुक्ति और उसकी नियुक्ति का प्रतिसंहरण** (revocation) **या उसकी मृत्यु:**–(1) अगर कोई अभ्यर्थी अपना निर्वाचन अभिकर्ता नियुक्त करना चाहता है तो वैसी नियुक्ति उपनियम (2) एवं (3) के प्रावधानों के अधीन, मतदान के पहले कभी भी, **प्रपत्र–15** में कर सकता है।

(2) अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन अभिकर्ता की नियुक्ति का प्रतिसंहरण कभी भी विधिमान्य रूप से हस्ताक्षरित घोषणा कर किया जा सकता है एवं ऐसे प्रतिसंहरण या निर्वाचन के पहले निर्वाचन अभिकर्ता की मृत्यु की स्थिति में अभ्यर्थी नया निर्वाचन अभिकर्ता नियुक्त कर सकता है।

(3) ऐसा व्यक्ति जो अधिनियम के अधीन तत्समय किसी नगरपालिका के निर्वाचन में अपना मत देने अथवा निर्वाचित होने के अयोग्य है, ऐसी अयोग्यता बने रहने तक निर्वाचन अभिकर्ता के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा।

55. **मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति :**–(1) किसी निर्वाचन के समय जहाँ मतदान होना है, निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता प्रत्येक मतदान केन्द्र के लिए अधिकतम दो व्यक्तियों को उस अभ्यर्थी के मतदान अभिकर्ता के रूप में कार्य करने हेतु नियुक्त कर सकता है एवं यह नियुक्ति दो प्रतियों में **प्रपत्र–16** में की जाएगी।

(2) अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता नियुक्ति पत्र की दूसरी प्रति मतदान अभिकर्त्ता को देगा जिसे वह मतदान के लिए नियत तिथि को पीठासीन पदाधिकारी को पेश करेगा तथा नियुक्ति पत्र में अंतर्विष्ट घोषणा पर उसके समक्ष हस्ताक्षर करेगा। पीठासीन पदाधिकारी उस दूसरी प्रति को अपनी अभिरक्षा में रखेगा।

(3) मतदान के समय मतदान केन्द्र पर एक समय में एक ही अभिकर्ता मौजूद रहेगा।

56. **मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति का प्रतिसंहरण या उसकी मृत्यु :**–(1) किसी निर्वाचन अभिकर्ता की नियुक्ति अभ्यर्थी अथवा उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा विधिमान्य रूप से हस्ताक्षरित लिखित घोषणा से मतदान शुरू होने के पहले किसी भी समय प्रतिसंहरित की जा सकती है।

(2) वैसी घोषणा पीठासीन पदाधिकारी को समर्पित की जाएगी।

(3) जहाँ किसी मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति को उपनियम (1) के अधीन प्रतिसंहरित कर दिया गया है अथवा मतदान शुरू होने के पहले मतदान अभिकर्ता की मृत्यु हो जाती है, वहाँ अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता मतदान की समाप्ति के पूर्व कभी भी नियम 55 के उपनियम(1) के अधीन नए मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति कर सकता है।

59. **मतदान केन्द्र पर सूचना:**–प्रत्येक मतदान केन्द्र के बाहर निम्नलिखित सूचना प्रदर्शित की जाएगी:-

(क) मतदान केन्द्र का नाम एवं संख्या;

(ख) उस मतदान केन्द्र से संबंधित वार्ड की मतदाता सूची ;

(ग) प्रत्येक अभ्यर्थी का देवनागरी लिपि में नाम एवं उसे आवंटित निर्वाचन प्रतीक जिसका क्रम नियम 50 में अंकित क्रम के अनुसार होगा।

60. **मतदान का तरीका:**–(1) मतों को मतपत्र द्वारा प्रदान किया जाएगा और किसी भी मत को प्रॉक्सी द्वारा प्राप्त नहीं किया जाएगा।

(2) अधिनियम या उसके अंतर्गत बनाई गई इस नियमावली में कुछ भी समाविष्ट होने के बावजूद, उस तरीके में, जिसे निर्धारित किया जाए, मतदान करने की मशीनों द्वारा मतों को देने और रिकॉर्डिंग करने को उस निर्वाचन क्षेत्र या सभी निर्वाचन क्षेत्रों में अपनाया जा सकेगा, जिसे राज्य निर्वाचन आयोग प्रत्येक मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विनिर्दिष्ट करे।

स्पष्टीकरण :– मतदान करने की मशीन से अभिप्रेत है मतों को देने या रिकॉर्ड करने के लिए प्रयुक्त कोई मशीन या उपकरण, जो इलेक्ट्रोनिक तरीके से या अन्यथा संचालित की जाए। अधिनियम अथवा उसके अंतर्गत बनाई गई नियमावली में प्रयुक्त मतपेटी या मतपत्र से, अन्यथा उपबंधित नहीं रहने पर , मतदान करने की मशीन का भी संदर्भ समझा जाएगा, जहाँ भी उस मतदान करने की मशीन को किसी निर्वाचन में प्रयुक्त किया जाता है।

61. **मतदान केन्द्र पर पीठासीन पदाधिकारी के कर्तव्य एवं अधिकार:**–(1) पीठासीन पदाधिकारी मतदान केन्द्र पर व्यवस्था कायम रखेगा, सुनिश्चित करेगा कि निर्वाचन का संचालन सम्यक रूप से हो , एक समय में प्रवेश करने वाली मतदाताओं की संख्या को विनियमित करेगा तथा निम्नलिखित के अलावा सभी अन्य व्यक्तियों को बाहर करेगा:-

(क) मतदान अधिकारी

(ख) प्रत्येक अभ्यर्थी, उसका निर्वाचन अभिकर्ता तथा लिखित रूप में अभ्यर्थी द्वारा नियुक्त तथा निर्वाची पदाधिकारी द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत प्रत्येक अभ्यर्थी का एक मतदान अभिकर्ता।

(ग) कर्तव्य पर आरूढ़ आरक्षी अथवा अन्य राजकीय सेवक।

(घ) दृष्टिहीन अथवा नि:शक्त व्यक्तियों , जो बिना सहायता के नहीं चल सकते, के साथी।

(ङ) वैसे अन्य व्यक्ति जिन्हें पीठासीन पदाधिकारी समय-समय पर मतदाताओं की पहचान करने अथवा मतदान में अन्य रूप से उसकी सहायता करने के उद्देश्य से प्रवेश करने की अनुमति दे।

(2) अगर कोई व्यक्ति मतदान केन्द्र पर गलत आचरण करता है अथवा पीठासीन पदाधिकारी के विधिमान्य आदेश का पालन करने में असफल रहता है, तो उसे पीठासीन पदाधिकारी के आदेश से पुलिस पदाधिकारी या पीठासीन पदाधिकारी द्वारा लिखित रूप में अधिकृत कोई अन्य व्यक्ति द्वारा तुरंत हटा दिया जाएगा, एवं वैसा हटाया गया व्यक्ति उस दिन पीठासीन पदाधिकारी की अनुमति के बिना मतदान केन्द्र में पुन: प्रवेश नहीं कर सकेगा।

परन्तु यह कि इस शक्ति का प्रयोग किसी निर्वाचक को किसी मतदान केन्द्र पर मतदान करने के उसके हक से वंचित करने के उद्देश्य से नहीं किया जाएगा।

(3) अगर कोई व्यक्ति जिसे उपनियम (2) के प्रावधानों के अधीन मतदान केन्द्र से हटा दिया गया है,

बिना पीठासीन पदाधिकारी की अनुमति के मतदान केन्द्र में पुनः प्रवेश करता है, तो वह तीन माह तक के कारावास की सजा या सौ रूपए तक का जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जा सकता है।

63. **मतदाताओं की पहचानः–** (1) पीठासीन पदाधिकारी आयोग द्वारा यथानिर्देशित अभिलेखों/ कागजातों/ प्रमाण पत्रों के आधार पर किसी मतदाता की पहचान विनिश्चित करायेगा।

(2) पीठासीन पदाधिकारी ऐसे व्यक्ति को जिसे वह ठीक समझे, मतदान केन्द्र में मतदाताओं की पहचान करने में मदद करने या मतदान में अपनी सहायता करने के लिए नियोजित कर सकेगा।

(3) मतदाता के मतदान केन्द्र में प्रवेश करने पर पीठासीन पदाधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत मतदान पदाधिकारी मतदाता का नाम और अन्य विशिष्टियों को मतदाता सूची की सुसंगत प्रविष्टि से मिलायेगा और मतदाता का अनुक्रमांक, नाम और अन्य विशिष्टियां पढकर सुनायेगा।

(4) मतदाता को मतपत्र प्राप्त करने के अधिकार का विनिश्चय करने में पीठासीन पदाधिकारी या प्राधिकृत पदाधिकारी मतदाता सूची की सुसंगत प्रविष्टि में किसी मुद्रण भुल की अनदेखी करेगा यदि उसका समाधान हो जाये कि प्रविष्टि उस मतदाता से ही संबंधित है।

64. **इलेक्ट्रोनिक फोटो पहचान पत्र पहचान का प्रमुख आधार होगाः–** भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत इलेक्ट्रोनिक फोटो पहचान पत्र नगरपालिका चुनाव में भी किसी मतदाता की पहचान का प्रमुख आधार होगा। उन मतदाताओं को, जिन्हें इलेक्ट्रोनिक फोटो पहचान पत्र उपलब्ध कराया गया है, अगर वे बिना पर्याप्त औचित्य के, इसे पीठासीन पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने में असफल रहते हैं, तो उन्हें पीठासीन पदाधिकारी द्वारा मतदान करने से वंचित किया जा सकता है। उन मतदाताओं की पहचान, जिन्हें इलेक्ट्रोनिक फोटो पहचान पत्र नहीं दिया गया है, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट अन्य साधनों से विनिश्चित की जाऐगी।

65. **मतदान केन्द्र में प्रवेश और उसे बन्द करना :–**(1) नियम 52 के अधीन निर्धारित समय पर पीठासीन पदाधिकारी मतदान केन्द्र को बन्द कर देगा तथा उस समय के बाद किसी मतदाता को प्रवेश की अनुमति नहीं देगा।

परन्तु इस प्रकार बन्द किए जाने के पहले मतदान केन्द्र में उपस्थित सभी मतदाताओं को अपना मत देने का हक प्राप्त होगा।

(2) अगर यह प्रश्न उठे कि उप नियम (1) के उद्देश्य के लिए कोई मतदाता मतदान केन्द्र के बन्द किये जाने के पहले मतदान केन्द्र में उपस्थित माना जाऐगा अथवा नहीं, तब यह मामला उस मतदान केन्द्र के पीठासीन पदाधिकारी के निर्णय हेतु लाया जाएगा एवं उसका निर्णय अंतिम होगा।

66. **मतदान केन्द्रों में मतदान प्रकोष्ठ :–** प्रत्येक मतदान केन्द्र में इतनी संख्या में मतदान प्रकोष्ठ बनाये जाएंगे जो निर्वाची पदाधिकारी आवश्यक समझे ताकि मतदाता गुप्त रूप से अपना मत दे सकें।

67. **मतदान केन्द्र पर मतपेटिका/इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन एवं अन्य सामग्रियों को उपलब्ध किया जाना :–** (1) निर्वाची पदाधिकारी, प्रत्येक मतदान केन्द्र पर, पर्याप्त संख्या में मतपेटियों/ इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन की व्यवस्था करेगा, जिसका परिकल्प इस तरह का होगा जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित किया जाए।

(2) निर्वाची पदाधिकारी प्रत्येक मतदान केन्द्र पर पर्याप्त संख्या में मतपत्र, मतपत्रों पर प्रभेदक चिह्न की मोहर लगाने हेतु उपकरण, यथावश्यक संख्या में मतपेटियाँ एवं मतदाता सूची अथवा उसके अंश जिसमें उस मतदान केन्द्र पर मत डालने के हकदार मतदाताओं के नाम सम्मिलित हों, की प्रतियाँ तथा वैसे अन्य सामान/उप साधन जिनकी उस मतदान केन्द्र पर मतदान कराने हेतु आवश्यकता हो, उपलब्ध करायेगा।

(3) मतदान केन्द्र के बाहर प्रमुखता से

(क) मतदान क्षेत्र तथा मतदान केन्द्र पर मतदान करने के हकदार मतदाताओं एवं अगर मतदान क्षेत्र में एक से अधिक मतदान केन्द्र हों, तो वहाँ वैसा हक रखने वाले मतदाताओं के विवरण, तथा

(ख) निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थिओं की सूची,

प्रदर्शित की जायेगी।

69. **मतदान के पहले की प्रक्रिया:–** (1) किसी मतदाता को कोई मतपत्र दिये जाने के पूर्व पीठासीन पदाधिकारी या मतदान पदाधिकारी, अगर उसे मतदाता की पहचान अथवा उसके मत देने के हक के प्रति कोई संदेह हो, स्वयं अपनी तरफ से तथा अभ्यर्थी के द्वारा चाहे जाने पर निश्चित रूप से, उस मतदाता से निम्नलिखित प्रश्न करेगा –

(1) क्या आप निम्नलिखित अंकित व्यक्ति हैं ? (मतदाता सूची से पूरी प्रविष्टि पढ़कर सुनायेगा);

(2) क्या आप इस वार्ड के अन्तर्गत इस निर्वाचन में पहले ही मतदान कर चुके हैं ?

(3) क्या आप नगरपालिका के वर्त्तमान आम चुनाव में किसी अन्य वार्ड में पहले ही मतदान कर चुके हैं ?

अगर मतदाता किसी प्रश्न का उत्तर देने से इनकार करता है अथवा पहले प्रश्न का उत्तर `हाँ' में और दूसरे एवं तीसरे प्रश्न का उत्तर `न' में नहीं देता है, तो उसे कोई मतपत्र नहीं दिया जायेगा।

(2) किसी मतदान के न्द्र पर मतदान करने के उद्देश्य से जो मतदाता मतपत्र या मतपत्रों की मांग करता है, वह ऐसा मतपत्र प्राप्त करने के पहले

(क) पीठासीन पदाधिकारी/मतदान पदाधिकारी को अपनी बांयी तर्जनी का निरीक्षण करने देगा, और

(ख) अपनी बाँयी तर्जनी पर अमिट स्याही का चिह्न लगाने देगा।

(3) उस प्रत्येक मतदाता को निर्वाचन में अपना मत रिकॉर्ड करने या मतपत्र प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं होगा, जिसने

(क) अपनी बांयी तर्जनी का निरीक्षण करने से मना किया हो; अथवा

(ख) अपनी बाँयी तर्जनी पर अमिट स्याही लगाने से मना किया हो; अथवा

(ग) उस चिह्न को लगाये जाने के पश्चात उसे मिटाने की लगातार चेष्टा कर रहा हो।

(4) मतदान केन्द्र में प्रवेश करने के समय जिस व्यक्ति की बाँयी तर्जनी में पहले से कोई ऐसा चिह्न लगा हुआ हो उसे कोई मतपत्र नहीं दिया जायेगा।

(5) इस नियमावली अथवा उप नियम (2) के अधीन किसी मतदाता की बांयी तर्जनी से जहाँ मतदाता को बांयी तर्जनी नहीं हो, बांये हाथ की किसी भी अन्य अंगुली का संदर्भ लिया जायेगा एवं जहाँ बांये हाथ की सभी अंगुलियाँ नदारद हों, वहाँ बायें या दायें बांह के उस अन्तिम हिस्से से लिया जायेगा, जो मतदाता कहे।

(6) (i) मतदान केन्द्र में प्रवेश करते ही मतदाता सर्वप्रथम मतदान पदाधिकारी को अपनी बांयी तर्जनी का निरीक्षण करने देगा ताकि यह निश्चित किया जा सके कि उस अंगुली में पहले से अमिट स्याही का चिह्न है अथवा नहीं। अगर ऐसा कोई चिह्न नहीं है, तब मतदाता सूची का प्रभारी मतदान पदाधिकारी मतदाता का नाम और पता एवं अन्य ऐसे विवरण जो मतदाता सूची में है, के बारे में सुनिश्चित होगा तथा मतदाता सूची से इनकी जाँच कर लेने के पश्चात मतदाता सूची के अनुरूप मतदाता की क्रम संख्या, नाम एवं विवरण पुकार कर पढ़ेगा। पीठासीन पदाधिकारी या मतपत्रों का प्रभारी मतदान पदाधिकारी मतदाता की बाँयी तर्जनी में अमिट स्याही का चिह्न लगायेगा, और तब मतदाता को प्रभेदक चिह्न की मुहर लगे एक मतपत्र या आवश्यक संख्या में मतपत्रों को देगा। पीठासीन पदाधिरकारी या मतदान पदाधिकारी द्वारा मतदाता सूची में अंकित मतदाता की क्रम संख्या मतपत्र के प्रतिपर्ण पर अंकित की जायेगी। मतदाता सूची में मतदाता के नाम के आगे भी एक चिह्न यह दिखलाने के लिये लगा दिया जायेगा कि मतदाता मतपत्र प्राप्त कर चुका है, किन्तु प्राप्त मतपत्र के संबंध में कोई विवरण नहीं दिया जायेगा।

(ii) किसी निर्वाचन में मतदान करने के उद्देश्य से किसी व्यक्ति के मतपत्र प्राप्त करने की हकदारी के संबंध में निर्णय लेने में पीठासीन पदाधिकारी मतदाता सूची की किसी प्रविष्टि में मात्र लिपिकीय या मुद्रण भूलों को नजरअंदाज कर सकता है, लेकिन वह ऐसा करने के कारणों एवं विवेचना को ऐसे व्यक्ति को निर्गत मतपत्र के प्रतिपर्ण पर निश्चित रूप से अंकित करेगा।

70. **मतदान:–** (1) मतदाता मतपत्र प्राप्त करने के पश्चात्

(क) किसी एक मतदान प्रकोष्ठ में जाएगा;

(ख) मतपत्र पर इस उद्देश्य से आपूरित उपकरण द्वारा , अपनी पसंद के उम्मीदवार के प्रतीक चिह्न पर या उसके निकट निशान लगायेगा;

(ग) मतपत्र को मोड़ेगा ताकि उसका मत किसी को पता न चले;

(घ) मोड़े हुए मतपत्र को मतपेटी में डालेगा; और

(ङ) मतदान केन्द्र से बाहर चला जाएगा।

(2) प्रत्येक मतदाता बिना अनुचित विलम्ब के मतदान करेगा।

(3) जबतक कोई मतदाता अपना मतदान करने के प्रयोजन से मतदान प्रकोष्ठ के अन्दर है, तबतक किसी दूसरे मतदाता को उस मतदान प्रकोष्ठ में प्रवेश करने की इजाजत नहीं दी जायेगी।

71. **दृष्टिहीन या नि:शक्त मतदाताओं द्वारा मतदान :–** (1) अगर पीठासीन पदाधिकारी संतुष्ट हो कि दृष्टिहीनता अथवा अन्य शारीरिक नि:शक्तता के कारण कोई मतदाता मतपत्र में अंकित प्रतीक चिह्न को पहचानने अथवा बिना किसी सहायता के उस पर निशान लगाने में असमर्थ है, तो पीठासीन पदाधिकारी उस मतदाता को अपने साथ मतदान प्रकोष्ट तक 18 वर्ष की आयु से अन्यून एक सहयोगी को, जो उसकी तरफ से उसकी इच्छानुसार मतपत्र पर मत अंकित करेगा, ले जा सकने एवं उसे मोड़ कर, ताकि मत छिपा रहे, मतपेटी में डालने की अनुमति देगा।

परन्तु यह कि किसी व्यक्ति को उसी दिन किसी मतदान केन्द्र पर एक से अधिक मतदाता के सहयोगी के रूप में कार्य करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

परन्तु यह भी कि इस नियमावली के अधीन अगर निर्वाचन के दिन किसी व्यक्ति को सहयोगी बनने की अनुमति दी गई तो उस व्यक्ति को **प्रपत्र–18 (क)** में यह घोषणा करनी होगी कि वह उसके

द्वारा दिये गये मतदाता के मत को गुप्त रखेगा तथा उसने उस दिन किसी अन्य मतदान केन्द्र पर किसी दूसरे मतदाता के सहयोगी के रूप में कार्य नहीं किया है।

(2) पीठासीन पदाधिकारी इस नियमावली के अधीन ऐसे सभी मामलों का **प्रपत्र–18 (ख)** में अभिलेख रखेगा।

72. **निविदत्त मत (Tendered Vote) :–** (1) अगर कोई व्यक्ति दावा करे कि वह मतदाता सूची में नामित मतदाता है किन्तु ऐसे मतदाता के रूप में किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा पहले ही मत दे दिया गया है तब पीठासीन पदाधिकारी का ऐसा समाधान हो जाने पर वह व्यक्ति मतपत्र प्राप्त करने का अधिकारी होगा और उसे दिया गया ऐसा मतपत्र निविदत्त मतपत्र के रूप में निर्दिष्ट किया जायेगा।

(2) निविदत्त मतपत्र मतपेटी में नहीं डाला जायेगा बल्कि इसपर संबंधित मतदाता द्वारा अपना मत चिह्नित कर इसे पीठासीन पदाधिकारी को सौंप दिया जायेगा जो इसे अलग पैकेट में रखेगा। मतदान की समाप्ति पर ऐसे समस्त निविदत्त मतपत्रों की यह पैकेट सीलबन्द कर दी जायेगी।

(3) निविदत्त मतों की सूची **प्रपत्र–19** में तैयार की जायेगी तथा मतपत्र निविदत्त करने वाला मतदाता उस सूची में अपने निविदत्त मतपत्र के संबंध में की गई प्रविष्टि के सामने अपना हस्ताक्षर करेगा या अपने अंगूठे का निशान लगायेगा।

73. **अभ्याक्षेपित मत (Challenged Vote) :–** (1) अगर कोई अभ्यर्थी निर्वाचन अभिकर्त्ता घोषणा करता है तथा इसे साबित करने की अन्डरटेकिंग देता है कि कोई व्यक्ति जिसने मतपत्र मांगा है तथा मतदाता विशेष होने का दावा किया है, प्रतिरूपण का अपराध किया है तब पीठासीन पदाधिकारी वैसे व्यक्ति का नाम एवं पता अभ्याक्षेपित मतों की सूची में डाल देगा, जो **प्रपत्र–20** में होगी, और यदि वह लिख नहीं सकता है तो वहाँ उसके अंगूठे का निशान ले लेगा एवं उस व्यक्ति को अपनी पहचान के संबंध में अन्य साक्ष्य प्रस्तुत करने को कह सकेगा।

परन्तु यह कि इस उप नियम के तहत पीठासीन पदाधिकारी द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जायेगी अगर अभ्यर्थी अथवा वैसे अभिकर्त्ता द्वारा प्रत्येक अभ्याक्षेप के लिये पाँच रूपये की नकद राशि पीठासीन पदाधिकारी के यहाँ जमा न कर दी गई हो।

(2) अगर इस प्रकार अभ्याक्षेपित व्यक्ति ऐसे आदेश का अनुपालन करने से इनकार करता है, तब उसे मत देने का हक नहीं होगा, लेकिन अगर वह व्यक्ति आदेश का अनुपालन कर देता है, तथा नियम-70 में बताये गये तरीके से पूछे गये प्रश्नों में प्रथम प्रश्न का उत्तर हाँ में एवं अन्य प्रश्नों का उत्तर न में देता है, तो उसे प्रतिरूपण के दण्ड के संबंध में चेतावनी देते हुए मतदान करने की अनुमति दी जायेगी।

(3) अगर पीठासीन पदाधिकारी, मौके पर उसके विचार में यथावश्यक जाँच करने के पश्चात इस राय का हो कि अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्त्ता द्वारा उप नियम (1) के अधीन लगाया गया अभ्याक्षेप तुच्छ है तथा नेक नियत से नहीं लगाया गया है, तब वह उप नियम (1) के अधीन जमा की गई राशि को जप्त कर नगरपालिका के खाते में जमा करने का निदेश देगा तथा इस संबंध में उसका आदेश अन्तिम होगा।

(4) अगर उप नियम (1) के अधीन जमा निक्षेप उप नियम (3) अधीन जप्त नहीं किया जाता है, तब वह राशि मतदान के समय की समाप्ति के पश्चात उस व्यक्ति को लौटा दी जायेगी, जिसके द्वारा यह जमा की गई थी।

(5) पीठासीन पदाधिकारी प्रत्येक मामले में, चाहे अभ्याक्षेपित व्यक्ति को मतदान करने की अनुमति दी जाये

अथवा नहीं, अभ्याक्षेपित मतों की सूची में परिस्थितियों के संबंध में एक टिप्पणी अवश्य अंकित करेगा।

75. **पीठासीन पदाधिकारी तथा मतदान पदाधिकारी एवं निर्वाचन अभिकर्त्ताओं द्वारा मतदान :–** अगर कोई पीठासीन पदाधिकारी, मतदान पदाधिकारी, निर्वाचन अभिकर्त्ता या मतदान अभिकर्त्ता जो वार्ड का मतदाता होने के कारण विधिमान्य रूप से मत देने हेतु अधिकृत है या, ऐसे मतदान केन्द्र पर कर्त्तव्य में प्रतिनियुक्त हो, जहाँ उसे मत देने का हक नहीं है, निर्वाची पदाधिकारी को **प्रपत्र–21** में एक प्रमाण-पत्र के लिये आवेदन देगा जो उसे उस मतदान केन्द्र पर मतदान करने का हक दे सके। ऐसा आवेदन निर्वाची पदाधिकारी को कम से कम चार दिन पूर्व या ऐसी छोटी अवधि के बीच पहुँच जाना चाहिये जो निर्वाची पदाधिकारी मतदान तिथि के पूर्व स्वीकृत करे। निर्वाची पदाधिकारी का समाधान हो जाने के पश्चात की आवेदक नगरपालिका का कोई लोक सेवक है अथवा वार्ड में निर्वाचन अभिकर्त्ता या मतदान अभिकर्त्ता है, वह

(क) **प्रपत्र–22** में आवेदक को निर्वाचन कर्त्तव्य प्रमाण-पत्र निर्गत करेगा;

(ख) मतदाता सूची की चिह्नित प्रति में मतदाता के नाम के सामने `निर्वाचन कर्त्तव्य प्रमाण-पत्र' यह दिखलाने के लिये अंकित करेगा कि उसे यह प्रमाण-पत्र निर्गत कर दिया गया है; और

(ग) यह सुनिश्चित करेगा कि वह उस मतदान केन्द्र पर मतदान नहीं कर पाये, जहाँ वह सामान्यतः मतदान करने का हकदार होता।

76. **नियम 75 के अधीन प्रमाण–पत्र स्वीकृत किये गये व्यक्तियों को मतपत्र निर्गत किया जाना :–** (1) वैसे व्यक्ति को जिसे नियम 75 के अधीन प्रमाण-पत्र निर्गत किया गया है, उसी तरीके से मतपत्र दिया जायेगा, जैसे अन्य मतदाता को दिया जाता है। इस नियमावली के प्रावधान उस व्यक्ति पर लागू नहीं होंगे, जो मतदान केन्द्र पर इस उद्देश्य हेतु विहित प्रपत्र में निर्वाचन कर्त्तव्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करता है एवं मतपत्र निर्गत करने की माँग करता है, यद्यपि मतदान केन्द्र उस मतदान केन्द्र से भिन्न है, जहाँ वह मतदान करने का हकदार है।

(2) वैसे प्रमाण-पत्र के उपस्थापन किये जाने के पश्चात पीठासीन पदाधिकारी –

(क) उस पर प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति का हस्ताक्षर होगा;

(ख) मतदाता सूची को चिह्नित प्रति के अन्त में प्रमाण-पत्र में यथा अंकित व्यक्ति का नाम एवं मतदाता सूची क्रमांक अंकित करेगा; और

(ग) उसे एक मतपत्र देगा तथा उसे उसी प्रकार से मतदान करने की अनुमति देगा जैसा कि उस मतदान केन्द्र पर मतदान करने हेतु हकदार अन्य मतदाता के लिये किया गया है।

77. **मतदान के पश्चात् मतपेटियों का सीलबन्द किया जाना :–** (1) मतदान के बन्द होने के पश्चात् पीठासीन पदाधिकारी उपस्थित अभ्यर्थियों या उनके निर्वाचन अभिकर्त्ताओं के समक्ष मतपेटी की छेद को बन्द कर देगा और मतपेटी को सीलबन्द करेगा। साथ ही, उस पर किसी भी उपस्थित अभ्यर्थी, निर्वाचन अभिकर्त्ता या मतदान अभिकर्त्ता को, यदि वह चाहे, अपनी सील लगाने देगा।

(2) यदि एक मतपेटी के भर जाने के कारण दूसरी मतपेटी का उपयोग में लाना आवश्यक हो जाये, तब पहली मतपेटी को उप-नियम (1) में इंगित रीति से तत्काल सीलबन्द कर दिया जायेगा।

(3) अन्य पैकेटों को सीलबन्द किया जाना –

(1) पीठासीन पदाधिकारी —

(क) मतदाता सूची की चिह्नित प्रतियाँ;

(ख) उपयोग में नहीं लाये गये मतपत्र;

(ग) रद्द किये गये मतपत्र;

(घ) निविदत्त मतपत्रों का लिफाफा और सूची;

(ङ) अभ्याक्षेपित मतों की सूची; और

(च) अन्य ऐसे कागजात जिनके सम्बन्ध में निर्वाची पदाधिकारी ने यह निदेश दिया हो कि वे सीलबन्द पैकेट में रखे जायें, के पृथक्-पृथक् पैकेट तैयार करेगा और उन्हें सीलबन्द करेगा।

(2) पीठासीन पदाधिकारी ऐसी प्रत्येक पैकेट पर वहाँ उपस्थित अभ्यर्थी, निर्वाचन अभिकर्त्ता या मतदान अभिकर्त्ता को, यदि वह चाहे, अपनी सील लगाने देगा।

(4) संबंधित मतपेटियों, पैकेटों आदि का निर्वाची पदाधिकारी को प्रेषण –

(1) पीठासीन पदाधिकारी निर्वाची पदाधिकारी को –

(क) मतपेटियाँ;

(ख) मतपत्र-लेखा एवं पेपर सील लेखा;

(ग) उप-नियम (3) में निर्दिष्ट सीलबन्द पैकेट; और

(घ) मतदान में उपयोग में लाये गये सभी अन्य कागजात, निर्दिष्ट किये गये स्थान में जमा करेगा।

(2) निर्वाची पदाधिकारी या प्राधिकृत पदाधिकारी उप-नियम(1) में अंकित वस्तुओं की मतों की गणना प्रारम्भ होने तथा मतगणना की समाप्ति तक अभिरक्षा की व्यवस्था करेगा।

78. **मतपत्र एवं पेपर सील का लेखा :–** मतदान बन्द होने पर पीठासीन पदाधिकारी पत्र 23(क) में मतपत्र लेखा एवं प्रपत्र 23 (ख) में पेपर सील लेखा तैयार करेगा और उन्हें पृथक् लिफाफों में रखेगा और उनके ऊपर ``मतपत्र लेखा''/``पेपर सील लेखा'' लिखेगा।

99. **आपात स्थिति में मतदान का स्थगन :–** (1) यदि किसी निर्वाचन में मतदान केन्द्र पर मतदान के दौरान बलवा, हिंसा, प्राकृतिक विपदा, मतदान सामग्री के विनष्ट हो जाने या अन्य किसी पर्याप्त कारण से मतदान कराया जाना संभव नहीं हो, तो वैसे मतदान केन्द्र का पीठासीन पदाधिकारी अथवा निर्वाची पदाधिकारी उस मतदान को बाद में घोषित की जाने वाली तिथि के लिए स्थगित कर देगा एवं जहाँ पीठासीन पदाधिकारी द्वारा मतदान को स्थगित किया गया है, वह तत्क्षण निर्वाची पदाधिकारी को इसकी सूचना देगा।

(2) जहाँ उप-नियम (1) के अधीन कोई मतदान स्थगित कर दिया गया है, निर्वाची पदाधिकारी अविलम्ब राज्य निर्वाचन आयोग को परिस्थितियों की सूचना देगा एवं राज्य निर्वाचन आयोग की पूर्व अनुमति से, उस मतदान केन्द्र में पुनः मतदान कराने का आदेश देगा और इस निमित्त तिथि एवं समय नियत करेगा और तबतक उस निर्वाचन में मतों की गिनती नहीं करेगा, जबतक स्थगित मतदान पूरा नहीं कर लिया जाता है।

(3) उपर्युक्त प्रत्येक मामले में निर्वाची पदाधिकारी नगरपालिका के संबंधित वार्ड में उस तरीके से जो वह उचित समझे, उप-नियम (2) के अधीन तारिख, स्थान एवं समय की सूचना प्रकाशित करेगा।

—

इलेक्ट्रोनिक मतदान मशीन (EVM) : एक परिचय

इलेक्ट्रोनिक मतदान मशीन (EVM) एक पौर्टेबल तथा माईक्रो कंट्रोलर (Micro controller) आधारित उपकरण है। यह प्रचालन में सरल है व अल्प समय में ही संस्थापित किया जा सकता है । अवैध मतों (invalid votes) के लिए कोई स्कोप नहीं है। साथ ही, मतदान आँकड़ों की गोपनीयता बनी रहती है। इ.वी.एम. तुरंत व एकदम सही गणना की सुविधा प्रदान करती है।

इलेक्ट्रोनिक मतदान मशीन, चुनाव अधिकारियों व मतदाताओं दोनों के फायदे के लिए, चुनाव प्रक्रिया को सरल बनाती है। इ.वी.एम. में प्रति यूनिट के लिए एक मतपत्र का उपयोग होता है। इसे बैलेट यूनिट के पारदर्शी एक्रिलिक शीट (Transparent acrylic sheet) के नीचे लगाया जाता है जिसमें परंपरागत मतपत्र की भांति उम्मीदवारों के नाम व उनके प्रतीकों की सूची अंकित होती है। पूर्व के चुनाव में रिकार्ड किए गए मतों को मिटाने के लिए , एक बटन मात्र को दबाकर व बैलेट यूनिट में मतपत्र को बदलकर, EVM को अनुवर्ती (subsequent)चुनावों में पुनः उपयोग में लाया जा सकता है। मतदाता को अपनी पसंद के उम्मीदवार को मत देने के लिए केवल मात्र एक बटन दबाना पड़ता है। एक श्रव्य-दृश्य सिग्नल (audio visual signal) मतदाता को यह सुनिश्चित करता है कि उसका मत रिकार्ड हो गया है।

इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन (EVM) में मुख्यतः दो यूनिट हैं:-

(क) कंट्रोल यूनिट

(ख) बैलेट यूनिट; जिसमें कंट्रोल यूनिट के साथ जोड़ने के लिए एक केबल लगा होता है। एक बैलैट यूनिट 16 उम्मीदवारों के लिए प्रयुक्त हो सकती है। आपस में जुड़ी हुई चार बैलेट यूनिट, 64 उम्मीदवारों के लिए एक कंट्रोल यूनिट के द्वारा प्रयोग में लाई जा सकती है।

इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन MK-IV के विशेष गुण

- **अद्वितीय क्रम संख्या(Unique Serial Number)**

  प्रत्येक कंट्रोल यूनिट (C.U.) एक अद्वितीय क्रम संख्या रखती है, जो कि कंट्रोल यूनिट के निचले हिस्से के धातु की **स्ट्रिप नंबर** एवं **बार कोड** से मेल होती है।

- **रीयल टाईम क्लॉक(Real Time Clock)**

  वर्तमान दिनांक व समय को, **"पावर ऑन"** व **"टोटल"** बटन दबाने पर दर्शाया जाता है।

- **बैटरी पावर का स्टेटस (Status of Battery Power)**

  बैटरी, पावर के स्टेटस को दर्शाया जाता है, यथा HIGH, LOW, MEDIUM, CHANGE BATTERY

- **पावर बचत मोड (Power Save Mode)**

  मशीन को उपयोग न करने की दशा में यह पावर बचत मोड में चली जाती है; पावर पैक का जीवनकाल वर्धित करती है।

- **प्रिंट (Print)**

  मतदान के परिणाम के आँकड़ों को मुद्रित किया जा सकता है।

- **ब्रेल (Braille)**

  दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए बैलेट यूनिट पर ब्रेल की मोल्डिंग होती है।

बैलेट यूनिट(BALLOT UNIT)

बैलेट यूनिट (B.U.) मशीन की वह यूनिट है ; जिसमें मतदाता अपने मत का प्रयोग करता है। यह आयताकार बक्से से मिलकर बनी होती है, जो निम्नवत हैः-

(क) एक दूसरे को जोड़ने वाला केबल,
(ख) रेडी लैम्प,
(ग) स्लाईड स्विच विंडो ,
(घ) सोलह उम्मीदवारों के लिए बटन ,
(ङ) सोलह उम्मीदवारों के लिए लैम्प, एवं
(च) मतपत्र में निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की क्रम संख्या, नाम और निर्वाचन प्रतीक आदि होते हैं, जिसे डालने की व्यवस्था पारदर्शी एक्रिलिक स्क्रीन (बैलेट पेपर स्क्रीन) के तहत होती है।

कंट्रोल यूनिट(CONTROL UNIT)

कंट्रोल यूनिट मतदान की प्रक्रिया को नियंत्रित करती है। यह पीठासीन पदाधिकारी या प्रथम मतदान पदाधिकारी द्वारा प्रचालित की जाती है। कंट्रोल यूनिट के अनुभाग निम्नवत हैः-

(क) डिस्प्ले खण्ड
(ख) उम्मीदवार सेट खण्ड
(ग) रिजल्ट खण्ड
(घ) बैलेट खण्ड

बीप टोन (BEEP TONES)

जैसे ही कंट्रोल यूनिट में कोई सूचना प्रदर्शित होती है, यूनिट में अवस्थित बजर बीप एक **"बीप"** की आवाज देता है। **"बीप"** आवाज की अवधि प्रदर्शित सूचना के प्रकार के अनुरूप अलग-अलग होती हैः-

सूचना का प्रकार		**"बीप" की अवधि**
मतदाता द्वारा अपना मत रिकार्ड के बाद	-	5 सेकेण्ड
योग, उम्मीदवार सैट, व्यक्तिगत परिणाम आदि	-	2 सेकेण्ड
खराब कार्य करने, कनेक्शन हटने व अन्य त्रुटियां आदि	-	अल्प अवरूद्ध बीप
जब बटन को क्रम से हटाकर दबाया जाता है	-	4 सेकेण्ड
जब मतदान डाटा को "क्लियर" किया जाता है	-	14 सेकेण्ड

कंट्रोल यूनिट चलाने का उचित क्रम

कंट्रोल यूनिट के विभिन्न बटनों को चलाने के लिए उचित अनुक्रम निम्नलिखित हैः-

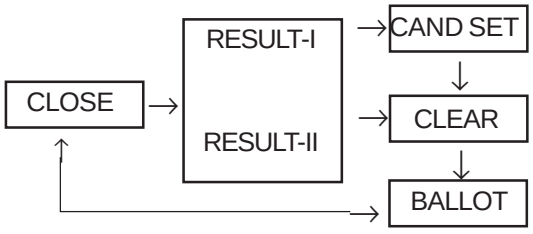

EVM - 2000
(Old Model)

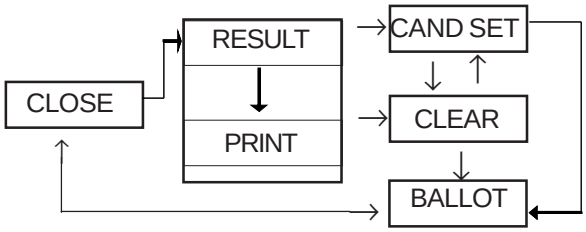

EVM MK- IV
(New Model)

बटन/स्विच (Buttons / Switches)

(अ) बैलेट यूनिट

उम्मीदवार का बटन- प्रत्येक उम्मीदवार के नाम एवं प्रतीक के सामने एक नीला बटन होता है।

स्लाइड स्विच - बैलेट यूनिट की संख्या के आधार पर स्लाईड स्विच फिक्स (fix) किया जाता है।

(आ) कंट्रोल यूनिट

पावर स्विच - इ.वी.एम. चलाने हेतु **"ऑन"** किया जाता है।

कैंड सेट बटन - उम्मीदवारों की संख्या इ.वी.एम. में सेट करने हेतु

क्लियर बटन - मतदान प्रारंभ होने से पूर्व

टोटल बटन - बैटरी की स्थिति, दिनांक व समय, उम्मीदवार की संख्या , कंट्रोल यूनिट की क्रम संख्या, उस समय रिकॉर्ड किए गए कुल मतों की कुल संख्या हेतु ।

क्लोज़ बटन - मतदान समाप्ति के समय प्रयोग हेतु

बैलेट बटन - बैलेट बटन दबाने के पश्चात मतदाता अपना मत रिकार्ड करता है।

रिजल्ट बटन - गणना परिणाम, दिनांक , मतदान , आरम्भ व समाप्ति समय उम्मीदवार की संख्या, मतों की कुल संख्या आदि।

प्रिंट बटन - रिजल्ट डाटा को प्रिंट करने हेतु ।

रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा इ.वी.एम. का परिचालन

मतदान केन्द्र पर प्रयोग में लाए जाने हेतु इ0वी0एम0 की आपूर्ति पीठासीन पदाधिकारियों को करने से पूर्व रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा मशीनों को तैयार किया जाएगा। बैलेट यूनिट को रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा निम्नलिखित ढंग से तैयार किया जाएगाः-

— बैलेट पेपर स्क्रीन को खोलना
— मतपत्र लगाना
— उम्मीदवारों के जिन बटनों का इस्तेमाल न करना हो उनको ढकना ।
— स्लाईड स्विच सेट करना।
— बैलेट यूनिट सील करना।
— निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी या उनके अभिकर्त्ता अपनी भी सील लगाना चाहें, तो उन्हें सील लगाने दी जाएगी।

❍ **रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा निम्न प्रकार से कंट्रोल यूनिट तैयार की जाएगी :-**

— पावर पैक लगाना।
— निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की संख्या सेट करना।
— उम्मीदवार सेट कम्पार्टमेन्ट को सील करना।
— उम्मीदवार सेट खंड को सील करना।
— निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी या उनके अभिकर्त्ता अपनी भी सील लगाना चाहें, तो उन्हें सील लगाने दी जाएगी।

पीठासीन पदाधिकारी द्वारा मतदान के दिन मतदान केन्द्र में इ.वी.एम. की कमीशनिंग

इ.वी.एम. (B.U. & C.U.) रिटर्निंग ऑफिसर के स्तर पर पहले से ही पूरी तरह से सम्यक रूप से तैयार की हुई होती है। बैलेट यूनिट एवं कंट्रोल यूनिट का परस्पर संयोजन केबल के सहयोग से पीठासीन पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा। पीठासीन पदाधिकारी द्वारा बैलेट यूनिट की निम्नलिखित जाँच की जाएगी :-

— मतपत्र स्क्रीन के नीचे, मतपत्र डिस्प्ले पैनल में मतपत्र सही ढंग से लगा है।
— रिटर्निंग ऑफिसर की दोनों सील बरकरार हैं।

❍ पीठासीन पदाधिकारी द्वारा कंट्रोल यूनिट की निम्न जाँच अपेक्षित है:-

— एड्रेस टैग एवं सीलों की उपलब्धता है या नहीं।
— कैंड सेट सेक्शन सम्यक रूप से सील किया हुआ है या नहीं।
— पॉवर पैक की क्रियाशीलता।

❍ कंट्रोल यूनिट की तैयारी:-

— कंट्रोल यूनिट का बैलेट यूनिट के साथ परस्पर संयोजन करना।
— पॉवर स्विच को **"ऑन"** स्थिति में लाना।
— उपर्युक्त कार्योपरान्त पिछला खाना बंद करना।
— नकली मतदान करना।
— नकली मतदान (Mock Poll) पश्चात मशीन को **क्लीयर** करना और समस्त गणनाओं को शून्य पर सेट करना।
— पेपर सील लगाना तथा परिणाम भाग के बाहरी ढक्कन को बंद करना एवं सील लगाना।
— स्ट्रिप सील लगाना।
— वास्तविक मतदान कराना
— मतदान समाप्ति के पश्चात **क्लाज़** बटन दबाना एवं कंट्रोल यूनिट का स्विच **ऑफ** करना तथा अंतिम रूप से बैलेट यूनिट एवं कंट्रोल यूनिट को कैरिंग बॉक्स में रख कर सील करना।

निर्वाची पदाधिकारी द्वारा मतगणना

इ.वी.एम. में रिकॉर्ड किए गए मतों की गणना उम्मीदवारों और/ या उनके एजेंटों की उपस्थिति मे निर्वाची पदाधिकारी द्वारा नियत स्थान, तारीख एवं समय पर करायी जाएगी। निर्वाची पदाधिकारी द्वारा मतगणना की निम्न प्रक्रिया अपनायी जाएगी :-

— मतगणना हॉल में केवल कंट्रोल यूनिट की आवश्यकता है।
— यह जाँच करने के बाद कि सभी सीलें ठीक हैं और उन सीलों को हटाने के पश्चात कंट्रोल यूनिट को इसके कैरिंग बॉक्स से बाहर निकालना
— यह जाँच करने के पश्चात कि पेपर सील बरकरार है, पॉवर स्विच को **ऑन** की स्थिति में करते हुए कंट्रोल यूनिट का स्विच **ऑन** करना तथा **ऑन लैम्प** का **हरा** चमकना।
— **परिणाम बटन** के ऊपर की पेपर सील को छेद कर **परिणाम बटन दबाएं**
— **डिस्प्ले पैनल** पर प्रत्येक उम्मीदवार के लिए रिकॉर्ड किए गए मतों की कुल संख्या का प्रदर्शन होगा।
— प्रदर्शन पश्चात कंट्रोल यूनिट का स्विच **ऑफ** करना।

इ.वी.एम. परिचालन का क्रम

(1)इ.वी.एम.की तैयारी

— **उम्मीदवार सैट खण्ड** को खोलना।
— **पॉवर पैक** बैटरी लगाना
— **इन्टरकनेक्टिंग केबल** द्वारा बैलेट यूनिट एवं कंट्रोल यूनिट को जोड़ा जाना।
— बैलेट यूनिट को खोलना; **उम्मीदवारों की संख्या के अनुरूप बटन को मास्क रहित करना** तथा **शेष बटन** का **मास्क सहित** रखना; बैलेट यूनिट को बंद करना
— कंट्रोल यूनिट का स्विच **ऑन** करना

(2) निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की संख्या सेट करना।

उम्मीदवार सैट बटन को दबाना। प्रदर्शन खण्ड पर **"SET CANDIDATE"** प्रदर्शित होगा। बैलेट यूनिट के **अंतिम मास्क रहित उम्मीदवार बटन** को दबाना।

[**उदाहरण** :- यदि उम्मीदवारों की संख्या **4** है तो "**CAND SET** " बटन को दबाए तथा इसके बाद बैलेट यूनिट के **चतुर्थ बटन** को दबाया जाए। तत्पश्चात प्रदर्शन खण्ड पर "**CANDIDATE 4** " प्रदर्शित होगा।]

"**CAND SET**" बटन दबाने पर यदि प्रदर्शन खण्ड पर "**INVALID**" प्रदर्शित होता है तो :-

(क) "**CLOSE**" बटन दबाया जाए एवं तब तक प्रतीक्षा की जाए जब तक की "**POLL CLOSED**" नहीं आए;
(ख) "**RESULT**" बटन दबाया जाए एवं तब तक प्रतीक्षा की जाए जब तक कि "**END**" प्रदर्शित न हो;
(ग) "**CLEAR**" बटन दबाया जाए एवं तब तक प्रतीक्षा की जाए जब तक कि "**END**" प्रदर्शित न हो;
(घ) बैलेट यूनिट के **अंतिम मास्क रहित उम्मीदवार** बटन को दबाया जाए।

(3) नकली मतदान (MOCK POLL)

— "**CLEAR**" बटन दबाए । प्रदर्शन पूरी होने की प्रतीक्षा करे।
— "**BALLOT**" बटन दबाए। कंट्रोल यूनिट का " "**BUSY LAMP**" **लाल** चमकने लगेगा और बैलेट यूनिट का "**READY LAMP**"**हरा** चमकने लगेगा।
— किसी भी मतदान एजेन्ट द्वारा बैलेट यूनिट में **उम्मीदवार के बटन** को दबाया जाए।
— उपर्युक्त विधिनुरूप, प्रत्येक उम्मीदवारों को मत दिया जाय।
— मतदान समाप्ति हेतु "**CLOSE**" बटन दबाया जाए।
— नकली मतदान के परिणाम हेतु "**RESULT**" बटन दबाया जाए।
— वास्तविक मतदान हेतु "**CLEAR**" बटन दबाया जाए। ❖❖❖❖❖

(4) रिजल्ट सेक्शन की सीलिंग

— कंट्रोल यूनिट का स्विच **ऑफ** करें। ❖❖❖❖❖
— **पेपर सील** लगाना। रिजल्ट सेक्शन के भीतरी दरवाजे को सील करें।

—— भीतरी दरवाजे का **स्पेशल टैग** से सील करें।

—— **स्ट्रिप सील (STRIP SEAL)** का उपयोग करें, ताकि **पेपर सील** पर चिपक जाए।

(5) वास्तविक मतदान(ACTUAL POLL)

—— कंट्रोल यूनिट का स्वीच **ऑन** करें।

—— मतदान के साथ आगे बढ़े।

—— मतदान समाप्ति के पश्चात "**RUBBER FLAP**" को हटाए तथा"**CLOSE**" बटन दबाएं।

—— **कंट्रोल यूनिट का स्विच ऑफ करें।** ❖❖❖❖❖

—— "**INTERCONNECTING CABLE**" द्वारा बैलेट यूनिट एवं कंट्रोल यूनिट को "**DISCONNECT**" करें।

—— बैलेट यूनिट एवं कंट्रोल यूनिट को क्रमशः अपने-अपने कैरिंग बॉक्स में वापस रख दें।

(6) मतगणना (COUNTING)

—— बाहरी पेपर "**STRIP SEAL**" हटाऐं। सील हटाते हुए रिजल्ट सेक्शन के बाहरी दरवाजे को खोलें।

—— "**SPECIAL TAG**"को **न** हटाएं तथा भीतरी दरवाजे को **न** खोलें।

—— कंट्रोल यूनिट का स्विच "**ON**" करें।

—— "**RESULT**" बटन के ऊपर की पेपर सील को छेद दें।

—— "**RESULT**" बटन को दबाऐं। **डिस्प्ले पैनल** पर रिजल्ट का प्रदर्शन होगा।

—— प्रदर्शन पश्चात कंट्रोल यूनिट का **स्विच ऑफ** करें।

इ.वी.एम. परिचालन

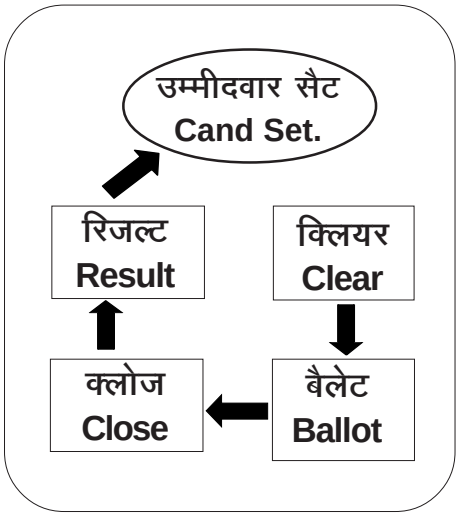

EVM - 2000
(Old Model)

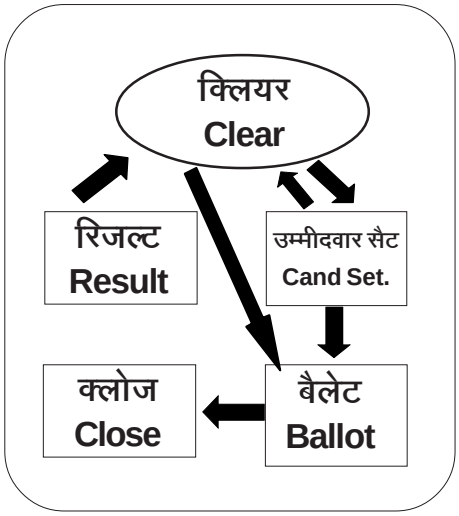

EVM MK- IV
(New Model)

इ.वी.एम. की संरचना एवं कार्य पद्धति के संबंध में उपर्युक्त वर्णित निर्देश सुलभ संकेत हेतु मात्र है। इस संबंध में किसी भी संशय की स्थिति में पूर्ण जानकारी हेतु भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड की इलेक्ट्रोनिक्स मतदान मशीन अनुदेश निर्देशिका से संदर्भ लिया जाए।

(7) प्रारंभिक तैयारी (Initial Preparation)

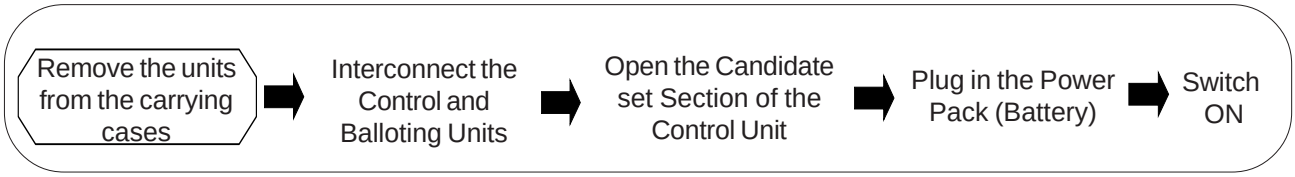

(8) उम्मीदवार सेटिंग (Candidate Setting)

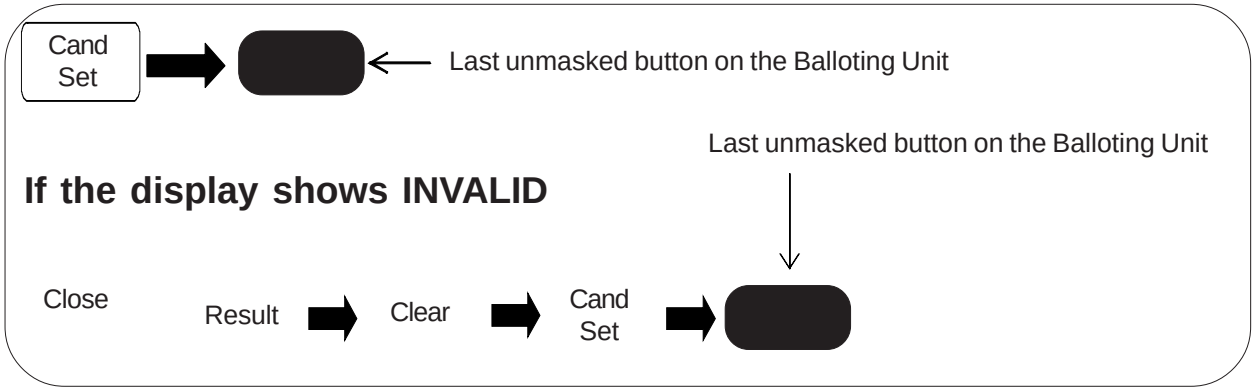

(9) नकली मतदान संचालन एवं वास्तविक मतदान की प्रक्रिया (To conduct Mock Poll and Proceed to Actual Poll.)

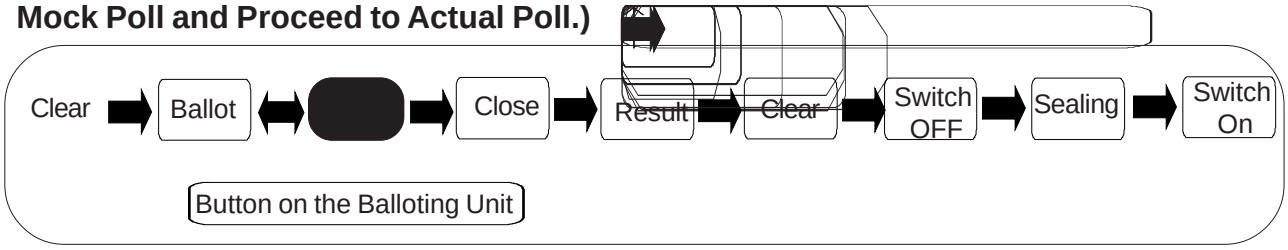

(10) मतदान की समाप्ति (Close of Poll)

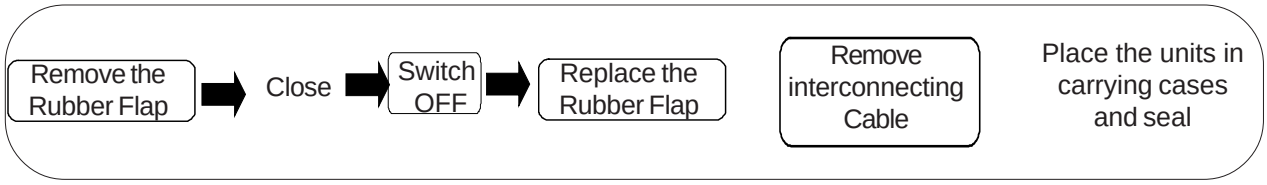

(11) मतगणना (Counting)

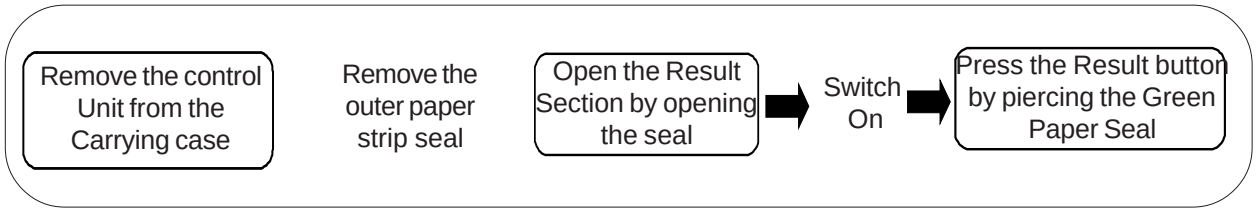

(12) पोलिंग डाटा एक बार रिकॉर्ड हो जाने के बाद पावर पैक (बैटरी) निकाल देने के बाद भी डाटा बरकरार रहता है।

परिशिष्ट–III

मतदान सामग्रियों की सूची

(जहां इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन को उपयोग में लाया जाना है।)

1.	कंट्रोल यूनिट	1
2.	बैलेट यूनिट	1 (उम्मीदवारों की संख्या पर निर्भर)
3.	मतदाताओं का रजिस्टर	1
4.	मतदाताओं की पर्ची	1 (निर्वाचकों की संख्या पर निर्भर)
5.	मतदाता सूची की वर्किंग प्रतियाँ	3
6.	मतपत्र (निविदत्त मतों के लिए)	20
7.	अमिट स्याही	2 (5 घन सें0 की शीशियां)
8.	कंट्रोल यूनिट के लिए एड्रेस टैग	5
9.	बैलेट यूनिट के लिए एड्रेस टैग	4
10.	स्पेशल टैग	3
11.	इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन के लिए पेपर सील	4
12.	स्ट्रिप सील	3
13.	प्लास्टिक वोटिंग स्टिक	1
14.	स्टाम्प पैड (बैंगनी पर्पल रंग)	1
15.	पीठासीन पदाधिकारी की डायरी	1
16.	माचिस	1
17.	पहचान चिह्न की रबड़ स्टाम्प	1

18. **फॉर्म**

1.	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची	1
2.	अभ्याक्षेपित मतों की सूची (प्रपत्र-20).	2
3.	दृष्टिहीन/निःशक्त मतदाताओं की सूची (प्रपत्र-18ख)	2
4.	निविदत्त मतों की सूची(प्रपत्र -19)	2
5.	रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा (भाग-1 एवं भाग-2)	10 या आवश्यकतानुसार
6.	चुनौती दिए गए मतों का शुल्क जमा करने के लिए रसीद पुस्तक	1
7.	पीठासीन पदाधिकारी द्वारा अभ्याक्षेपित मतदान से संबंधित थाना प्रभारी को दिए जाने वाले शिकायत पत्र का प्रारूप	4
8.	मतदान प्रारम्भ होने तथा मतदान समाप्त होने के पूर्व पीठासीन पदाधिकारी द्वारा घोषणा (भाग-I, II, III एवं IV)	2
9.	दृष्टिहीन/निःशक्त मतदाताओं के सहायक द्वारा घोषणा (प्रपत्र-18 क)	4
10.	मतदान अभिकर्ताओं की नियुक्ति (प्रपत्र-16)	10
11.	निर्वाचन कर्तव्य प्रमाण पत्र हेतु आवेदन (प्रपत्र-21)	2
12.	निर्वाचन कर्तव्य प्रमाण पत्र (प्रपत्र-22)	4
13.	चेक लिस्ट	1

20. **लिफाफे**

1. छोटे लिफाफों के लिए (सांविधिक लिफाफे)	1
2. निर्वाचक नामावली की चिह्नित प्रति के लिए	1
3. निर्वाचक नामावली की अन्य प्रतियों के लिए	1
4. निविदत मतपत्र एवं निविदत मतदाता सूची के लिए	1
5. मतदान प्रारम्भ होने के पूर्व एवं मतदान की समाप्ति पर पीठासीन पदाधिकारी द्वारा घोषणा के लिए	1
6. रिकॉर्ड किए गए मतों के लेखे के लिए	2
7. चुनौती दिए गए मतपत्रों की सूची के लिए	1
8. अव्यवहृत एवं कटी-फटी पेपर सीलों के लिए	1
9. मतदान अभिकर्ताओं की नियुक्ति पत्रों के लिए	1
10. दृष्टिहीन एवं शिथिलांग मतदाताओं की सूची के लिए	1
11. पीठासीन पदाधिकारी की डायरी के लिए	1
12. निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र के लिए	1
13. रसीद पुस्तक और नकद जब्ती के लिए	1
14. साथियों की घोषणा के लिए	1
15. छोटे लिफाफे के लिए (अन्य)	1
16. मतदाताओं के हस्ताक्षर लिए गए "मतदाता रजिस्टर" के लिए	1
17. अन्य संबद्ध कागजातों के लिए	1
18. छोटे लिफाफे के लिए	1
19. सादे लिफाफे	1
20. अव्यवहृत मतपत्रों के लिए	1
21. किसी ऐसे अन्य कागजात के लिए जिसके लिए रिटर्निंग ऑफिसर मुहरबंद पैकेट में रखने हेतु निर्देश दें।	1
22. अव्यवहृत एवं क्षतिग्रस्त स्पेशल टैग के लिए	1
23. अव्यवहृत एवं क्षतिग्रस्त स्ट्रिप सील के लिए	1

(जहाँ लिफाफे आकार में छोटे हों वहां पैकिंग पेपर का उपयोग किया जा सकता है एवं जहां मुद्रित लिफाफे उपलब्ध नहीं हों, वहां सादे लिफाफे का उपयोग किया जा सकता है तथा उस पर लाल स्याही से प्रयोजन लिख दिया जाएगा)

21. **प्रदर्शन पट (ए–4 साईज में)**

(क) पीठासीन पदाधिकारी
(ख)मतदान पदाधिकारी
(ग) प्रवेश
(घ) बाहर
(ङ) मतदान अभिकर्ता

22. **लेखन सामग्री**

1. सामान्य पेंसिल	1
2. बॉल पेन	3 नीला □ 1 लाल

3.	सादा कागज	8 ताव
4.	पिन	25 अदद
5.	सील करने हेतु लाह	6 अदद
6.	मतदान कक्ष के लिए सामग्री	2 □ 2 = 4
7.	गोंद	1 बोतल
8.	ब्लेड	1
9.	मोमबत्ती	4
10.	पतला दोहरा धागा	20 मीटर
11.	धातु की पटरी	1
12.	कार्बन पेपर	5
13.	तेल आदि हटाने के लिए कपड़े का टुकड़ा	3
14.	पैकिंग पेपर	2 ताव
15.	अमिट स्याही की बोतल को रखने के लिए कप/ खाली टिन/ प्लास्टिक का डिब्बा	1
16.	ड्रबिंग पिन	24 अदद
17.	चेक लिस्ट	-----
18.	रबड़ बैन्ड	20 अदद
19.	सेलो टेप	1

टिप्पणी –

(1) मतदान के पश्चात उपर्युक्त सामग्रियों में से निम्नलिखित बची हुई सामग्रियां जिला निर्वाचन कार्यालय को लौटा दी जानी चाहिए :-

(क) स्टाम्प पैड

(ख) पीठासीन पदाधिकारी की धातु की मुहर

(ग) प्लास्टिक वोटिंग स्टिक

(घ) वोटिंग कम्पार्टमेन्ट

(ङ) धातु की पट्टी

(च) प्रभेदक रबड़ मुहर

(छ) अमिट स्याही का कप

(ज) अन्य वस्तुएं जिनको पुनः उपयोग में लाया जा सकता है

(2) ऐसी कोई आवश्यक सामग्री जो मूलतः नहीं आपूर्ति की जा सकती हो अथवा अपरिहार्य कारण से उसकी जरूरत पड़ जाए, तो पीठासीन पदाधिकारी उसी स्थान पर व्यवस्था कर ले सकते हैं और यदि व्यय करना पड़े तो व्यय भार सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। स्पष्ट है कि ऐसा अवसर विरल होता है ।

मतदान केन्द्र मॉडल

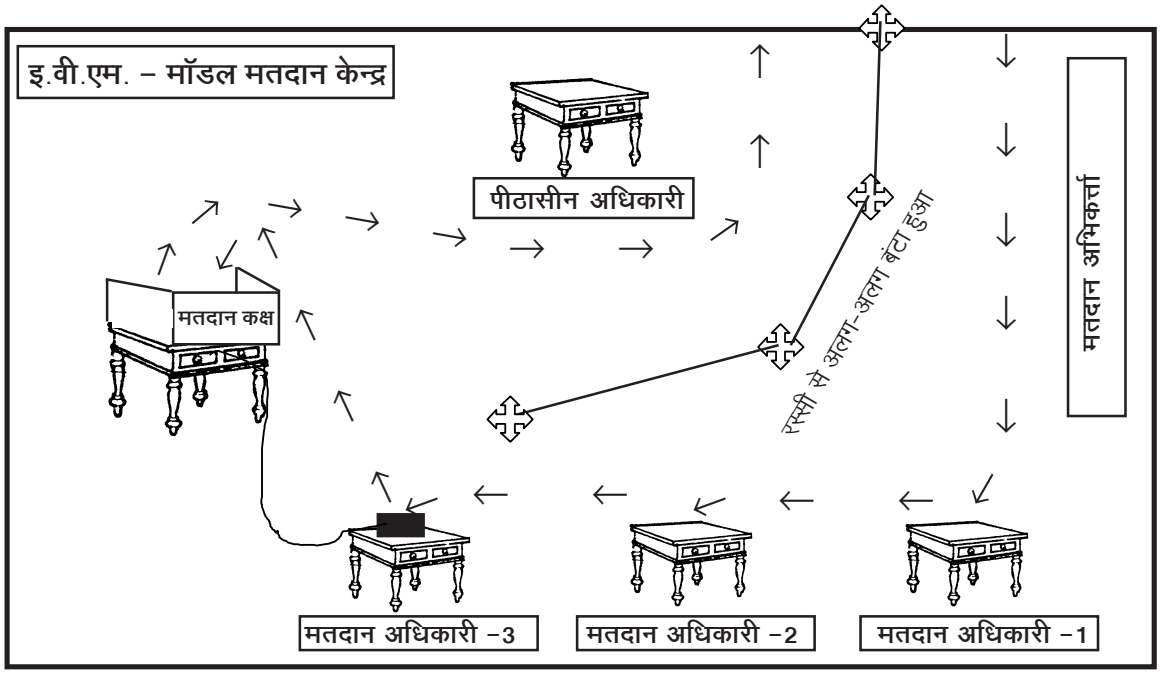

प्रपत्र–16

(देखे नियम-55)

मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति

मैं (अभ्यर्थी का नाम)....., जो ..... नगरपालिका के वार्ड संख्या ..... का अभ्यर्थी हूँ, एतद् द्वारा श्री ..... (अभिकर्ता का नाम एवं पता) को मतदान केन्द्र संख्या ..... स्थान ..... पर अपने मतदान अभिकर्ता के रूप में नियुक्त करता/करती हूँ। इनका कोई अपराधिक इतिहास नहीं रहा है।

स्थान : .....

तारीख : .....

समय : .....

अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्ता का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

(मतदान अभिकर्ता द्वारा घोषणा जिसपर पीठासीन पदाधिकारी के समक्ष उसके द्वारा हस्ताक्षर किया जाएगा।)

मैं एतद् द्वारा यह घोषणा करता/करती हूँ कि मैं उपर्युक्त निर्वाचन में अधिनियम एवं उसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा निषिद्ध कोई भी कार्य नहीं करूँगा/करूँगी। यह भी कि मेरा कोई अपराधिक इतिहास नहीं है।

स्थान : .....

तारीख : .....

समय : .....

मतदान अभिकर्ता का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

मेरे सामने हस्ताक्षर किया गया ।

पीठासीन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

पूरा नाम :

पदनाम :

परिशिष्ट–VI

मतदाता रजिस्टर

..... नगरपालिका का नाम का निर्वाचन

मतदान केन्द्र की संख्या और नाम .....

मतदाता सूची की भाग संख्या .....

क्रम संख्या	मतदाता सूची में निर्वाचक की क्रम संख्या	निर्वाचक के हस्ताक्षर/ अंगूठे का निशान	अभ्युक्तियाँ (EPIC/अन्य वैकल्पिक दस्तावेज)#
1.			
2.			
3.			
4.			
.			
.			

#नोट :– EPIC के लिए –1 एवं अन्य वैकल्पिक दस्तावेज के लिए –2 लिखें।

पीठासीन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

पूरा नाम :

पदनाम :

प्रपत्र–20

(देखे नियम-73)

अभ्याक्षेपित मतों की सूची

..... नगरपालिका के वार्ड संख्या ..... से पार्षद् के लिए निर्वाचन।

मतदान केन्द्र संख्या .....

स्थान : .....

क्रमांक	मतदाता का नाम	मतदाता सूची में क्रमांक	उस वार्ड की संख्या जिसकी मतदाता सूची है।	जिस व्यक्ति के खिलाफ अभ्याक्षेप किया गया है उस व्यक्ति का हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान।	जिस व्यक्ति के खिलाफ अभ्याक्षेप किया गया है उस व्यक्ति का पता

यदि कोई पहचानने वाला है तो उसका नाम	अभ्याक्षेपकर्ता का नाम	राशि जमा करने पर अभ्याक्षेपकर्ता का हस्ताक्षर	पीठासीन पदाधिकारी का आदेश

स्थान .....

तारीख .....

समय .....

पीठासीन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

पूरा नाम :

पदनाम :

परिशिष्ट–VIII

थाना प्रभारी को दी जाने वाली रिपोर्ट

सेवा में,

थाना प्रभारी

.....

.....

विषय : ..... नगरपालिका निर्वाचन के दौरान प्रतिरूपण (Impersonation) की रिपोर्ट।

महोदय,

मैं यह प्रतिवेदन करता/करती हूँ कि श्री/श्रीमती/सुश्री ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ..... निवासी ..... ने मेरे मतदान केन्द्र पर मतदान करने आये एक व्यक्ति की पहचान को चुनौती दी है। संबंधित व्यक्ति को वार्ड संख्या ..... के मतदान केन्द्र संख्या ..... पर ड्यूटी में तैनात पुलिस कॉन्सटेबल/विशेष पुलिस अधिकारी श्री ..... के सुपुर्द किया गया है। सम्बन्धित व्यक्ति ने अपने को (नाम) .... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ..... होने का दावा किया है, जिसका नाम वार्ड संख्या ..... की मतदाता सूची में क्रमांक ..... पर अंकित है। वह अपने को उक्त निर्वाचक होना सिद्ध नहीं कर सका। मेरे मत में यह व्यक्ति एक ठग (Imposter) है। अतः इसके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171 (F) के अन्तर्गत उचित कानूनी कार्यवाही करें।

तारीख :
समय :

भवदीय

पीठासीन पदाधिकारी का हस्ताक्षर
पूरा नाम :
मतदान केन्द्र संख्या .....
नगरपालिका का नाम .....
वार्ड संख्या .....
जिला .....

पावती

उपरोक्त पत्र व उसमें दर्शाया गया व्यक्ति मुझे तारीख ..... को ..... बजे पीठासीन पदाधिकारी द्वारा सौंपा गया।

हस्ताक्षर
पुलिस कांस्टेबल/विशेष पुलिस अधिकारी
पूरा नाम :
पदनाम :

स्थान .....
तारीख .....
समय .....

प्रपत्र–18 (क)

(देखे नियम-71)

दृष्टिहीन /नि:शक्त मतदाताओं के सहायक द्वारा घोषणा

..... नगरपालिका के वार्ड संख्या ..... से पार्षद् के लिए निर्वाचन।

मतदान केन्द्र संख्या .....

स्थानः .....

मैं एतद् द्वारा निष्ठापूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि मैं ..... (मतदाता का नाम) के सहयोगी के रूप में उसकी तरफ से दिये गये मत को गुप्त रखूँगा/रखूँगी तथा मैंने किसी मतदान केन्द्र पर किसी दूसरे मतदाता के सहयोगी के रूप में कार्य नहीं किया है।

सहयोगी का हस्ताक्षर

पीठासीन पदाधिकारी का प्रतिहस्ताक्षर

स्थान .....

तारीख .....

परिशिष्ट–X

प्रपत्र–18 (ख)

(देखे नियम-71)

दृष्टिहीन /नि:शक्त मतदाताओं की सूची

..... नगरपालिका के वार्ड संख्या ..... से पार्षद् के लिए निर्वाचन।

मतदान केन्द्र संख्या .....

स्थानः .....

क्रमांक	मतदाता सूची का क्रमांक	मतदाता का पूरा नाम	सहायक का पूरा नाम	सहायक का पूरा पता	सहायक का हस्ताक्षर/ अंगूठे का निशान
1	2	3	4	5	6

स्थान .....

तारीख .....

समय .....

पीठासीन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

पूरा नाम :

पदनाम :

प्रपत्र–19

(देखे नियम-72)

निविदत्त मतों की सूची

..... नगरपालिका के वार्ड संख्या ..... से पार्षद् के लिए निर्वाचन।

मतदान केन्द्र संख्या .....

स्थानः .....

क्रमांक	मतदाता का नाम	मतदाता सूची का क्रमांक	उस वार्ड की संख्या जिसकी मतदाता सूची है	निविदत्त मतपत्र का क्रमांक	मतदाता का हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान
1	2	3	4	5	6

स्थान .....

तारीख .....

समय .....

पीठासीन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

पूरा नाम :

पदनाम :

परिशिष्ट–XII

रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा भाग – 1

नगरपालिका का नाम ..... वार्ड संख्या - .....

मतदान केन्द्र की संख्या - ..... मतदान केन्द्र का नाम .....

मतदान केन्द्र पर प्रयुक्त मतदान मशीन की पहचान संख्या -

(क) मतदान यूनिट संख्या (Ballot Unit No.) .....

(ख) नियंत्रण यूनिट संख्या (Control Unit No.) .....

1. मतदान केन्द्र के लिए निर्धारित निर्वाचकों की कुल संख्या .....
2. मतदाता रजिस्टर में प्रविष्ट मतदाताओं की कुल संख्या .....
3. मत रिकॉर्ड न करने का विनिश्चय करने वाले मतदाताओं की संख्या.....
4. मतदान करने के लिए अनुज्ञात न किए गए मतदाताओं की संख्या.....
5. वोटिंग मशीन के अनुसार रिकॉर्ड किए गए मतों की कुल संख्या.....
6. (क) क्या मद 5 के सामने यथादर्शित मतों की कुल संख्या मद 2 के सामने यथादर्शित मतदाताओं की कुल संख्या घटा-मद 3 के सामने यथादर्शित मत रिकॉर्ड न करने वाले मतदाताओं की संख्या घटा-मद 4 के सामने यथादर्शित मतदाताओं की संख्या (2-3-4) से मेल करती है या उसमें कोई अन्तर पाया गया है।

   (ख) अगर कोई अन्तर है, तो उसकी संख्या - .....
7. (क) निविदत्त मतपत्र के रूप में प्रयोग के लिए प्राप्त
   मतपत्रों की संख्या ..... क्रम संख्या ..... से ..... तक

   (ख) उन मतदाताओं की संख्या जिनको नियम 72 के अधीन निविदत्त मतपत्र जारी किए गए .....

   (ग) निविदत्त मत पत्रों की संख्या ..... क्रम संख्या..... से ..... तक

   (घ) प्रयोग के पश्चात बचे मतपत्रों की संख्या ..... क्रम संख्या..... से ..... तक
8. आपूरित पेपर सीलों का लेखा

   (क) आपूरित पेपर सील की कुल संख्या –

   (ख) इनकी क्रम संख्या ..... से ..... तक

   (ग) प्रयुक्त पेपर सीलों की संख्या .....

   (घ) रिटर्निंग ऑफिसर को वापस की गई अप्रयुक्त पेपर सीलों
   की संख्या { मद (क) में से मद (ग) घटाईए }

   (ङ) क्षतिग्रस्त पेपर सीलों की क्रम संख्या, यदि कोई हो .....

मतदान अभिकर्त्ता/ अभिकर्त्ताओं का हस्ताक्षर

1. ..... 2. .....
3. ..... 4. .....
5. ..... 6. .....
7. ..... 8. .....
9. ..... 10. .....
11. ..... 12. .....

तिथि .....

स्थान .....

समय .....

पीठासीन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

पूरा नाम :

पदनाम :

भाग – 2
मतगणना का परिणाम

क्रम संख्या	अभ्यर्थी का नाम	रिकॉर्ड किए गए मतों की संख्या	
1. 2. 3. 4. 5. 6.			
योग			

क्या ऊपर दर्शित मतों की कुल संख्या भाग-1 में मद 5 के सामने दर्शित मतों की कुल संख्या से मेल खाती हैं या उनके दोनों योगों में कोई अंतर दर्शित होता है।

स्थान .....
तिथि .....
समय .....

गणन सुपरवाईजर का पूरा हस्ताक्षर
पूरा नाम :
पदनाम :

उपस्थित अभ्यर्थी/ निर्वाचन अभिकर्ता/ गणना अभिकर्ता द्वारा निम्न प्रपत्र में हस्ताक्षर किया जाएगाः-

क्रम संख्या	अभ्यर्थी	निर्वाचन अभिकर्ता	गणन अभिकर्ता
1. 2. 3. 4. 5. 6.			
योग			

"रिटर्निंग ऑफिसर का हस्ताक्षर"
पूरा नाम :
पदनाम :

परिशिष्ट–XIII

पीठासीन पदाधिकारी द्वारा घोषणा

भाग – 1

मतदान आरम्भ होने के पूर्व पीठासीन पदाधिकारी द्वारा घोषणा

..... (नगरपालिका का नाम), 2012 निर्वाचन

मतदान केन्द्र की क्रम संख्या और नाम .....

मतदान की तिथि .....

मैं इसके द्वारा घोषणा करता हूँ:

(1) कि मैंने मतदान अभिकर्ताओं और अन्य उपस्थित व्यक्तियों को -

(क) नकली मतदान आयोजित करके यह प्रदर्शित कर दिया है कि वोटिंग मशीन पूर्णतया चालू हालत में है और उसमें पहले से कोई मत रिकॉर्ड नहीं किया गया है;

(ख) यह प्रदर्शित कर दिया गया है कि मतदान के दौरान उपयोग में ली जाने वाली मतदाता सूची की चिह्नित प्रति में डाक मत पत्र और निर्वाचक ड्यूटी प्रमाण पत्र जारी करने के लिए प्रयुक्त चिह्नों के सिवाय कोई चिह्न नहीं है;

(ग) यह प्रदर्शित कर दिया है कि मतदान के दौरान प्रयुक्त किए जाने वाले मतदाताओं के रजिस्टर में किसी भी निर्वाचक के संबंध में कोई प्रविष्टि नहीं है;

(2) कि मैनें वोटिंग मशीन के **कंट्रोल यूनिट** के परिणाम अनुभाग की सुरक्षा के लिए प्रयुक्त पेपर सील पर अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं और उस पर ऐसे मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर भी करवा लिए हैं, जो उपस्थित हैं और हस्ताक्षर करने के इच्छुक हैं;

(3) यह कि मैंने **स्पेशल टैग** पर **कंट्रोल यूनिट** की क्रम संख्या लिख दी है और मैंने स्पेशल टैग के पीछे की तरफ अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं और ऐसे अभ्यर्थियों/ मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर प्राप्त कर लिए हैं, जो उपस्थित हैं और हस्ताक्षर करने के इच्छुक हैं।

(4) यह कि मैंने **स्ट्रिप सील** पर अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं और ऐसे अभ्यर्थियों/ मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर भी प्राप्त कर लिए हैं, जो उपस्थित हैं और हस्ताक्षर करने के इच्छुक हैं।

(5) यह कि मैंने **स्पेशल टैग** पर पूर्व में मुद्रित क्रम संख्या पढ़ दी है तथा उपस्थित अभ्यर्थियों/ मतदान अभिकर्ताओं को क्रम संख्या नोट कर लेने के लिए अनुरोध कर दिया है।

सही समय :

हस्ताक्षर

पीठासीन अधिकारी

पूरा नाम :

पदनाम :

मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर

1. ..... (अभ्यर्थी ..... का मतदान अभिकर्ता)
2. ..... (अभ्यर्थी ..... का मतदान अभिकर्ता)
3. ..... (अभ्यर्थी ..... का मतदान अभिकर्ता)
4. ..... (अभ्यर्थी ..... का मतदान अभिकर्ता)
5. ..... (अभ्यर्थी ..... का मतदान अभिकर्ता)
6. ..... (अभ्यर्थी ..... का मतदान अभिकर्ता)
7. ..... (अभ्यर्थी ..... का मतदान अभिकर्ता)

8. ..... (अभ्यर्थी ..... का मतदान अभिकर्ता)
9. ..... (अभ्यर्थी ..... का मतदान अभिकर्ता)

निम्नलिखित मतदान अभिकर्ताओं ने इस घोषणा पर अपने हस्ताक्षर करने से इंकार कर दिया :

1. ..... (अभ्यर्थी ..... का मतदान अभिकर्ता)
2. ..... (अभ्यर्थी ..... का मतदान अभिकर्ता)
3. ..... (अभ्यर्थी ..... का मतदान अभिकर्ता)
4. ..... (अभ्यर्थी ..... का मतदान अभिकर्ता)

हस्ताक्षर

पीठासीन अधिकारी

भाग – 2

पीठासीन पदाधिकारी द्वारा पश्चात्वर्ती वोटिंग मशीन, यदि कोई हो, के उपयोग के समय घोषणा।

..... (नगरपालिका का नाम) के लिए निर्वाचन

मतदान केन्द्र का क्रम संख्या और नाम .....

मतदान की तिथि .....

मैं इसके द्वारा घोषणा करता हूँ:

(1) कि मैंने मतदान अभिकर्ताओं और अन्य उपस्थित व्यक्तियों को -

(क) नकली मतदान आयोजित करके यह प्रदर्शित कर दिया है कि वोटिंग मशीन पूर्णतया चालू हालत में है और इसमें पहले से कोई मत रिकार्ड नहीं किया गया है;

(ख) यह प्रदर्शित कर दिया है कि मतदान के दौरान उपयोग में ली जाने वाली मतदाता सूची की चिह्नित प्रति में निर्वाचक ड्यूटी प्रमाण पत्र जारी करने के लिए प्रयुक्त चिह्नों के सिवाय कोई चिह्न नहीं है;

(ग) यह प्रदर्शित कर दिया है कि मतदान के दौरान प्रयुक्त किए जाने वाले मतदाताओं के रजिस्टर में किसी भी निर्वाचक के संबंध में कोई प्रविष्टि नहीं है;

(2) कि मैंने वोटिंग मशीन के **कंट्रोल यूनिट** के परिणाम अनुभाग की सुरक्षा के लिए प्रयुक्त पेपर सील पर अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं और उस पर ऐसे मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर प्राप्त कर लिए हैं, जो उपस्थित हैं और हस्ताक्षर करने के इच्छुक हैं।

(3) यह कि मैंने **स्पेशल टैग** पर **कंट्रोल यूनिट** की क्रम संख्या लिख दी है और मैंने स्पेशल टैग के पीछे की तरफ अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं और ऐसे अभ्यर्थियों/मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर प्राप्त कर लिए हैं, जो उपस्थित हैं और हस्ताक्षर करने के इच्छुक हैं।

(4) यह कि मैंने **स्ट्रिप सील** पर अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं और ऐसे अभ्यर्थियों/मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर भी प्राप्त कर लिए हैं, जो उपस्थित हैं और हस्ताक्षर करने के इच्छुक हैं।

(5) यह कि मैंने **स्पेशल टैग** पर पूर्व में मुद्रित क्रम संख्या पढ़ दी है तथा उपस्थित अभ्यर्थियों/मतदान अभिकर्ताओं को क्रम संख्या नोट कर लेने के लिए अनुरोध कर दिया है।

हस्ताक्षर

सही समय : पीठासीन अधिकारी

पूरा नाम :

पदनाम :

मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर

1. ..... (अभ्यर्थी ..... का मतदान अभिकर्ता)
2. ..... (अभ्यर्थी ..... का मतदान अभिकर्ता)
3. ..... (अभ्यर्थी ..... का मतदान अभिकर्ता)
4. ..... (अभ्यर्थी ..... का मतदान अभिकर्ता)
5. ..... (अभ्यर्थी ..... का मतदान अभिकर्ता)
6. ..... (अभ्यर्थी ..... का मतदान अभिकर्ता)
7. ..... (अभ्यर्थी ..... का मतदान अभिकर्ता)
8. ..... (अभ्यर्थी ..... का मतदान अभिकर्ता)
9. ..... (अभ्यर्थी ..... का मतदान अभिकर्ता)

निम्नलिखित मतदान अभिकर्ताओं ने इस घोषणा पर अपने हस्ताक्षर करने से इंकार कर दिया :

1. ..... (अभ्यर्थी ..... का मतदान अभिकर्ता)
2. ..... (अभ्यर्थी ..... का मतदान अभिकर्ता)
3. ..... (अभ्यर्थी ..... का मतदान अभिकर्ता)
4. ..... (अभ्यर्थी ..... का मतदान अभिकर्ता)

हस्ताक्षर
पीठासीन अधिकारी

भाग – 3
मतदान के अन्त में घोषणा

मैंने उन मतदान अभिकर्ताओं को, जो मतदान बन्द होने के समय मतदान केन्द्र में उपस्थित थे और जिन्होंने नीचे हस्ताक्षर किए हैं; **रिकॉर्ड किए गए मतों के लेखा भाग –I** की एक-एक अनुप्रमाणित प्रति दे दी है।

तिथि

समय

हस्ताक्षर
पीठासीन अधिकारी
पूरा नाम :
पदनाम :

रिकार्ड किए गए मतों के लेखों में की गई प्रविष्टियों की एक अनुप्रमाणित प्रति प्राप्त की।

1. ..... (अभ्यर्थी ..... का मतदान अभिकर्ता)
2. ..... (अभ्यर्थी ..... का मतदान अभिकर्ता)
3. ..... (अभ्यर्थी ..... का मतदान अभिकर्ता)
4. ..... (अभ्यर्थी ..... का मतदान अभिकर्ता)
5. ..... (अभ्यर्थी ..... का मतदान अभिकर्ता)
6. ..... (अभ्यर्थी ..... का मतदान अभिकर्ता)
7. ..... (अभ्यर्थी ..... का मतदान अभिकर्ता)
8. ..... (अभ्यर्थी ..... का मतदान अभिकर्ता)
9. ..... (अभ्यर्थी ..... का मतदान अभिकर्ता)

निम्नलिखित मतदान अभिकर्ताओं ने, जो मतदान बन्द होने के समय उपस्थित थे, भाग-1 की एक अनुप्रमाणित प्रति प्राप्त करने और उसकी रसीद देने से इन्कार कर दिया है अतः उन्हें उक्त फार्म की एक अनुप्रमाणित प्राप्ति नहीं दी गई है।

1. ..... (अभ्यर्थी ..... का मतदान अभिकर्ता)
2. ..... (अभ्यर्थी ..... का मतदान अभिकर्ता)
3. ..... (अभ्यर्थी ..... का मतदान अभिकर्ता)
4. ..... (अभ्यर्थी ..... का मतदान अभिकर्ता)
5. ..... (अभ्यर्थी ..... का मतदान अभिकर्ता)
6. ..... (अभ्यर्थी ..... का मतदान अभिकर्ता)
7. ..... (अभ्यर्थी ..... का मतदान अभिकर्ता)
8. ..... (अभ्यर्थी ..... का मतदान अभिकर्ता)
9. ..... (अभ्यर्थी ..... का मतदान अभिकर्ता)

हस्ताक्षर

पीठासीन पदाधिकारी

भाग – 4

वोटिंग मशीन को मुहरबंद करने के पश्चात् घोषणा

वोटिंग मशीन की कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट के कैरिंग केसों पर मैंने अपनी सील लगा दी है और उन मतदान अभिकर्ताओं को, जो मतदान के अन्त में मतदान केन्द्र में उपस्थित थे, अपनी सील लगाने की अनुज्ञा दे दी है।

तिथि

समय

हस्ताक्षर

पीठासीन पदाधिकारी

पूरा नाम :

पदनाम :

निम्नलिखित अभिकर्ताओं ने अपना सील लगा दी है। मतदान अभिकर्ताओं का हस्ताक्षर :

1. ..... (अभ्यर्थी ..... का मतदान अभिकर्ता)
2. ..... (अभ्यर्थी ..... का मतदान अभिकर्ता)
3. ..... (अभ्यर्थी ..... का मतदान अभिकर्ता)
4. ..... (अभ्यर्थी ..... का मतदान अभिकर्ता)
5. ..... (अभ्यर्थी ..... का मतदान अभिकर्ता)
6. ..... (अभ्यर्थी ..... का मतदान अभिकर्ता)

निम्नलिखित मतदान अभिकर्ताओं ने सील लगाने से इंकार कर दिया या सील नहीं लगानी चाही

1. ..... (अभ्यर्थी ..... का मतदान अभिकर्ता)
2. ..... (अभ्यर्थी ..... का मतदान अभिकर्ता)
3. ..... (अभ्यर्थी ..... का मतदान अभिकर्ता)
4. ..... (अभ्यर्थी ..... का मतदान अभिकर्ता)

हस्ताक्षर

पीठासीन पदाधिकारी

परिशिष्ट–XIV

पीठासीन पदाधिकारी की डायरी

1. क्षेत्र का नाम(वार्ड नंबर) .....
2. मतदान की तिथि .....
3. मतदान केन्द्र की संख्या :
   क्या यह :
   (1) सरकारी या अर्द्धसरकारी भवन .....
   (2) निजी भवन .....
   (3) अस्थायी संरचना में अवस्थित है। .....
4. स्थानीय रूप से भर्ती किए गए मतदान पदाधिकारियों की संख्या यदि कोई हो;
5. सम्यक् रूप से नियुक्त मतदान पदाधिकारी की अनुपस्थित में नियुक्त मतदान पदाधिकारी, यदि कोई हो, और ऐसी नियुक्ति का कारण :
6. वोटिंग मशीन
   (1) प्रयुक्त नियंत्रण यूनिट की संख्या .....
   (2) प्रयुक्त नियंत्रण यूनिट की क्रम संख्या .....
   (3) प्रयुक्त मतदान यूनिट की संख्या .....
   (4) प्रयुक्त मतदान यूनिट की क्रम संख्या .....

7. पेपर सील
   (1) प्रयुक्त पेपर सीलों की संख्या .....
   (2)प्रयुक्त पेपर सीलों की क्रम संख्या .....
8. स्पेशल टैग
   (1) आपूरित स्पेशल टैगों की संख्या .....
   (2) आपूरित स्पेशल टैगों की क्रम संख्या .....
   (3) प्रयुक्त स्पेशल टैगों की संख्या .....
   (4) प्रयुक्त स्पेशल टैगों की क्रम संख्या .....
   (5) वापस किए गए अप्रयुक्त स्पेशल टैगों की क्रम संख्या .....
9. स्ट्रिप सील
   (1) आपूरित स्ट्रिप सीलों की संख्या.....
   (2) आपूरित स्ट्रिप सीलों की क्रम संख्या.....
   (3) प्रयुक्त स्ट्रिप सीलों की संख्या.....
   (4) प्रयुक्त स्ट्रिप सीलों की क्रम संख्या.....
   (5) वापस की गई अप्रयुक्त स्ट्रिप सीलों की क्रम संख्या.....
10. मतदान अभिकर्ताओं की संख्या और जो विलंब से आए हों उनकी संख्या :
11. ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या जिन्होंने मतदान केन्द्र पर मतदान अभिकर्ता नियुक्त किए हैं :

12. (1) मतदान केन्द्र के लिए निर्धारित मतदाताओं की कुल संख्या :

(2) निर्वाचक नामावली की चिह्नित प्रति के अनुसार मत देने के लिए अनुज्ञात किए गए निर्वाचकों की संख्या :

(3) ऐसे निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने वास्तव में मतदाताओं के रजिस्टर के अनुसार मत दिया है:

(4) वोटिंग मशीन के अनुसार रिकॉर्ड किए गए मतों की संख्या :

.....

प्रथम मतदान पदाधिकारी का हस्ताक्षर

पूरा नाम :

पदनाम :

.....

मतदाताओं के रजिस्टर के प्रभारी मतदान पदाधिकारी का हस्ताक्षर

पूरा नाम :

पदनाम :

13. निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने मत दिए :

(क) पुरूष .....

(ख) महिला .....

(ग) कुल योग .....

14. चुनौती दिए गए मत :

(क)स्वीकृत किए गए मतों की संख्या.....

(ख)अस्वीकृत किए गए मतों की संख्या.....

(ग)जब्त की गई राशि.....

15. उन व्यक्तियों की संख्या जिन्होंने निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर मत दिए:

16. उन निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने साथियों की सहायता से मत दिए:

17. निविदित मतों की संख्या.....

18. निर्वाचकों की संख्या .....

(क) जिनसे उनकी उम्र के बारे में घोषणाएं प्राप्त की गई हों .....

(ख) जिन्होनें ऐसी घोषणाएं करने से इन्कार किया हो .....

19. क्या मतदान स्थगित करना आवश्यक था, यदि ऐसा था, तो ऐसे स्थगन का कारण :

20. डाले गए मतों की संख्या .....

7 बजे पूर्वाह्न से 9 बजे पूर्वाह्न तक .....

9 बजे पूर्वाह्न से 11 बजे पूर्वाह्न तक .....

11 बजे पूर्वाह्न से 1 बजे अपराह्न तक .....

1 बजे अपराह्न से 3 बजे अपराह्न तक .....

3 बजे अपराह्न से 4 बजे अपराह्न तक .....

21. मतदान समाप्त होने के समय पर निर्गत पर्चियों की संख्या .....

22. ब्यौरे सहित निर्वाचन अपराध मामलों की संख्या .....

(क) मतदान केन्द्र से एक सौ मीटर के भीतर मत याचना .....

(ख) मतदाताओं का प्रतिरूपण करना .....

(ग) मतदान केन्द्र पर किसी नोटिस की सूची या अन्य दस्तावेज को कपटपूर्वक विरूपित करना विनष्ट कराया या हटाना .....

(घ) मतदाताओं को रिश्वत देना .....

(ङ) मतदाताओं और अन्य व्यक्तियों को धमकी देना .....

(च) मतदान केन्द्र पर कब्जा करना .....

23. क्या निम्नलिखित कारणों से मतदान में विघ्न या बाधा उपस्थित हुईः

(1) बबाल .....

(2) खुली हिंसा .....

(3) प्राकृतिक आपदा .....

(4) बूथ पर कब्जा .....

(5) मतदान मशीन की विफलता .....

(6) अन्य कोई कारण .....

कृपया उपर्युक्त के बारे में ब्यौरा दें।

24. क्या मतदान केन्द्र पर प्रयुक्त किसी भी मतदान मशीन को :

(क) पीठासीन पदाधिकारी की अभिरक्षा में से अवैधानिक रूप से छीनकर,

(ख) आकस्मिक या जानबूझकर गुम या नष्ट करके .....

(ग) नुकसान पहुंचाकर या छेड़छाड़ करके मतदान को दूषित किया गया .....

कृपया ब्यौरा दें।

25. अभ्यर्थियों/ अभिकर्ताओं द्वारा की गई शिकायतें, यदि कोई हो .....

26. विधि एवं व्यवस्था को भंग करने संबंधी मामलों की संख्या .....

27. मतदान केन्द्र पर की गई त्रुटियों और अनियमितताओं की रिपोर्ट यदि कोई होः .....

28. क्या आपने मतदान के प्रारम्भ होने के पूर्व, और यदि आवश्यक हो मतदान के बीच जब किसी नई वोटिंग मशीन का उपयोग किया गया हो तो उसके उपयोग में लाने के पूर्व तथा मतदान की समाप्ति पर जो आवश्यक हो, घोषणाएं की हैं।

पीठासीन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

स्थान : पूरा नाम :

तिथि : पदनाम :

समय : * मोबाईल नं. :

* सरकारी पदाधिकारी जो निजी मोबाइल फोन प्रयोग में लाते हैं, वह सरकार द्वारा दिए गए वेतन से ही क्रय किया गया होता है, अतः कोई सरकारी पदाधिकारी इस आधार पर मोबाइल फोन का नं. देने से इन्कार नहीं कर सकता है कि यह उसका निजी मोबाइल फोन है।

भाग–3

आयोग द्वारा निर्गत महत्वपूर्ण निदेश

राज्य निर्वाचन आयोग,
बिहार
STATE ELECTION COMMISSION,
BIHAR

पत्र संख्या -न0नि0 50-01/2017- **581**

प्रेषक,

दुर्गेश नन्दन,
सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त।
सभी जिला दण्डाधिकारी
सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)।

पटना, दिनांक - **28.02.2017**

विषय : नगरपालिका आम चुनाव 2017 : मतदान केन्द्र के निकट शस्त्र धारित करने पर प्रतिबंध।

महाशय,

निदेशानुसार सभी संबंधित का ध्यान बिहार न [illegible] अधिनियम, 2007 (यथा संशोधित) की धारा 467 के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है , जि [illegible] अवतरण निम्नवत है:-

> **“मतदान केन्द्र में उसके नजदीक [illegible] जाने पर प्रतिबंधः-(1) मतदान केन्द्र में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के [illegible] अधिकारी, पीठासीन अधिकारी, किसी पुलिस अधिकारी और नियुक्त कि [illegible] व्यक्ति, जो मतदान केन्द्र में कर्तव्य पर है, के अलावा कोई भी व्यक्ति, मतदान के दिन मतदान केन्द्र के पास आयुध अधिनियम 1959 (1959 का सं 54) में यथा परिभाषित, किसी प्रकार के शस्त्र लेकर नहीं जाएगा।**
>
> **(2) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करता है, तो वह दो वर्षों तक के कारावास या जुर्माने से, या दोनों से दण्डनीय होगा।**
>
> **(3) आयुध अधिनियम, 1959 (1959 का सं 54) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जहाँ कोई व्यक्ति इस धारा के अधीन अपराध का सिद्धदोष हो, उसके कब्जे में उक्त अधिनियम में यथापरिभाषित शस्त्र पाया गया हो तो जब्त कर लिया जाएगा और उन शस्त्रों के लिए प्रदत्त अनुज्ञप्ति को उस अधिनियम की धारा 17 के अन्तर्गत प्रतिसंहरित माना जाएगा।**
>
> **(4) उपधारा (2) के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय होगा।”**

2. उक्त धारा का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि स्पष्ट रूप से अनुमत व्यक्तियों को छोड़कर, कोई अन्य व्यक्ति न तो शस्त्र रखेगा, न ही मतदान केन्द्रों या उसके आस पास (**मतदान केन्द्र से 100 मीटर की**

Sone Bhawan, Third Floor, Birchand Patel Marg, Patna - 800 001 Phone : 2506826, 2506917, 2506844, 2506994 Fax : 0612 - 2507847 E-mail : secbihar@gmailcom

परिधि के भीतर) उनका प्रदर्शन करेगा, ताकि निर्वाचन का संचालन स्वतंत्र एवं निष्पक्ष तरीके से कराया जा सके तथा शस्त्रों के प्रदर्शन अथवा उनके आधिक्य के कारण कोई मतदाता डर कर या घबराकर मतदान करने से विरत न हो जाए।

3. ऐसा देखा जाता है कि मतदान के समय अभ्यर्थियों और/अथवा उनके समर्थकों, जिन्हें राज्य प्राधिकारियों से सुरक्षा कर्मी उपलब्ध कराए गए हैं, मतदान केन्द्रों में अथवा उसके आसपास, वैसे सुरक्षा कर्मियों को साथ लेकर चले जाते हैं। यह अधिनियम की धारा 467 में विहित प्रावधानों के सर्वथा विपरीत है। अतः आयोग द्वारा निदेश दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे उसे किसी भी स्रोत से सुरक्षा मुहैय्या कराई गई हो, किसी मतदान केन्द्र में तथा उसके आस-पास के क्षेत्र में वैसे सुरक्षा कर्मियों के साथ प्रवेश नहीं करेगा। सुरक्षा मुहैय्या कराने वाली एजेंसियों द्वारा तद्नुसार ही सुरक्षा योजना बनाई जानी चाहिए। निर्वाचन के प्रभारियों का यह दायित्व होगा कि उक्त धारा के प्रावधानों का अनुपालन सख्तीपूर्वक किया जाए तथा वैसे व्यक्ति(अभ्यर्थी, उनके अभिकर्ता, कार्यकर्ता, समर्थक या कोई मतदाता भी) को मतदान केन्द्र में या उसके समीप जाने की अनुमति नहीं दी जाए। यही प्रतिबंध मतगणना केन्द्र में अथवा उसके आस-पास प्रवेश के संबंध में भी लागू होंगे। कई अभ्यर्थी अपना चुनाव प्रचार अथवा अन्य निर्वाचन कार्य मुख्यतः अपने निर्वाचन अभिकर्ताओं के माध्यम से संपन्न कराते है। अतः निर्वाची पदाधिकारियों द्वारा अभ्यर्थियों को उनके ही हित के लिए यह बात अच्छी तरह से समझा दी जानी चाहिए कि **वे अपने निर्वाचन अभिकर्ता के रूप में ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति नहीं करें, जिसे प्रशासन से सुरक्षा प्राप्त है तथा जिसे अपने मूवमेन्ट के लिए सुरक्षा कर्मियों को साथ रखना पड़ता है।** इससे निर्वाचन अभिकर्ताओं को चुनाव प्रचार करने तथा मतदान एवं मतगणना के दिन अभ्यर्थी के हित में बिना किसी अवरोध/बाधा के घूमने में सहूलियत होगी।

4. **कृपया इस पत्र की पर्याप्त प्रतियां अपने स्तर पर तैयार कर सभी निर्वाची पदाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों एवं विशेष रूप से थाना प्रभारियों को तुरंत उपलब्ध करा दी जाए तथा उन्हें यह निदेश दिया जाए कि वे नामांकन के समय हीं सभी प्रत्याशियों को इसकी प्रति पावती रसीद पर निश्चित रूप से उपलब्ध करा दें।**

विश्वासभाजन,

ह/-
सचिव।

ज्ञापांक न0नि0 50-01/2017-**581** पटना, दिनांक - **21.02.2017**

प्रतिलिपि मुख्य सचिव, बिहार सरकार, पटना/गृह सचिव, बिहार सरकार, पटना/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

ह/-
सचिव।

राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार
STATE ELECTION COMMISSION, BIHAR

सत्यमेव जयते

पत्र संख्या -न0नि0 50-01/2017- **582**

प्रेषक,

दुर्गेश नन्दन,
सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त।
सभी जिला दंडाधिकारी-सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)।

पटना, दिनांक - **28.02.2017**

विषय : नगरपालिका आम चुनाव, 2017 : विधि व्यवस्था का संधारण एवं मतदान केन्द्र/मतगणना केन्द्र के अंतर्गत प्रतिबंधित क्षेत्र में मोबाईल /सेल्यूलर फोन के उपयोग के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार मतदान तिथि को मतदान केन्द्र के निकट चुनाव कार्य करने (electioneering) पर प्रतिबंध लगाने तथा मतों की गणना के समय मतगणना केन्द्रों पर विधि-व्यवस्था कायम रखने के उद्देश्य से कहना है कि निम्न कंडिका 2 में वर्णित व्यक्तियों को छोड़कर **किसी भी व्यक्ति को सेल्यूलर फोन, कॉर्डलेस फोन, वॉयरलेस सेट आदि के साथ मतदान केन्द्र के समीप (100 मीटर की परिधि के अंतर्गत)जाने अथवा उसका उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उसी प्रकार मतगणना केन्द्र के अन्दर एवं बाहर के क्षेत्र अथवा उस क्षेत्र में, जिसे सुरक्षा बलों द्वारा मतगणना केन्द्र/हॉल में व्यक्तियों के प्रवेश हेतु अपने घेरे में रखा गया है, किसी व्यक्ति को वैसे उपकरण ले जाने अथवा उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।** अगर इन निदेशों के विपरीत किसी व्यक्ति के पास वैसे उपकरण पाए जाते हैं, तो सुरक्षा के प्रभारी अधिकारी द्वारा उन्हें तुरंत जब्त कर लिया जाएगा तथा मतों की गणना पूरी हो जाने तथा परिणाम घोषित हो जाने के पश्चात ही संबंधित व्यक्ति को लौटाया जाएगा।

2. ये निदेश विधि-व्यवस्था के संधारण एवं सुरक्षा कार्य हेतु मतदान केन्द्र / मतगणना केन्द्र में / के निकट प्रतिनियुक्त वैसे व्यक्तियों के संबंध में लागू नहीं होगे, जो वैसे उपकरणों का उपयोग अपने सरकारी दायित्वों के निर्वहन के दौरान करते हों। उसी प्रकार ये निदेश आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षक एवं मतदान कर्तव्य तथा मतगणना कर्तव्य के प्रभारी पदाधिकारी/ पीठासीन पदाधिकारी/ मतदान कर्मी पर भी लागू नहीं होंगे।

3. आयोग के उक्त निदेशों से अभ्यर्थियों/ उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं को सूचना एवं अनुपालन हेतु लिखित रूप से अवगत करा दिया जाए। सर्वसाधारण की सूचना के लिए स्थानीय समाचार पत्रों में भी विज्ञापन के माध्यम से इसका प्रचार-प्रसार सुनिश्चित कराया जाए।

विश्वासभाजन,

ह/ -

सचिव।

Sone Bhawan, Third Floor, Birchand Patel Marg, Patna - 800 001 Phone : 2506826, 2506917, 2506844, 2506994 Fax : 0612 - 2507847 E-mail : secbihar@gmailcom

ज्ञापांक न0नि0 50-01/2017- **582** पटना, दिनांक - **28.02.2017**

प्रतिलिपि मुख्य सचिव, बिहार सरकार, पटना/गृह सचिव, बिहार सरकार, पटना/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

ह/-
सचिव।

सत्यमेव जयते

राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार
STATE ELECTION COMMISSION, BIHAR

पत्र संख्या -न0नि0 50-01/2017-**583**

प्रेषक,

दुर्गेश नन्दन,
सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त।
सभी जिला दंडाधिकारी-सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)।

पटना, दिनांक - **28.02.2017**

विषय : नगरपालिका आम चुनाव, 2017 : मतदान केन्द्र के अंतर्गत प्रतिबंधित क्षेत्र में चुनाव कार्य (electioneering)पर रोक एवं विधि –व्यवस्था के संधारण के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार कहना है कि मतदान तिथि को मतदान केन्द्र के बाहर अधिकांश अभ्यर्थियों द्वारा अपना-अपना निर्वाचन केन्द्र बनाने की व्यवस्था की जाती है, ताकि मतदाताओं को गैर आधिकारिक पहचान स्लिप (unofficial identity slip)देकर पीठासीन पदाधिकारी/मतदान पदाधिकारी के पास भेजा जाए, जो उस गैर आधिकारिक स्लिप में अंकित मतदाता के क्रमांक /नाम को देखकर अपने पास रखी गई मतदाता सूची में उसका नाम तुरंत ढूंढ सकें। कहीं-कहीं से ऐसे निर्वाचन केन्द्रों पर विभिन्न अभ्यर्थियों के समर्थकों /मतदाताओं के बीच संघर्ष होने की नौबत भी उत्पन्न हो जाती है।

2. उपर्युक्त बिन्दुओं पर भली-भाँति विचार कर आयोग द्वारा निदेश दिया गया है कि :-

(*i*) मतदान केन्द्र के 200 मीटर की दूरी की परिधि में किसी अभ्यर्थी अथवा उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा कोई निर्वाचन केन्द्र नहीं बनाया जाएगा। जहाँ एक ही परिसर में एक से अधिक मतदान केन्द्र स्थापित किए गए हैं, वैसे मतदान केन्द्रों के समूह के लिए परिसर के 200 मीटर के बाहर एक अभ्यर्थी मात्र एक ही निर्वाचन केन्द्र स्थापित कर सकेगा।

(*ii*) वैसे केन्द्रों पर अभ्यर्थी द्वारा मात्र एक टेबल और एक कुर्सी तथा धूप-बारिश आदि से बचाव के लिए छाता/तारपोलिन उपलब्ध कराया जाएगा। ऐसे केन्द्र को किसी भी परिस्थिति में कनात आदि से घेरा नहीं जाएगा।

(*iii*) वैसे केन्द्र स्थापित करने का इच्छुक प्रत्येक अभ्यर्थी निर्वाची पदाधिकारी को अग्रिम रूप में उन मतदान केन्द्रों की संख्या एवं नाम संसूचित करेगा, जहाँ वह ऐसे केन्द्र बनाना चाहता है । वह संबंधित सरकारी प्राधिकारियों या स्थानीय प्राधिकारियों, यथा नगर निगम , नगर परिषद्, नगर पंचायत , जिला परिषद आदि से उनकी लिखित अनुमति, निश्चित रूप से केन्द्र स्थापित करने से

पहले प्राप्त कर लेगा। ऐसा लिखित अनुमति पत्र उस केन्द्र के प्रभारी व्यक्ति के पास हमेशा मौजूद रहेगा तथा पुलिस/निर्वाचन से संबंधित पदाधिकारियों द्वारा मांगे जाने पर उन्हें वह अनुमति पत्र दिखलाया जाएगा।

(*iv*) वैसे केन्द्र मतदाताओं को मात्र गैर आधिकारिक पहचान स्लिप निर्गत करने के उद्देश्य से ही स्थापित किए जाएंगे। ऐसी पहचान स्लिप में किसी अभ्यर्थी अथवा उसके प्रतीक चिह्न का कोई उल्लेख नहीं रहेगा, मात्र मतदाता सूची में मतदाता का क्रमांक एवं उसका नाम/पिता का नाम आदि अंकित रहेगा।

(*v*) **वैसे निर्वाचन केन्द्र पर अभ्यर्थी के नाम तथा उसके निर्वाचन प्रतीक को प्रदर्शित करता हुआ अधिकतम 3 फीट x 4.5 फीट का मात्र एक बैनर प्रदर्शित करने की अनुमति दी जाएगी।** इस निदेश के विपरीत लगाया गया कोई बैनर विधि-व्यवस्था संधारित करने वाले अधिकारियों द्वारा तुरंत हटा दिया जाएगा और जप्त कर लिया जाएगा।

(*vi*) किसी भी परिस्थिति में ऐसे केन्द्रों पर भीड़ जमा होने की अनुमति नहीं दी जाएगी । जिस व्यक्ति ने अपना मतदान कर लिया है (**जो उसकी बायीं तर्जनी पर लगे अमिट स्याही के निशान से स्पष्ट हो जाएगा**), उसे भी वैसे केन्द्र पर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(*vii*) उक्त केन्द्रों के संचालन में लगे व्यक्ति किसी भी मतदाता को मतदान केन्द्र अथवा दूसरे अभ्यर्थी के केन्द्र में जाने से नहीं रोकेंगे, न ही मतदाता द्वारा अपनी इच्छा के अनुसार अपने मताधिकार का प्रयोग करने में कोई अड़चन अथवा बाधा उत्पन्न करेंगे। किसी भी मतदाता को किसी विशेष अभ्यर्थी के निर्वाचन केन्द्र में ही जाकर गैर आधिकारिक पहचान स्लिप प्राप्त करने अथवा किसी अभ्यर्थी के पक्ष या विपक्ष में मतदान करने हेतु प्रभावित करने की चेष्टा नहीं की जाएगी।

3. आयोग सभी संबंधित को सचेत करना चाहता है कि उपर्युक्त निदेशों के उल्लंघन को अत्यंत गंभीरता से लिया जाएगा तथा वैसे केन्द्र को हटाने के अतिरिक्त उत्तरदायी अभ्यर्थी/उनके समर्थक अथवा अभिकर्ता के विरूद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

4. अगर यह पाया जाता है कि किसी पदाधिकारी ने उपर्युक्त निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु तत्परतापूर्वक तथा त्वरित कार्रवाई करने में चूक अथवा लापरवाही की है, तो उनके विरूद्ध कड़ी अनुशासनिक कार्रवाई करने के अतिरिक्त अन्य दण्डात्मक कार्रवाई भी की जाएगी ।

5. निर्वाची पदाधिकारी द्वारा इस आदेश की प्रति सभी अभ्यर्थियों/उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं को नामांकन भरने के समय पावती रसीद पर उपलब्ध करा दी जाएगी।

विश्वासभाजन,

ह/-
सचिव।

ज्ञापांक न0नि0 50-01/2017-**583** पटना, दिनांक - **28.02.2017**

प्रतिलिपि मुख्य सचिव, बिहार सरकार, पटना/गृह सचिव, बिहार सरकार, पटना/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

ह/-
सचिव।

सत्यमेव जयते

राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार
STATE ELECTION COMMISSION, BIHAR

पत्र संख्या -न.नि.50-01/2017– **584**

प्रेषक,

दुर्गेश नन्दन,
सचिव।

सेवा में,

सभी जिला दण्डाधिकारी-सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)।

पटना, दिनांक – **28.02.2017**

विषय : नगरपालिका आम निर्वाचन, 2017 : मतदान के दिन मतदाताओं की पहचान सुनिश्चित करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संदर्भ में निदेशानुसार कहना है कि बिहार नगरपालिका निर्वाचन नियमावली, 2007 (यथा संशोधित) के नियम 63 एवं 64 में मतदाताओं की पहचान से संबंधित प्रावधान हैं। उक्त नियम के उप नियम (1) के अनुसार **पीठासीन पदाधिकारी आयोग द्वारा यथानिर्देशित अभिलेखों, कागजातों/प्रमाण-पत्रों के आधार पर किसी मतदाता की पहचान विनिश्चित करायेगा।**

2. स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्णय लिया गया है कि नगरपालिका आम निर्वाचन 2017 के दौरान मतदान के दिन मतदाताओं की पहचान हेतु प्राथमिक दस्तावेज के रूप में निर्वाचक फोटो पहचान पत्र को आधार माना जायेग। **जिन मतदाताओं के निर्वाचक फोटो पहचान पत्र नहीं बन पाये हैं अथवा जो मतदाता विशेष कारणवश अपना फोटो पहचान पत्र मतदान तिथि को पीठासीन पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नही कर पाते हैं, उनके लिए निम्नांकित 15 दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज अपनी पहचान स्थापित करने हेतु प्रस्तुत करना आवश्यक होगा :-**

1. पासपोर्ट
2. ड्राईविंग लाईसेंस
3. आयकर पहचान पत्र (PAN Cards)
4. राज्य/केन्द्र सरकार के कार्यालय, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकाय या पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किये जाने वाले फोटोयुक्त सेवा पहचान-पत्र;
5. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/डाकघरों द्वारा जारी की गयी फोटोयुक्त पासबुक (दिनांक 28.02.2017 तक खोला गया खाता)
6. फोटोयुक्त स्वतंत्रता सेनानी पहचान पत्र;

7. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग का फोटोयुक्त जाति प्रमाण-पत्र;
8. सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिनांक 28.02.2017 तक जारी फोटोयुक्त शारीरिक विकलांगता प्रमाण-पत्र
9. दिनांक 28.02.2017 तक जारी फोटोयुक्त शस्त्र लाईसेंस
10. एम.एन. आर. ई. जी.एस. (मनरेगा) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के अधीन दिनांक 28.02.2017 तक जारी फोटोयुक्त जॉब कार्ड
11. फोटोयुक्त सम्पत्ति दस्तावेज यथा पट्टा, रजिस्ट्रीकृत केवाला इत्यादि
12. फोटोयुक्त पेन्शन दस्तावेज जैसे कि भूतपूर्व सैनिक पेन्शन बुक/ पेन्शन अदायगी आदेश/ भूतपूर्व सैनिक की विधवा/ आश्रित प्रमाण-पत्र/ वृद्धावस्था पेन्शन आदेश/ विधवा पेन्शन आदेश (दिनांक 28.02.2017 तक जारी)
13. फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना स्मार्ट कार्ड (श्रम मन्त्रालय योजना द्वारा दिनांक 28.02.2017 तक जारी)
14. मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था द्वारा जारी दिनांक 28.02.2017 या उससे पहले का विद्यार्थी पहचान पत्र।
15. आधार कार्ड।

4. पीठासीन पदाधिकारियों को स्पष्ट आदेश दिया जाए कि निर्वाचक पहचान पत्र में निर्वाचक के नाम, पिता/ माता/ पति का नाम, लिंग, आयु या पता से संबंधित प्रविष्टियों में मामूली अथवा साधारण विसंगतियों को नजर अंदाज कर निर्वाचकों को मत देने की अनुमति दी जानी चाहिए, जबतक कि उस पहचान पत्र से निर्वाचक की पहचान स्थापित होती है। मतदाता सूची में यथादर्शित निर्वाचक पहचान पत्रों की क्रम संख्या में कोई विसंगति भी नजर अंदाज कर दी जायेगी।

5. कृपया आयोग के इस निर्णय से सभी निर्वाची पदाधिकारियों/ पीठासीन पदाधिकारियों एवं पंचायत निर्वाचन से संबंधित अन्य पदाधिकारियों को भलीभाँति अवगत करा दें। आयोग के इस निर्णय का अपने स्तर से मतदाताओं की जानकारी के लिए भी व्यापक प्रचार-प्रसार कराना सुनिश्चित करेंगे। इस बात को स्पष्ट किया जाना चाहिए कि जिनको निर्वाचक फोटो पहचान पत्र निर्गत किये गये हैं, वे अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र साथ लायें तथा, जिन्हें निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी नहीं किये गये हैं, वे आयोग द्वारा निर्धारित वैकल्पिक दस्तावेजों में से कोई एक मूल दस्तावेज मतदान के समय अवश्य अपने साथ लायें अन्यथा मतदान करने से उन्हें वंचित कर दिया जाएगा।

विश्वासभाजन,

ह/ -
सचिव।

ज्ञापांक - न.नि.50-01/ 2017– **584** पटना, दिनांक - **28.02.2017**

निदेशानुसार प्रतिलिपि मुख्य सचिव, बिहार सरकार/ प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग, बिहार सरकार, पटना/ गृह सचिव, बिहार सरकार, पटना/ सभी प्रमंडलीय आयुक्तों को सूचनार्थ प्रेषित।

ह/ -
सचिव।

सत्यमेव जयते

राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार
STATE ELECTION COMMISSION, BIHAR

पत्र संख्या -न0नि0 50-01/2017- **585**

प्रेषक,

दुर्गेश नन्दन,
सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार।

सेवा में,

सभी जिला दंडाधिकारी-सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)।

पटना, दिनांक - **28.02.2017**

विषय : नगरपालिका आम चुनाव, 2017 : पीठासीन पदाधिकारियों को जिला द्वारा चार अंकों/ अक्षरों का कोड वर्ड दिये जाने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नगरपालिका आम निर्वाचन, 2017 में आयोग सुनिश्चित करना चाहता है कि मतदान केन्द्रों पर किसी भी तरह की गड़बड़ी न होने पाये। मतदान केन्द्रों पर अवांछित तत्वों का कब्जा चाहे वह शांतिपूर्ण तरीके से हो अथवा उग्र (हिंसक) तरीके से, दोनों को रोका जाना है।

2. इस क्रम में आयोग का निदेश है कि प्रत्येक जिला में एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जायेगा जिसमें 5-6 टेलीफोन लगे रहेंगे। इस नियंत्रण कक्ष में चार-पाँच पदाधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया जायेगा। इनमें से दो पदाधिकारियों के मोबाईल नम्बर की जानकारी सभी पीठासीन पदाधिकारियों को दे दी जायेगी। जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) सभी पीठासीन पदाधिकारियों को चार अंकों/अक्षरों का एक कोड वर्ड देंगे जिससे अगर किसी भी बूथ पर कब्जा किया जाता है तो पीठासीन पदाधिकारी अपने मोबाईल से उस कोड वर्ड को नियंत्रण कक्ष में प्रतिनियुक्त उक्त दो में से किसी एक पदाधिकारी के मोबाईल नम्बर पर एस.एम.एस. कर देंगे। उस एस.एम.एस. के आधार पर नियंत्रण कक्ष के पदाधिकारी इस आशय की एक सूचना नियंत्रण कक्ष में संधारित पुस्तिका में दर्ज करेंगे एवं इसकी लिखित जानकारी जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) तथा प्रेक्षक को देंगे। इस तरह जब बूथ कब्जा किया जाता है तो निर्वाची पदाधिकारी एवं जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) द्वारा उसे पूरे तथ्यों के साथ मतदान केन्द्र को रद्द करने संबंधी प्रस्ताव राज्य निर्वाचन आयोग को भेजा जायेगा एवं आयोग के निदेशानुसार अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी। पुनर्मतदान में उस मतदान दल की ड्यूटी नहीं लगायी जायेगी जो दल पहले दिन के निर्वाचन में कार्यरत थे।

3. आयोग का यह भी निदेश है कि नगरपालिका आम निर्वाचन, 2017 में मतदान के दिन जिला नियंत्रण कक्ष में स्थानीय केबल से सम्बद्ध एक टेलीविजन अवश्य लगाया जाय एवं दो या तीन पदाधिकारियों को दायित्व दिया जाय कि वे टेलीविजन में आ रहे समाचारों पर नजर रखेंगे तथा उनके जिले में निर्वाचन संबंधी किसी भी अप्रिय घटना का समाचार आने पर तुरत वहाँ के पदाधिकारियों/दण्डाधिकारियों से सम्पर्क कर उसका समाधान करायेंगे, जिला के वरीय पदाधिकारियों से आवश्यक मदद लेंगे तथा तथ्यों से उन्हें अवगत कराते रहेंगे। इन सभी घटनाओं एवं उनपर की गई कार्रवाई तथा उनके समय का विवरण वे नियंत्रण कक्ष में संधारित पंजी में अंकित करेंगे।

4. अनुरोध है कि तद्नुसार कार्रवाई की जाय।

विश्वासभाजन,

ह/-
सचिव।

ज्ञापांक - न.नि.50-01/2017– **585** पटना, दिनांक - **28.02.2017**

प्रतिलिपि सभी प्रमंडलीय आयुक्तों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह/-
सचिव।

ज्ञापांक - न.नि.50-01/2017– **585** पटना, दिनांक - **28.02.2017**

प्रतिलिपि प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह/-
सचिव।